आई एन ई ई

संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण में शिक्षा के न्यूनतम मानक

आईएनईई

संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण में शिक्षा के न्यूनतम मानक

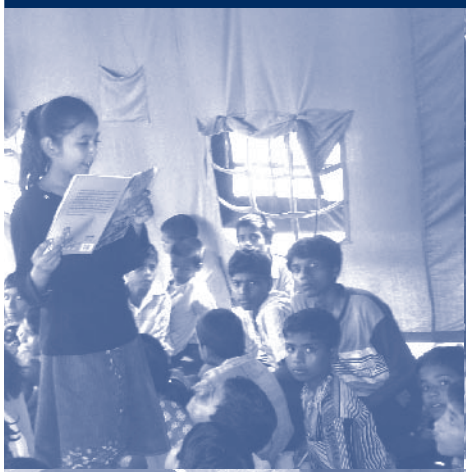

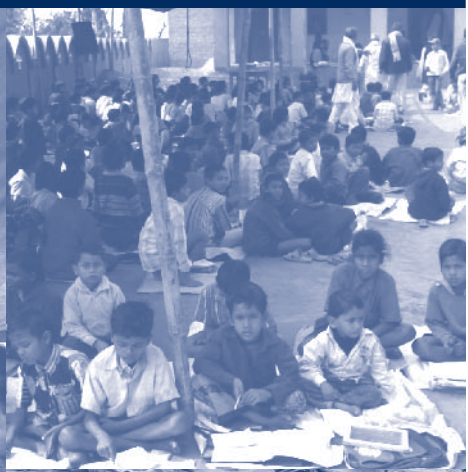

आपदा में शिक्षा के लिए अंतः संस्थागत तंत्र (आईएनईई) 1,400 लोगों एवं विभिन्न संगठनों के सदस्यों (जून 2006 तक) का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। एक मानवतावादी एवं विकासोन्मुख रूपरेखा में कार्यरत ये लोग आपदा के दौरान एवं संकट के बाद आरंभिक पुनर्निर्माण की परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में लगे हैं। अपने सदस्यों एवं रणनीतिक भागीदारों के बीच सहयोग एवं संरचनात्मक संबंधों के विकास एवं प्रोत्साहन के माध्यम से आईएनईई बेहतर संवाद और समन्वयन के लिए कार्यरत है। इस नेटवर्क को नेतृत्व एवं दिशा देने के लिए आईएनईई का एक स्टीयरिंग ग्रुप है। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 'केयर', 'क्रिश्चियन चिल्ड्रेंस फंड', द इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, द इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन अलायंस, नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, यूनेस्को, यूएनएचसीआर, यूनिसेफ और विश्व बैंक।

आईएनईई का न्यूनतम मानकों के संदर्भ में एक कार्य समूह है जो पूरे विश्व में कहीं भी संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण के समय शिक्षा के आईएनईई न्यूनतम मानकों के पूरे विश्व में क्रियान्वयन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। आईएनईई के इस कार्य समूह (2005–2008) में 20 ऐसे संगठन हैं जिन्हें संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण में शिक्षा प्रदान करने की विशेषज्ञता है। ये संगठन हैं: एकेडमी फ़ॉर एडुकेशनल डेवलपमेंट, बीईएफ़एआरई ,केयर इंडिया, केयर यूएसए, एवीएसआई, कैथलिक रिलीफ़ सर्विसेज़, फाउंडेशन फ़ॉर द रिफ्यूजी एडुकेशन ट्रस्ट, फाउंडेशियन डॉस मुंडोस, जीटीजैड, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, शिक्षा मंत्रालय, फ्रांस, नार्वेजियन चर्च एड, नार्वेयन रिफ्यूजी काउंसिल (एनआरसी), सेव द चिल्ड्रेन यूएसए, यूनेस्को, यूएनएचसीआर, यूनिसेफ, यूएसएड, विंडल ट्रस्ट और वर्ल्ड एडुकेशन।

आईएनईई 22 से अधिक एजेंसियों, संस्थानों और संगठनों का आभारी है जो इसकी स्थापना के समय से सहयोग देते रहे हैं। आभार संबंधी पूरी सूची के लिए कृपया आईएनईई की वेबसाइटः www.ineesite.org देखें।

आईएनईई की स्थापना उन सभी इच्छुक व्यक्तियों और संगठनों के लिए हुई है जो आपातकाल एवं पुनर्निर्माण की परिस्थितियों में शिक्षा की वकालत करने, उसे लागू करने और समर्थन देने से सरोकार रखते हैं। आईएनईई की वेबसाइटः www.ineesite.org के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई सदस्यता शुल्क या इस प्रकार की कोई और औपचारिकता नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए आईएनईई से संपर्क करें:
आईएनईई नेटवर्क कॉर्डिनेटर, coordinator@ineesite.org
आईएनईई फोकल प्वाइंट ऑन मिनीमम स्टैंडर्ड, minimumstandard@ineesite.org

INEE Copyright 2004
पुनर्मुद्रणः INEE Copyright 2006

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री पर कॉपीराइट है परंतु शैक्षिक उद्देश्यों से इसका पुनः प्रकाशन किया जा सकता है। ऐसे सभी उपयोगों के लिए औपचारिक अनुमति आवश्यक है जो सामान्यतया तत्काल दे दी जाती है। अन्य परिस्थितियों में अन्य प्रकाशनों में पुनः उपयोग या अनुवाद या अनुकूलन के लिए कॉपीराइट के अधिकारी से लिखित अनुमति अनिवार्य है।

इस आईएनईई पुस्तिका का यह संस्करण यूनिसेफ, भारत द्वारा प्रकाशित किया गया है।
यह 'आईएनईई न्यूनतम मानक पुस्तिका' के अंग्रेजी संस्करण, 2006 पुनर्मुद्रण, से अनुवादित है।

अधिक जानकारी के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें:
शिक्षा अधिकारी, यूनिसेफ, 73 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली, 110003, भारत

विषय सूची

ifjp;

संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण में शिक्षा के न्यूनतम मानक 5

1- **lHkh Jf.k;k d fy, ykx U;ure ekud** 11

सामुदायिक सहभागिता (सहभागिता एवं संसाधन) 14

विश्लेषण (आकलन, कार्यवाही, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) 20

परिशिष्ट 1 : आकलन की रूपरेखा 29

परिशिष्ट 2 : आपातकाल में नियोजन परिस्थिति विश्लेषण का जांच–पत्रक 30

परिशिष्ट 3 : सूचना संग्रह एवं आवश्यकता आकलन पत्र 33

2- **igp ,o vf/kxe dk ekgky** 39

परिशिष्ट 1 : मनोवैज्ञानिक–सामाजिक जांच–पत्रक 49

परिशिष्ट 2 : स्कूली आहार कार्यक्रम जांच–पत्रक 51

3- f'k{k.k ,o lh[kuk 53

4- f'k{kd ,o vU; f'k{kk depkjh 65

परिशिष्ट 1 : आचार संहिता 72

5- f'k{kk uhfr ,o leUo;u 73

आकलन पत्रों एवं जांच–पत्रकों संबंधी अतिरिक्त दस्तावेज़ों, और स्फीयर ह्यूमैनेटेरियन चार्टर (क्षेत्रीय मानवतावादी चार्टर) और स्फीयर स्टैंडर्ड और यूएनएचसीआर एडुकेशन फील्ड गाइडलाईंस के एमएसईई लिंकों से संबंधित दस्तावेजों के लिए कृपया देखें: http://www.ineesite.org/standards/msee.asp और/या एमएसईई सीडी–रोम जो आईएनईई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिचय: संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण में शिक्षा के न्यूनतम मानक

vkink e f'k{kk d U;ure ekud ¼,e ,l ,l b0½ ,d iqfLrdk d #i e vkikrdky e cky ;qok ,o o;Ldk dh f'k{kk d vf/kdkj dk lqfuf'pr dju dh Áfrc)rk dh vfHk0;fDr gA lg;kx dh 0;kid ÁfØ;k l r;kj bl iqfLrdk e {kf=; ifj;kstuk dh ey Hkkouk,j xqtrh g fd Ákdfrd vkink ,o l'kL= l?k"kk l mRiUu eu"; dh =klnh dk de dju rFkk vkink ihfMr ykxk dk lEeku lfgr thu dk vf/kdkj lqfuf'pr dju d gj lHko Á;kl fd;s tku pkfg,A

ifjn';

शिक्षा का अधिकार सभी को है। इस अधिकार की अभिव्यक्ति कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और दस्तावेजों से होती है जैसे यूनिवर्सल डिक्लररेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (1948); द कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेट्स ऑफ़ रिफ्यूजी (1951); जिनेवा कन्वेंशन (4) रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविलयन पर्संस इन टाइम ऑफ़ वार; कन्वेंशन ऑन इकनोमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स (1956); कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ़ द चिल्ड्रेन (1989); और डकार वर्ल्ड एडुकेशन फोरम फ्रेमवर्क फ़ॉर एक्शन (2000)। ये सभी सर्वशिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं।

शिक्षा अधिकार मात्र नहीं है बल्कि संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण की परिस्थितियों में यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं संज्ञानात्मक सुरक्षा भी प्रदान करती है जो जीवन–रक्षक और जीवन–समर्थक (लाइफ–सस्टेनिंग) हो सकती है। शिक्षा से न केवल सीखने के अवसर मिलते हैं बल्कि अन्य पीड़ितों–विशेषकर बच्चों और युवाओं/किशोरों–के लिए सहयोग की पहचान होती है और सहयोग प्रदान करने की क्षमता भी विकसित होती है। शिक्षा से आम जीवन बहाल होने के साथ–साथ स्थायित्व और नियमितता की भावना लौटती है, कुल मिलाकर सशस्त्र संघर्ष के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक असर कम होने लगते हैं। संकट के दिनों में भी भविष्य की उम्मीद दिखती है और फिर यही शिक्षा भविष्य में आर्थिक स्थायित्व की अनिवार्य नींव डालती है। शिक्षा

हर प्रकार के शोषण एवं संभावित अन्य हानियों जैसे अपहरण, सशस्त्र समूहों में बच्चों की भर्ती और लैंगिक एवं लिंगभेद आधारित हिंसा से लोगों की रक्षा करती है। अंततः शिक्षा से प्राप्त ज्ञान और कौशल संकट से उबरने में सहायक होते हैं जिनके माध्यम से हम बारूदी सुरंग, एचआईवी/एड्स की रोकथाम, सशस्त्र संघर्ष समाधान और शांति बहाल करने संबंधी सूचना प्रसारण में कामयाब होते हैं।

1dV@vkink d nkjku f'k{kk

हाल के दिनों में आपातकालीन परिस्थितियों में अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता संबंधी जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा प्राधिकरणों के साथ–साथ स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी एजेंसियों के प्रयासों से लाखों बच्चे, युवा और वयस्क लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा पर अधिक जोर दिए जाने के साथ मुख्य रूप से दो मुद्दे सामने आए हैं:

1. आपदा के दौरान भी लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हैं और शिक्षा को मानवतावाद पर विचार–विमर्श की मुख्यधारा से 'बाहर' नहीं बल्कि मानवतावादी प्रयास की प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए; और
2. आपातकाल के दौरान भी शिक्षा की सुविधा, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इच्छा और प्रतिबद्धता चाहिए।

इन तथ्यों के मद्देनज़र 2003 में एक कार्य समूह का गठन किया गया जो आपदा के दौरान भी शिक्षा का वैश्विक न्यूनतम स्तर बहाल करने में सहायक हो सका। यह प्रयास संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण में शिक्षा के लिए अंतः संस्थागत तंत्र (आईएनईई) के गठन के लिए किया गया जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थानों, आर्थिक योगदान देने वाले, प्रयोग करने वाले, शोधकर्ता और प्रभावित आबादी के सदस्यों का एक खुला नेटवर्क है जिसका उद्देश्य है संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण के दौरान एकजुट होकर शिक्षा सुनिश्चित करना। यह नेटवर्क शिक्षा संबंधी बेहतर पद्धतियों, उपकरणों एवं शोधों के संग्रह और प्रसारण में संलग्न है–आपदा पीड़ितों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करते हुए उसे बढ़ावा देता है और साथ ही, अपने सदस्यों एवं भागीदारों के बीच सूचना के परस्पर आदान–प्रदान को सुनिश्चित करता है। आईएनईई इस दिशा में संसाधनों की कमी को उजागर करता है और सदस्य संगठनों द्वारा गठित कार्यदलों के माध्यम से इन संसाधनों का विकास करता है।

इस सूचना पुस्तिका में प्रस्तुत हैं वैश्विक न्यूनतम मानक जो आपातकाल के दौरान न्यूनतम शिक्षा मानक के विकास के लिए व्यापक एवं सलाह आधारित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विकसित हुए हैं। 2003 के पश्चात् उपस्थित भागीदारों के व्यापक सहयोग के साथ आईएनईई कार्य समूह (न्यूनतम मानदंड) उन मानदंडों, सूचकों एवं दिशानिर्देशों के विकास में संलग्न रहा है जो आपातकाल से लेकर पुनर्निर्माण के आरंभिक दिनों तक शैक्षिक सुविधा के न्यूनतम स्तरों और प्रावधानों की अभिव्यक्ति कर सके। इस विकास प्रक्रिया में राष्ट्रीय, उप–क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सलाह; आईएनईई लिस्ट–सर्व के माध्यम से ऑनलाइन सलाह; और सहकर्मी द्वारा समीक्षा की अहमियत रही। प्रत्येक चरण में प्राप्त सूचना का उपयोग अगले चरण की प्रक्रिया को सूचना–संपन्न बनाने में किया गया।

50 देशों से अधिक देशों के 2,250 से अधिक लोग न्यूनतम मानक के विकास में योगदान देते रहे हैं। जनवरी और मई 2004 की अवधि में आईएनईई के न्यूनतम मानकों पर कार्य समूह ने अफ्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका, और मध्य पूर्व और यूरोप में चार क्षेत्रीय सलाह केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया है। इन क्षेत्रीय परामर्श केंद्रों में 137 शिष्टमंडल प्रतिनिधि हैं जिनमें शामिल हैं प्रभावित आबादी से जुड़े लोग, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय गैर–सरकारी संगठन, सरकार और 51 देशों में कार्यरत यूएन एजेंसियां। क्षेत्रीय सलाह केंद्रों के गठन से पूर्व शिष्टमंडल और आईएनईई के सदस्य

47 देशों के 110 स्थानीय, राष्ट्रीय और उप–क्षेत्रीय सलाह केंद्रों के समन्वयन, एनजीओ, सरकार और यूएन प्रतिनिधियों; डोनर, शिक्षाविद्; और प्रभावित समुदायों के 1,900 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ–साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य शिक्षाकर्मियों से जानकारी एवं सूचना संग्रह करने में लगे रहे। राष्ट्रीय और स्थानीय सलाह केंद्रों के साथ–साथ आईएनईई लिस्ट–सर्व रिस्पांस के तहत विकसित मानकों, सूचकों एवं दिशानिर्देशों के आधार पर क्षेत्रीय सलाह केंद्र के शिष्टमंडल क्षेत्रीय न्यूनतम मानकों का विकास करते हैं। 2004 की गर्मी के मौसम में संपन्न सहकर्मी समीक्षा की प्रक्रिया में 40 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए और क्षेत्रीय मानकों का विश्लेषण कर उन्हें वैश्विक मानकों की रूपरेखा दी।

कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (सीआरसी), डकार एडुकेशन फ़ॉर ऑल (ईएफए) की रूपरेखा, यूएन के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) और स्फीयर प्रोजेक्ट्स ह्यूमैनेटेरियन चार्टर की आधारशिला पर परिणामी न्यूनतम मानक विकसित किए गए। सीआरसी, एमडीजी और ईएफए में अन्य सभी के साथ आपदा पीड़ितों को शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। यह पुस्तिका न्यूनतम शिक्षा की सुविधा और इस अधिकार को पूरा करने के प्रावधान को पूरा करने के प्रयासों का एक माध्यम है।

1997 में मानवतावादी एनजीओ के एक समूह, रेड क्रास और रेड क्रिसेंट आंदोलन के द्वारा क्षेत्रीय परियोजना के मानवतावादी चार्टर और आपातकालीन कार्यवाही के न्यूनतम मानकों को पेश किया गया। इनमें स्पष्ट किया गया कि आपातकाल पीड़ित लोग मानवतावादी सहायता कार्यक्रमों से किस अधिकार की उम्मीद कर सकते हैं। क्षेत्रीय पुस्तिका (स्फीयर हैंडबुक) में मानवतावादी चार्टर के साथ–साथ जलापूर्ति और स्वच्छता; खाद्य सुरक्षा, पोषण और खाद्य सहायता; आश्रय (शेल्टर) एवं स्थान प्रबंधन; और स्वास्थ्य सेवाओं के न्यूनतम मानकों का उल्लेख है। इसमें शिक्षा सेवाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

मानवतावादी चार्टर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, शरणार्थी कानून और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास और रेड क्रास आंदोलन और आपदा राहत में संलग्न गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की आचार संहिता के सिद्धांतों और प्रावधानों पर आधारित है। चार्टर में मानवतावादी कार्य के आधारभूत सिद्धांतों का विवरण है। आपदा पीड़ितों के लिए सुरक्षा और सहायता के अधिकारों पर बल दिया गया है। यह आपदा पीड़ितों के ससम्मान जीवन यापन के अधिकार की बात भी करता है। चार्टर देशों और युद्धरत दलों के कानूनी दायित्वों को भी स्पष्ट करता है जिनके तहत सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित होनी चाहिए। जब अपने दायित्वों को पूरा करने में संबद्ध प्राधिकरण अक्षम हों और/या पूरा नहीं करना चाहते हों तो उनका दायित्व बनता है कि मानवतावादी संगठनों को मानवोचित सुरक्षा और सहायता देने की अनुमति दे दें। (www.sphereproject.org)

dc gk vkb,ubb d U;wure ekudk dk mi;kx

संकट, आपदा तथा आरंभिक पुनर्निर्माण में शिक्षा के न्यूनतम मानकों की रूपरेखा आपातकालीन कार्यवाही में उपयोगी है जो आपातकाल से निपटने के लिए तैयार रहने और मानवतावाद की वकालत करने में भी सहायक हो सकती है। ये मानक प्राकृतिक आपदा और सशस्त्र संघर्ष समेत ऐसी बहुत–सी परिस्थितियों में लाभदायी हो सकते हैं। इस पुस्तिका में 'आपातकाल और आपदा' शब्द का एक सामान्य (जेनेरिक) उपयोग किया गया है मोटे तौर पर जिसके दो अर्थ हैं: 'प्राकृतिक आपदा' और 'जटिल आपातकालीन परिस्थितियां'। नीचे दोनों की परिभाषा दी गई है:

- प्राकृतिक आपदा में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं विभिन्न प्रकार के तूफान जैसे हरीकेन और टाइफून, भूकंप, अकाल और बाढ़। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक होती हैं और आसपास के लोगों की जिन्दगी को तबाह कर सकती हैं। अकाल जैसी आपदाओं का प्रकोप धीरे–धीरे होता है पर दुष्परिणाम समान हो सकते हैं।

- जटिल आपातकालीन परिस्थितियों के पीछे मानव जाति का हाथ होता है। इसकी वजह अक्सर सशस्त्र संघर्ष या जन विद्रोह होता है जो प्राकृतिक आपदा के साथ और जटिल हो जाती है। इन परिस्थितियों में लोगों की जिन्दगी, सुरक्षा, कल्याण और आत्म सम्मान सब कुछ कई कारणों से खतरे में पड़ जाते हैं। प्राकृतिक और मानव जाति की करतूतों से उत्पन्न आपदाएं एवं सशस्त्र संघर्ष ऐसे संकटों की जड़ में होते हैं।

इस पुस्तिका की सूचना आदेशात्मक और निर्धारित नहीं है। विभिन्न स्तरों से संबद्ध संबंधित व्यक्तियों (जैसे परिवार और समाज, स्थानीय प्राधिकरण, मंत्रालय के अधिकारी, वित्तीयन एजेंसी, क्रियान्वयन में संलग्न लोग आदि) द्वारा न्यूनतम मानकों को विकसित किया गया है। दुनिया भर में आपातकालीन परिस्थितियों और आरंभिक पुनर्निर्माण के परिवेश से ये विकसित हुए हैं। इन मानकों से दिशानिर्देश मिलता है कि आपातकालीन परिस्थिति में कोई देश या सरकार, अन्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किस प्रकार अविलंब कार्यवाही करें और शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत करें। मानकों को इस प्रकार विकसित किया गया है कि विभिन्न समुदायों, सरकारों, अन्य प्राधिकरणों और मानवतावादी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका उपयोग शैक्षिक जरूरतों (जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग बताएंगे) को पूरा करने में किया जा सके।

le; lhek

न्यूनतम मानक को लागू रखने की समय सीमा दी गई परिस्थिति पर निर्भर करेगी। वस्तुतः यह विभिन्न प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में लागू की जा सकती हैः आपातकाल में तत्कालीन कार्यवाही की अवधि से लेकर आरंभिक पुनर्निर्माण के चरणों में, और विभिन्न आबादी समूहों के लिए इन मानकों का उपयोग किया जा सकता है। इस पुस्तिका के सूचक हरेक जगह, हरेक परिस्थिति के लिए उपयुक्त नहीं हैं, न ही हरेक संभावित उपयोगकर्ता के लिए वे समान रूप से सही हो सकते हैं। सच तो यह है कि यहां उल्लिखित कुछ मानकों और सूचकों को प्राप्त करने में सप्ताह, महीने या फिर सालों लग सकते हैं। कुछ मामलों में न्यूनतम मानक एवं सूचक बिना किसी बाहरी सहायता के प्राप्त किए जा सकते हैं; जबकि कुछ अन्य में शिक्षा प्राधिकरणों एवं एजेंसियों की मदद से इन्हें हासिल किया जा सकता है। इसलिए न्यूनतम मानकों एवं सूचकों को लागू करते समय यह आवश्यक है कि सभी संबंधित व्यक्तियों के बीच क्रियान्वयन और परिणामों को प्राप्त करने की एक समय सीमा पर आम सहमति बने।

dl dj U;ure ekudk dk mi;kx

अतंर्राष्ट्रीय एजेंसियों एवं एन0 जी0 ओ0 द्वारा कई मार्गदर्शिकाएं और टूलकिट विकसित किए गए हैं जो आपातकाल और आरंभिक पुनर्निर्माण के दौरान सीखने संबंधी और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षाकर्मियों को व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे संगठनों के साथ—साथ शिक्षा मंत्रालयों और शिक्षा क्षेत्र के अन्य अधिकारियों द्वारा इन मार्गदर्शिकाओं के साथ—साथ स्तरीय शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत और देखभाल की नीतियों को विकसित किया गया है। इस पुस्तिका में कार्यक्षेत्र में लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों एवं रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने और लागू करने का विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें न्यूनतम मानक दिए गए हैं और साथ ही उपलब्ध हैं मुख्य सूचक और मार्गदर्शी टिप्पणियां जो मानवतावादी कार्य को शिक्षा संबंधी सूचना प्रदान कर सकती हैं और इसके आधार पर शिक्षा कार्यक्रम के विकास से लेकर उनके क्रियान्वयन और लगातार जारी रखने के साथ—साथ सरकारी एवं सामुदायिक सहयोग के बारे में जानकारियां भी मिलती हैं। न्यूनतम मानक पांच श्रेणियों में उपलब्ध हैं जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं

[1]परिभाषाएं इंटरनेशनल सेव द अलायंस, 2001 के आधार पर अनुकूलित हैं।

- **lHkh Jf.k;k dk fy, ykx U;ure ekud** यह अनुभाग पुस्तिका में दिए गए न्यूनतम मानकों के उपयोग के दौरान सामुदायिक सहभागिता के अनिवार्य क्षेत्रों और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन शिक्षा की कार्यवाही आरंभिक आकलन और उसके पश्चात् समुचित कार्यवाही, और फिर सतत निगरानी एवं मूल्यांकन के आधार पर हो।
- **lh[ku dk ekgky ,o igp** यह शिक्षा के अवसरों को प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित व्यक्तियों और स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, खाद्य सहायता/पोषण एवं शिविर सुविधा, सुरक्षा एवं शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंधों पर केंद्रित है;
- **f'k{kk ,o lh[kuk** यह अनुभाग प्रभावी शिक्षा एवं अधिगम गतिविधियों जैसे 1) पाठ्यचर्या, 2) प्रशिक्षण और 3) आकलन के महत्वपूर्ण तत्वों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **f'k{kk ,o vU; f'k{kkdepkjh** यह अनुभाग केंद्रित है शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधनों के प्रशासन और प्रबंधन पर जिसमें शामिल हैं नियुक्ति एवं चयन, सेवा की शर्तें, और निगरानी और सहयोग; और
- **f'k{kk uhfr ,o leUo;u** यह अनुभाग नीति निर्माण एवं लागू करने, नियोजन एवं क्रियान्वयन, और समन्वयन पर केंद्रित है।

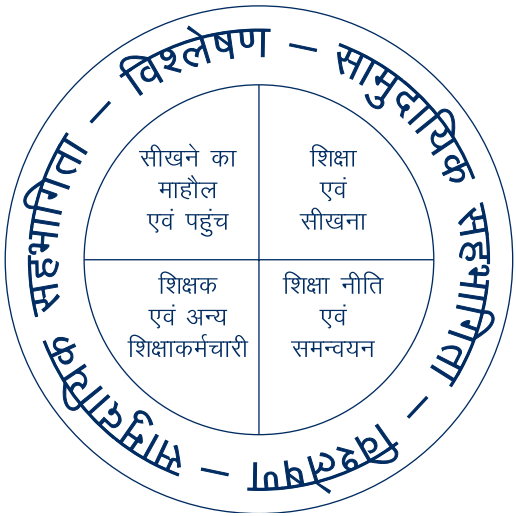

ekudk vkj lpdk e vrj

न्यूनतम मानक इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि प्रभावित आबादी को ससम्मान जीने का अधिकार है। ये मानक मानवतावादी सहायता की परिस्थिति में आवश्यक शिक्षा की सुविधा और प्रावधान के न्यूनतम स्तर की वकालत करते हैं। गुणात्मक प्रकृति के ये मानक सार्वभौमिक हैं और किसी परिवेश में लागू किए जा सकते हैं। हरेक मानक के लिए मुख्य सूचक वह मानक प्राप्त करने के स्पष्ट संकेत देते हैं। ये कार्यक्रमों के प्रभाव (या परिणाम) और अपनाई गई प्रक्रिया की सफलता को मापने और बताने के माध्यम होते हैं भले ही वह गुणात्मक हों या मात्रात्मक। मुख्य सूचकों के अभाव में न्यूनतम मानक कल्याणकारी इच्छा की अभिव्यक्ति, जिन्हें व्यावहारिक बनाना कठिन हो, से अधिक

कुछ नहीं हो सकते। प्रत्येक अध्याय में मार्गदर्शी टिप्पणियां विशेष मुद्दों से जुड़ी होती हैं जिन पर विचार करना आवश्यक होता है जब हम विभिन्न परिस्थितियों में ये मानक अपनाते हैं। ये मानक प्राथमिकता के मुद्दों और कठिनाइयों से निपटने के सुझाव देते हैं और विरोधाभास, विवाद, या फिर उपलब्ध जानकारी में व्याप्त त्रुटियों का विवरण दे सकते हैं। मार्गदर्शी टिप्पणियां किसी मुख्य सूचक से संबद्ध होती हैं और मूलपाठ में जुड़ाव व निरंतरता के संकेत दिए होते हैं। मुख्य सूचकों को मार्गदर्शी टिप्पणियों के तालमेल के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी अनुभाग परस्पर संबद्ध हैं और किसी अनुभाग में बार–बार उल्लिखित मानकों को अन्य अनुभागों में दिए गए मानकों के तालमेल से लागू करना आवश्यक है। जहां उचित हो, मार्गदर्शी टिप्पणी अन्य संबद्ध मानकों, सूचकों या मार्गदर्शी टिप्पणी से जुड़ाव को स्पष्ट करती हैं।

vr% fo"k;kRed lhekvks dk ÁHkkfor djus okys enns

न्यूनतम मानकों के विकास में कई महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान का ध्यान रखा गया है। ये मानव एवं बाल अधिकारों, लिंगभेद, आम जनता की सहभागिता के अधिकार, एचआईवी/एड्स, विकलांगता और कमजोरी जैसे मुद्दों से संबद्ध हैं। संबद्ध मानकों के तहत् इन मुद्दों को स्थान दिया गया है न कि उन्हें अलग–अलग अनुभागों में रखा गया है।

dk;l {k= ¼Ldki½ ,o lhek,

विभिन्न अनुभागों के मानक अपने–आप में पूर्ण और स्वतंत्र नहीं हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि सार्वभौमिक मानकों को तैयार करने और उन्हें व्यवहार में लाने की क्षमता के बीच एक तनाव व्याप्त होता है। दरअसल हरेक परिस्थिति अपने–आप में अलग होती है। इस वजह से मानकों के विकास की वैश्विक विकास प्रक्रिया के तहत विभिन्न क्षेत्रों, देशों और स्थानीय परिदृश्य से जुड़े मानवतावादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, सरकारों, शिक्षा प्राधिकरणों, आम समाज के प्रतिनिधियों और प्रभावित लोगों की हर संभव और व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।

कुछ मामलों में स्थानीय कारक न्यूनतम मानकों एवं मुख्य सूचकों को अप्राज्य बना सकते हैं। ऐसे में पुस्तिका में उल्लिखित मानकों एवं सूचकों के बीच खाई और वास्तविक रूप से प्राप्त मानकों का विवरण देना आवश्यक है। खाई का कारण भी दिया जाना चाहिए। साथ ही बताया जाए कि मानकों को हासिल करने के लिए क्या आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।

आईएनईई न्यूनतम मानक शैक्षिक कार्यवाही संबंधी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये मानवतावादी एजेंसियों, सरकारों और स्थानीय लोगों को महत्वपूर्ण साधन प्रदान करते हैं ताकि शिक्षा संबंधी उनकी सहायता का प्रभाव और गुणवत्ता दोनों के स्तर उच्च हो जाएं और इस प्रकार आपदाग्रस्त लोगों के जीवन में व्यापक सुधार हो।

1. सभी श्रेणियों के लिए लागू न्यूनतम मानक

ifjp;

bl vuHkkx e Ng ekfyd çfØ;k lc/kh ekudk d fooj.k gA ;s ekud bl ifLrdk dh vU; Jf.k;k l ijLij tM gA ;s ekud g% 1½ lkenkf;d lgHkkfxrk] 2½ LFkkuh; l1k/ku] 3½ vkjfHkd vkdyu] 4½ dk;okgh dh j.kuhfr] 5½ vuJo.k ,o 6½ eY;kduA budk nk mi&Jf.k;k e j[kk x;k g% lkenkf;d lgHkkfxrk ¼lgHkkfxrk ,o l1k/ku½ vkj fo'y"k.k ¼vkdyu] dk;okgh] vuJo.k vkj eY;kdu½A ;gk of.kr ekudk dk ykx dj ekuorkoknh dk;drk vkj lkenkf;d lnL; vf/kxe ekgky ,o igp ¼f'k{kk dh lfo/kk ,o ifjo'k½] f'k{kk ,o vf/kxe] f'k{kd ,o vU; f'k{kkdepkjh] vkj f'k{kk uhfr ,o leUo;u d ekudk dk lkdkj dju e lgk;d gkxA

vrjk"Vh; dkuuh l1k/kuk d fyd ¼lid l=½

शिक्षा के अधिकार समेत मानवाधिकारों के साथ ससम्मान जीवन यापन करने का अधिकार सभी को है। मानवतावादी कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि इस प्रकार सहायता प्रदान करें कि वह मानवाधिकारों के अनुरूप हो। सहभागिता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और सूचना का अधिकार भी इस दृष्टिकोण से मानवाधिकार ही हैं जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के संगठनों के संविधान तथा मानवतावादी एवं शरणार्थी कानूनों से स्पष्ट होता है। क्षेत्रीय परियोजना के मानवतावादी चार्टर और *कोड ऑफ़ कंडक्ट फ़ॉर द इंटरनेशनल रेड क्रास और रेड क्रेसेंट मूवमेंट और आपदा राहत* में संलग्न गैर–सरकारी संगठनों के तहत मानवतावादी एजेंसियां उनके प्रति उत्तरदायी होने को प्रतिबद्ध होती हैं वे जिनकी सहायता करना चाहती हैं। सभी पर लागू मानक इन संगठनों एवं व्यक्तिगत तौर पर सक्रिय लोगों के लिए शिक्षा सहायता देने के क्रम में आवश्यक रूपरेखा प्रदान करता है।

lHkh Jf.k;k ij ykx ekudk dh egÙkk

यह महत्वपूर्ण है कि सामुदायिक सहभागिता एवं विश्लेषण पर केंद्रित इस अनुभाग को पहले पढ़ा जाए और तब संबद्ध तकनीकी अनुभाग को, क्योंकि यहां दिए गए मानक से तैयार होती है एक परस्पर व्यापन करने वाली (ओवरलैपिंग) व्यापक व्यवस्था जिसके अंतर्गत सभी न्यूनतम मानकों का समावेश होता है। आपातकाल के हरेक चरण में शिक्षा संबंधी आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। संकट की घड़ी आते ही संसाधनों, आवश्यकताओं और कमियों की पहचान जरूरी है ताकि कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो सके और संसाधनों को समुचित दिशा दी जा सके।

आपदा पीड़ितों की सहायता में प्रभावी आपातकालीन कार्यक्रमों की परिस्थिति की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है। आरंभिक आकलन से आपातकाल के स्वरूप का और आबादी पर इसके दुष्परिणाम का विश्लेषण हो पाएगा। प्रभावित आबादी की क्षमता एवं स्थानीय संसाधनों का ज्ञान हो पाएगा। साथ ही, उनकी आवश्यकताओं, कमजोरियों और अनिवार्य सेवाओं में संभावित त्रुटियों का भी ज्ञान हो जाएगा। कार्यक्रमों का प्रभावीपन सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन शिक्षा के आकलन में न केवल पीड़ित समुदाय बल्कि शिक्षा और शिक्षा से पृथक मुद्दों पर कार्य करते स्थानीय सरकार और मानवतावादी कार्यकर्ताओं की भागीदारी को भी शामिल करना जरूरी है। आकलनों में हर वर्ग के पीड़ितों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पर विचार आवश्यक है। शिक्षा को अन्य क्षेत्रों या फिर अर्थव्यवस्था, धर्म और पारंपरिक मान्यताओं, सामाजिक रीति–रिवाजों, राजनीतिक एवं सुरक्षा के मामलों, सहने की क्षमता या भावी विकास की संभावनाओं से पृथक कर नहीं देखा जा सकता है। आपातकाल के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। यदि समस्या की सही पहचान और उसकी सही समझ नहीं होती है तो समुचित कार्यवाही असंभव न सही, कठिन अवश्य होगी।

कार्यवाही कई बातों पर निर्भर करती है जैसे कार्यकर्ताओं की क्षमता, विशेषज्ञता के क्षेत्र, बजट सीमा, क्षेत्र या परिस्थिति से परिचय, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा। यहां वर्णित कार्यवाही के मानकों में स्पष्ट किया गया है कि 'कौन कब क्या करे'। एक बार समुचित कार्यवाही तय हो जाए तो लक्ष्य प्राप्ति की प्रणाली को तय कर लेना आवश्यक होता है ताकि कार्यकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार बिना किसी भेदभाव सहायता मिलती रहे।

सूचना संग्रह एवं विश्लेषण के लिए अनुश्रवण व्यवस्था की स्थापना प्रक्रिया के शुरू में ही आवश्यक है ताकि लक्ष्यों के मद्देनज़र प्रगति की निरंतर माप हो और यह सुनिश्चित हो कि बदलती परिस्थिति में कार्यक्रम की प्रासंगिकता है। कार्यवाही की अवधि के मद्देनज़र नियमित मूल्यांकन जरूरी है। यह कार्यक्रम के दौरान या अंत में हो सकता है। मूल्यांकन से यह पता लगना चाहिए कि कुल मिला कर कार्यक्रम कितना प्रभावशील है और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की सफलता के लिए सबक लेना भी आवश्यक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में इससे जुड़े सभी लोगों एवं शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संबद्ध प्रक्रियाओं, विषय–वस्तुओं एवं परिणामों का पारदर्शी होना और लाभान्वितों एवं सभी संबंधित व्यक्तियों के बीच पूर्ण प्रसारण भी जरूरी है। हालांकि इसमें संलग्न लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ परिस्थितियों में सूचनाएं राजनीतिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक रूप से संवदेनशील होती हैं इसलिए संग्रह किए गए आंकड़ों का विवेक और सावधानी से उपयोग करना आवश्यक है।

आपदा के दिनों में प्रभावशाली शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है – संकटग्रस्त आबादी की भली–भांति जानकारी और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में इस आबादी की सक्रिय सहभागिता। यहां 'सामुदायिक सहभागिता' शब्द से उन प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों दोनों का बोध होता है जिनके तहत प्रभावित आबादी के सदस्यों को अपनी बात रखने, निर्णय की प्रक्रिया में शामिल होने और शिक्षा के मुद्दों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का सशक्त अधिकार प्राप्त होता है। सहभागिता कई

स्तर या कई डिग्री की होती है – सांकेतिक अर्थात् नाम मात्र की सहभागिता, सलाह स्वरूप और संपूर्ण भागीदारी। कार्य की आपातकालीन परिस्थिति में संपूर्ण सहभागिता असंभव प्रतीत होती है परंतु आपदा के दिनों शिक्षा में सलाह स्वरूप भागीदारी का न्यूनतम लक्ष्य रहना चाहिए। समावेशी और संपूर्ण सहभागिता असली लक्ष्य है।

अनुभव से स्पष्ट होता है कि नाम मात्र की सहभागिता अवसर चूकने के बराबर है। स्तरीय और स्थायी कार्यक्रमों को लागू करने में यह अप्रभावी रह जाती है। इसलिए आपातकालीन कार्यवाही के आकलन, नियोजन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, प्रभावीपन एवं स्तरीयता के मामलों में आपदाग्रस्त लोगों–कमजोर वर्ग समेत–सभी की सहभागिता बढ़ाना अत्यावश्यक है ताकि आपातकालीन कार्यवाही समुचित, प्रभावी और स्तरीय अवश्य हो। समुदाय सक्रिय रूप से संलग्न हो तो समुदाय विशेष की शिक्षा संबंधी जरूरतों की पहचान हो पाती है और उनके समाधान की प्रभावी रणनीतियां बन पाती हैं। सामुदायिक भागीदारी से समुदाय के अंदर संसाधानों की पहचान और योगदान संभव होता है। साथ ही, शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक सहमति बनती है, समर्थन जुटता है। इसलिए सामुदायिक भागीदारी में वास्तविक एवं दीर्घकालिक सशक्तीकरण और क्षमता विकास को शामिल करना जरूरी है। यह कार्य पहले से जारी जमीनी स्तर के प्रयासों के आधार पर पूरा किया जाए।

कार्यवाही में संलग्न सभी सहभागियों के बीच सूचना एवं ज्ञान के सुव्यवस्थित आदान–प्रदान दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं: समस्याओं की सामान्य समझ और एजेंसियों के बीच तालमेल। मानक व्यवस्था कायम करने और आकंड़ों के संग्रह और विश्लेषण की पद्धतियों को विकसित करने के कार्य को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यह सूचनाओं के अभिलेखिकरण, इसके आदान–प्रदान एवं संचार को संभव बनाएगा।

U;wure ekud% ये गुणात्मक स्वरूप के होते हैं और शिक्षा संबंधी कार्यवाही के प्रावधान में न्यूनतम स्तरों को स्पष्ट करते हैं।

e[; lpd% ये 'संकेतक' हैं जो स्पष्ट करते हैं कि मानकों को प्राप्त किया जा सका या नहीं। ये कार्यक्रमों के साथ–साथ कार्य प्रक्रिया, या लागू पद्धति के प्रभाव की माप और इसकी सूचना देने के माध्यम प्रदान करते हैं।

ekxZn'kh fVIif.k;k% ये वे विशिष्ट बिन्दु हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में मानकों और सूचकों को लागू करने के दौरान विचारणीय बिन्दु हैं जो व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने, और सलाह या प्राथमिकता के मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। इनमें मानकों एवं सूचकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी हो सकते हैं और ये दुविधा की स्थिति, विवादों या वर्तमान ज्ञान की त्रुटियों की जानकारियां भी दे सकती हैं। परिशिष्ट 2 में संदर्भों की एक विशेष सूची है जो इस अनुभाग से संबद्ध सामान्य मुद्दों एवं विशिष्ट तकनीकी मुद्दों की सूचना के स्रोतों की ओर इशारा करती हैं।

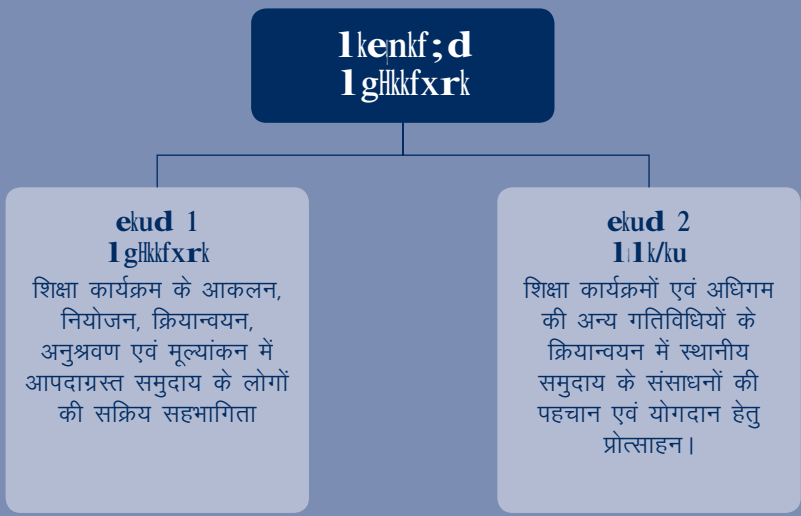

परिशिष्ट 2: संदर्भ एवं संसाधन मार्गदर्शी
सामुदायिक सहभागिता अनुभाग

सामुदायिक सहभागिता मानक 1: सहभागिता

शिक्षा कार्यक्रम के आकलन, नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में आपदाग्रस्त समुदाय के लोगों की सक्रिय सहभागिता।

मुख्य सूचक (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- आपातकाल पीड़ित समुदाय के सदस्यों को उनके चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षा संबंधी गतिविधियों की प्राथमिकता तय करने और नियोजन प्रक्रिया में संलग्न किया जाता है ताकि शिक्षा कार्यक्रम (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–5) की सुविधा सुनिश्चित हो।
- शिक्षा संबंधी गतिविधियों में बच्चों एवं युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 6)
- सामुदायिक शिक्षा समितियां सार्वजनिक बैठकों का आयोजन करती हैं ताकि शिक्षा संबंधी गतिविधियों और संबद्ध बजट का सामाजिक आकलन हो (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 7)।
- बच्चों एवं युवाओं समेत समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के अवसर मिले ताकि सभी शिक्षा संबंधी गतिविधियों की देखरेख कर सकें। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 8)

मार्गदर्शी टिप्पणियां

1. **शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता:** सकल न्यूनतम मानकों के दृष्टिकोण से 'सामुदायिक शिक्षा समिति' का अर्थ किसी समुदाय की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने और समाधान देने के उद्देश्य की समिति से है जिसमें माता–पिता और/या माता–पिता–शिक्षक संघों, स्थानीय एजेंसियों, सार्वजनिक समाज संघों, सामुदायिक संगठनों एवं युवा एवं महिला समूहों के सदस्यों के साथ–साथ शिक्षक एवं विद्यार्थी (जहां उचित हो) शामिल होंगे। सामुदायिक शिक्षा समिति की कई उपसमितियां हो सकती हैं जिनके सदस्य इनकी संरचना में प्रतिनिधित्व पा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में सामुदायिक शिक्षा समितियां एकल शिक्षा कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार होंगी जबकि कुछ अन्य में किसी स्थान विशेष में कई शिक्षा कार्यक्रमों के लिए हो सकती हैं।

   माता–पिता और अभिभावकों को संलग्न कर आपातकालीन स्थितियों में परिवार, समाज और स्कूली संबंधों को मजबूत किया जाता है जो सीखने के माहौल के विकास एवं सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है। परिवार, समाज और स्कूली संपर्कों की संरचना का विकास भी सहभागितापूर्ण हो और यह काम सलाह से हो। यह बात अन्य कई मामलों में भी लागू है जैसे सामुदायिक शिक्षा समितियों का विकास, माता–पिता/शिक्षक संघों का विकास आदि के साथ–साथ स्थानीय परिस्थितियों एवं समस्याओं (बच्चों पर परिवार की जिम्मेदारी आने की समस्या) से निपटने के विशेष उपायों का विकास। सामुदायिक रास्ता अपनाने से एक ऐसी संरचना बनाने (यदि पहले से न हो) और मौजूदा संरचना को मजबूत बनाने में भी सहायता मिलती है जो स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक शिक्षा पद्धति का सम्मान करती है और समस्या से जूझने के स्थानीय उपायों को आधार बनाकर काम करती है।

2. **सामुदायिक शिक्षा समितियां:** प्रतिनिधित्व सार्वजनिक हो जिसमें स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, पारंपरिक प्रमुखों आदि समूहों एवं संगठनों को अहमियत दी जानी चाहिए। शिक्षा से वंचित समूहों, समाज के हाशिए पर खड़े समूहों, महिलाओं एवं

लड़कियों, जनजातियों, विशेष आयु वर्ग आदि के सदस्यों को शामिल करना आवश्यक है। प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। पुनर्निर्माण के दौरान सामुदायिक शिक्षा समिति की वैधानिक मान्यता होनी चाहिए। यह कानूनी रूप से पंजीकृत होनी चाहिए ताकि एक सरकारी संस्थान/संगठन की तरह काम करे। यदि ऐसे कार्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ पहले से सामुदायिक शिक्षा समितियां कार्यरत हैं तो उन्हें अनुकूल बना कर अपना लेना चाहिए ताकि समांतर संस्थान की स्थापना नहीं हो।

सामुदायिक शिक्षा समिति सार्वजनिक और संतुलित हो जो पीड़ित आबादी (जिसमें विविधता होती है) की जरूरतों को प्रदर्शित करें जिसके तहत लैंगिक भेदभाव से परे सभी आयु वर्ग, जात–पात और धार्मिक–सामाजिक समूहों के लोग (और ऐसे अन्य सभी) शामिल हों। विकास में समान सहभागी बनने के लिए महिलाओं एवं लड़कियों को सहयोग देना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए सामुदायिक शिक्षा समितियों में उनकी समतापूर्ण और सुनिश्चित सहभागिता में बढ़ोतरी जरूरी है।

3. सामुदायिक शिक्षा समिति के सदस्यों की **Hkwfedk vkj nkf;Ro** स्पष्टतः परिभाषित और समुदाय के लिए सुलभ हो। इनमें शामिल हैं (सीमित नहीं):
   - चिंताजनक मुद्दों पर विचार एवं निर्णय हेतु नियमित बैठक;
   - बैठक के विचार बिन्दुओं, निर्णयों एवं सामुदायिक वित्तीय और प्रकारांतर योगदानों को सुरक्षित रखना;
   - सामुदायिक रूप से समुचित मार्ग प्रशस्त करना (जैसे स्कूल कैलेंडर, शिक्षा कार्यक्रम के पाठ्यचर्या में लचीलापन जो समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त हो और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करे); और
   - समुदाय, शिक्षा कार्यक्रम और/या राष्ट्रीय और स्थानीय प्राधिकरणों से संचार–संपर्क कायम करना ताकि शिक्षा कार्यक्रमों एवं समुदाय के सदस्यों के बीच बेहतर संबंध कायम हो।

4- **f'k{kk lc/kh dk;okgh dh :ijs[kk r; djus e lenk; dh lgHkkfxrk** शिक्षा संबंधी कार्यवाही की रूपरेखा तय करने में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों को आम राय से कार्यवाही संबंधी प्रक्रियाओं को तय करना चाहिए। ये प्रक्रियाएं पहले दिन से तात्कालिक कार्यवाही का अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए और इन्हें स्थापित करने के लिए सहभागिता की पद्धतियों का उपयोग होना जरूरी है:
   - विभिन्न उपसमूहों (बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों) की शिक्षा संबंधी तात्कालिक जरूरत
   - उपलब्ध मानव संसाधन और समय, और वित्तीय एवं वास्तविक सामान स्वरूप संसाधन
   - उपसमूहों, भाषाई उपसमूहों समेत, के बीच शक्ति संतुलन;
   - सुरक्षा संबंधी सीमाएं;
   - शिक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षित स्थान; और
   - आपातकालीन राहत के सभी पहलुओं में जीवनरक्षक शिक्षा संदेशों को जोड़ने की रणनीति

   (पृष्ठ 23 पर विश्लेषण मानक 2, मार्गदर्शी टिप्पणी 5; पृष्ठ 25 पर विश्लेषण मानक 3; और पृष्ठ 78 पर शिक्षा नीति एवं समन्वयन मानक 2 भी देखें)

5- LFkkuh; f'k{kk dk;Z ;kstuk समुदाय एवं सामुदायिक शिक्षा समितियां शिक्षा की गतिविधियों की प्राथमिकता तय कर सकती हैं और नियोजन कर सकती हैं। इसके लिए माध्यम हो सकता है जमीनी स्तर की सहभागिता की नियोजन प्रक्रिया जो आपातकाल पीड़ित आबादी, विशेष कर कमजोर वर्ग के लोगों, की जरूरतों, चिंताओं एवं मूल्यों को प्रदर्शित कर सके। इस योजना में औपचारिक और/या अनौपचारिक शिक्षा सेवाओं एवं कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार की एक संरचना तैयार करने का प्रावधान होना चाहिए।

एक शिक्षा कार्य योजना के कई उद्देश्य हो सकते हैं जिनमें शामिल हैं (सीमित नहीं):

- सहभागियों के बीच इस दृष्टि का विकास कि शिक्षा का परिवेश कैसा हो, जो गतिविधियों, सूचकों और लक्ष्यों के रूप में व्यक्त हो;
- शिक्षा के परिवेश में परिस्थिति विशेष में सुधार के दृष्टिकोण से सहभागियों के बीच सहमति और सहभागितापूर्ण प्रतिबद्धता कायम करना; तथा
- कार्य योजना को व्यक्त करना जिसके तहत वे कार्य विशेष और दायित्व हों जिन्हें निर्धारित समय सीमा में सभी संबंधित लोग पूरा कर सकें ताकि योजना के अंतर्गत उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

स्थानीय शिक्षा कार्य योजना के तहत सहयोगी एजेंसियों, सामुदायिक शिक्षा समितियों और शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी लोगों के साथ सभी संबंधित लोगों की सहयोगी भूमिकाओं को परिभाषित करना आवश्यक है। कार्य योजना में आचार संहिता भी हो ताकि नियमित सामुदायिक अनुश्रवण और आकलन सुनिश्चित हो तथा भागीदारी की संस्कृति का विकास हो। इससे समुदाय की व्यापक भागीदारी होगी। इसमें शामिल होगी नियोजन, बाल सुरक्षा, लड़कियों, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों की भागीदारी, शिक्षा एवं अधिगम गतिविधियों को लागू करने का काम, निगरानी, अनुश्रवण, संसाधन जुटाने का काम, कार्मिकों की बहाली एवं प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना की देखभाल और विकास, संबद्ध बाहरी एजेंसियों से समन्वयन, और जहां जरूरत हो स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, जलापूर्ति और सफाई जैसे कार्यों को जोड़ने का प्रयास। समुदाय के सभी सदस्यों को सूचना सुलभ होना जरूरी है ताकि वे सामुदायिक शिक्षा समिति को शिक्षा कार्यक्रम को सुचारु बनाने के लिए सुझाव दे सकें। (पृष्ठ 60 पर शिक्षक एवं अन्य शिक्षा कर्मचारी के लिए मानक 2 तथा पृष्ठ 79 पर शिक्षा नीति एवं समन्वयन मानक 3 भी देखें)

6- 'kkf{kd xfrfof/k;ksa esa cPpksa dh lgHkkfxrk संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (सीआरसी) की धारा 13 के तहत बच्चों को कई अधिकार दिए गए हैं जैसे उनकी जिन्दगी को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी बात रखने का अधिकार, वयस्क अवस्था में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार होने का अधिकार। यह धारा आपदा और आरंभिक पुनर्निर्माण समेत संकट की परिस्थिति में मौजूद सभी बच्चों पर लागू है।

शिक्षार्थियों, विशेष कर युवा एवं वयस्क, का उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्था के विकास एवं प्रबंधन में सहभागी होना आवश्यक है। बच्चों को अपनी और अन्य बच्चों की सुरक्षा में सहायक व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण में उनकी रचनात्मक भागीदारी और सकारात्मक परिवर्तन पर जोर होना चाहिए जैसे स्कूली गतिविधियों में सुधार के सुझाव या अधिगम माहौल में दुर्व्यवहार की सूचना देना और रोकथाम करना।

(पृष्ठ 45 पर सीखने के माहौल एवं पहुंच मानक 2 तथा पृष्ठ 71 पर शिक्षक एवं अन्य शिक्षा कर्मचारी मानक 3 देखें)।

कई आपातकालीन कार्यों (जैसे बच्चों एवं युवाओं/किशोरों का मनोरंजन करना) के माध्यम से किशोरों, विशेष कर स्कूल नहीं जा पाने वाले किशोरों, को सामुदायिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रखा जा सकता है। इससे उन्हें अपराध, सशस्त्र समूहों, आदि के नकारात्मक प्रभावों के समक्ष सकारात्मक विकल्प मिल पाएगा।

7- **lkekftd leh{kk** शिक्षा कार्यक्रम की समुदाय आधारित समीक्षा हैं। यह मूल्यांकन इस उद्देश्य से होने चाहिए कि मानव, वित्त और सामग्री संसाधन का आकलन हो तथा पता चले कि अभी तक क्या कमी है और क्या उपलब्ध है। अन्य पहलुओं के साथ–साथ कार्यक्रम के प्रभावीपन का अनुश्रवण भी इसका उद्देश्य है।

आपातकाल आते ही या उसके माध्यमिक चरणों में सामाजिक मूल्यांकन हमेशा संभव नहीं होता है। हालांकि आपातकालीन परिस्थिति में कुछ ठहराव आ जाए (जैसे लंबी अवधि की आपदा या आरंभिक पुनर्निर्माण) तो सामाजिक मूल्यांकन से समुदायों को एक अवसर मिलता है कि वे शिक्षा कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी अनुश्रवण में अधिक सक्षम हो सकें।
(पृष्ठ 27 पर विश्लेषण मानक 4 भी देखें)।

8- **{kerk fuekZ.k** पर्याप्त और समुचित प्रशिक्षण और देखरेख के अभाव में समुदाय के सदस्यों से शैक्षिक गतिविधियों पर अधिकार और उनके प्रबंधन की तकनीकी क्षमता की उम्मीद उचित नहीं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत समुदाय की क्षमता का आकलन और प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान और इन आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका होना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा समिति के सदस्यों के क्षमता निर्माण के अतिरिक्त शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा कार्यक्रम के कार्य में समुदाय के सदस्यों को संलग्न करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उनका सहयोग स्तरीय और स्थायी हो।

lkenkf;d lgHkkfxrk ekud 2% lalk/ku

शिक्षा कार्यक्रमों एवं अधिगम की अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय के संसाधनों की पहचान एवं योगदान हेतु प्रोत्साहन

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणी के साथ पढ़ा जाए)

- समुदाय, शिक्षा कर्मचारी और शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षा संसाधनों की पहचान (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- शिक्षा सुविधा, सुरक्षा और शिक्षा कार्यक्रम की स्तरीयता को मजबूती प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधनों के योगदान को प्रोत्साहित किया जाता है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 2–3)।
- सभी संबंधित व्यक्ति समुदायों की क्षमता को समझते हैं और सहयोग देते हैं और शिक्षा कार्यक्रम का इस प्रकार रूपांकन होता है कि स्थानीय कौशल और क्षमताओं का अधिकतम विकास हो सके (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 4–5)।

ekxn'kh fVIif.k;k

1- **1kenkf;d 11k/ku** में शामिल हैं मानव, बौद्धिक, मौद्रिक या वस्तु संसाधन जो समुदाय में हों। संसाधन जुटाने का काम सीखने के माहौल में सुधार से जुड़ा होना चाहिए। माहौल भौतिक और मानसिक और भावनात्मक हो सकते हैं। भौतिक माहौल में सुधार के लिए स्कूल निर्माण, मरम्मती एवं देखभाल हेतु सामग्री और श्रम जुटाने की अहमियत होगी। मानसिक एवं भावनात्मक माहौल में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों/फैसिलिटेटरों के लिए मनोवैज्ञानिक–सामाजिक सहयोग या फिर सुरक्षा के मामलों पर जोर होगा। रिकार्ड रखे जाएंगे ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व रहे। (पृष्ठ 45–48 पर सीखने के माहौल एवं पहुंच मानक 2–3 भी देखें)

2- **1fo/kk ,o 1j{kk dk c<kok** समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने और उपस्थिति बनाए रखने के लिए अपना समय और संसाधन दें। इसके लिए महिला और युवा समूह निर्धनतम परिवारों के बच्चों को अच्छे कपड़े सुलभ करवाएं या उन परिवारों को भोजन उपलब्ध करवाएं जिनकी जिम्मेदारी बच्चों पर है। महिलाएं लड़कियों की स्कूली शिक्षा में सहायक हो सकती हैं। वे कक्षा सहायिका का काम संभाल सकती हैं। लड़कियों को तंग करने वालों से बचा सकती हैं। समुदाय के सदस्य जरूरत पड़ने पर बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में अपने समय का योगदान कर सकते हैं। (पृष्ठ 45–48 पर सीखने के माहौल एवं पहुंच मानक 2–3 भी देखें)

3- **LFkkf;Ro dk fodkl** समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे सीखने के माहौल, संसाधन जुटाने एवं उसके प्रबंधन और दीर्घकालीन स्थायित्व लाने के उद्देश्य से अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। (सुविधा–सेवाओं की देखभाल, कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय आदि का प्रशिक्षण)

4- **1kenkf;d ;xnku dk ekU;rk** आर्थिक योगदान करने वालों को रिपोर्ट देने में समुदायों के योगदान संबंधी गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना का भी समावेश किया जाए। सशक्त सामुदायिक योगदान प्रतिबद्धता और कार्यक्रमों के स्थायित्व का सूचक होगा।

5- **LFkkuh; {erk** बचाव कार्य में भागीदारी से लोगों में संकट की घड़ी में भी आत्मसम्मान और उम्मीद की भावना जगेगी। इसलिए कार्यक्रम का रूपांकन स्थानीय क्षमता के आधार पर हो और समस्या से उबरने की लोगों की क्षमता को कम आंकने से परहेज किया जाए।

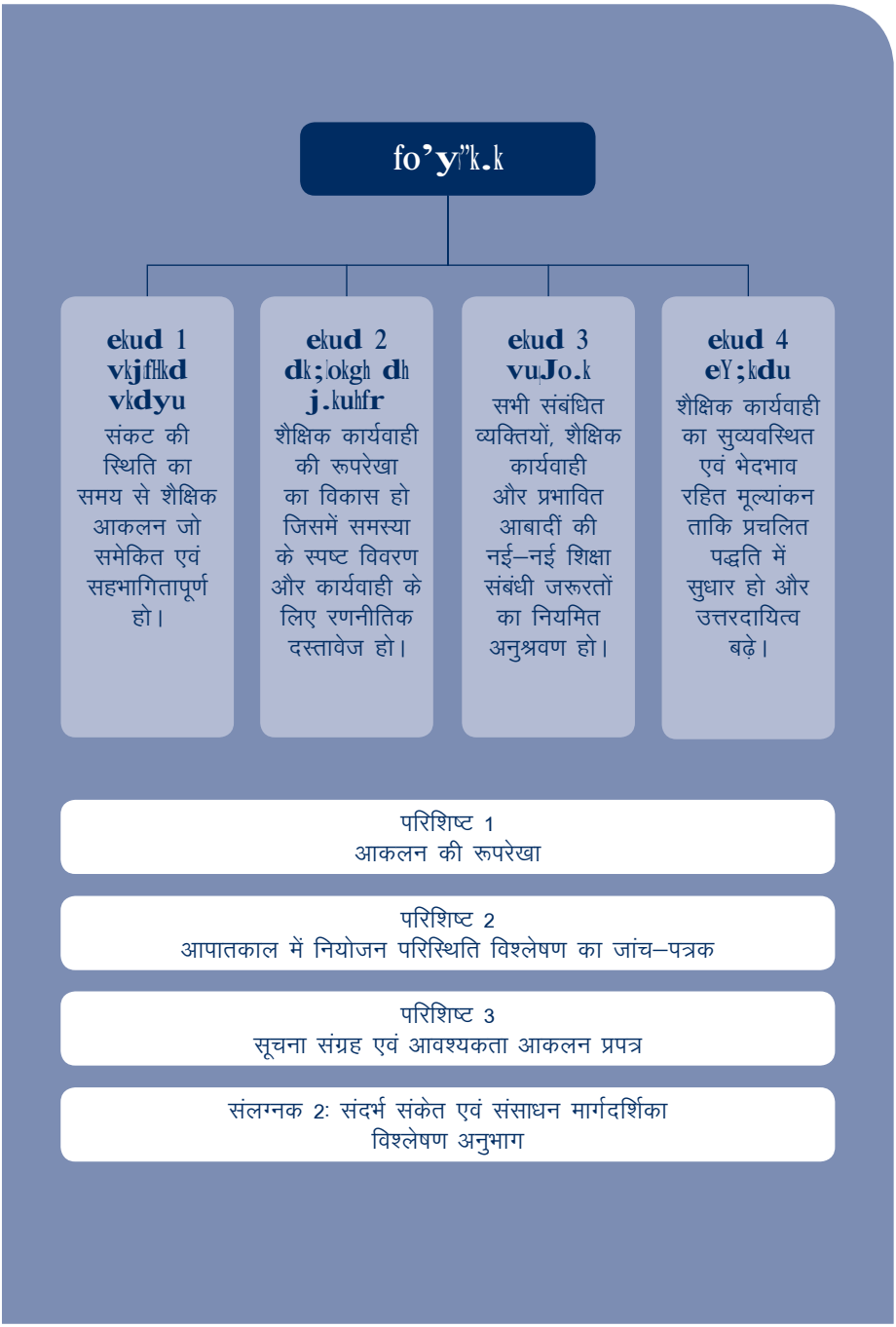
fo'y"k.k
ekud 1
vkjfEkd
vkdyu
संकट की स्थिति का समय से शैक्षिक आकलन जो समेकित एवं सहभागितापूर्ण हो।
ekud 2
dk;Zokgh dh
j.kuhfr
शैक्षिक कार्यवाही की रूपरेखा का विकास हो जिसमें समस्या के स्पष्ट विवरण और कार्यवाही के लिए रणनीतिक दस्तावेज हो।
ekud 3
vuqJo.k
सभी संबंधित व्यक्तियों, शैक्षिक कार्यवाही और प्रभावित आबादीं की नई–नई शिक्षा संबंधी जरूरतों का नियमित अनुश्रवण हो।
ekud 4
eY;kdu
शैक्षिक कार्यवाही का सुव्यवस्थित एवं भेदभाव रहित मूल्यांकन ताकि प्रचलित पद्धति में सुधार हो और उत्तरदायित्व बढ़े।
परिशिष्ट 1
आकलन की रूपरेखा
परिशिष्ट 2
आपातकाल में नियोजन परिस्थिति विश्लेषण का जांच–पत्रक
परिशिष्ट 3
सूचना संग्रह एवं आवश्यकता आकलन प्रपत्र
संलग्नक 2: संदर्भ संकेत एवं संसाधन मार्गदर्शिका
विश्लेषण अनुभाग

fo'y"k.k ekud 1% vkjfHkd vkdyu

संकट की स्थिति का समय से शैक्षिक आकलन जो समेकित एवं सहभागितापूर्ण हो।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- यथाशीघ्र एक तीव्र आरंभिक शैक्षिक आकलन आवश्यक है जिसमें बचाव एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है (मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–3 देखें)
- मुख्य संबंधित व्यक्ति यह पहचान करने में लग जाते हैं कि किन आंकड़ों के संग्रह की जरूरत है; साथ ही, वे सूचकों के विकास, व्याख्या और परिष्कृत करने; और सूचना प्रबंधन एवं वितरण में लगे होते हैं (मार्गदर्शी टिप्पणियां 4–5 देखें)
- संकटग्रस्त सभी स्थानों के लिए विभिन्न स्तर और विभिन्न प्रकार की शिक्षा की जरूरतों एवं संसाधनों का व्यापक आकलन मुख्य संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता से किया जाता है और नियमित रूप से इस आकलन को अद्यतन किया जाता है (मार्गदर्शी टिप्पणी 4 देखें)।
- शिक्षा अंतः क्षेत्रीय आकलन का एक हिस्सा है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा माहौल; जनसांख्यिकी; और उपलब्ध संसाधन संबंधी आंकड़ों का संग्रह होता है ताकि निर्धारित किया जा सके कि प्रभावित आबादी के लिए किन सेवाओं की जरूरत है (मार्गदर्शी टिप्पणी 6 देखें)।
- आकलन से अधिगमों की सुरक्षा संबंधी खतरों का विश्लेषण होता है। इसके लिए खतरों, कमजोरियों और क्षमताओं का सुव्यवस्थित आकलन किया जाता है (मार्गदर्शी टिप्पणी 7 देखें)।
- आपातकाल से पहले और उसके दौरान अधिगम एवं शिक्षा के लिए स्थानीय क्षमताओं, संसाधनों और रणनीतियों की पहचान की जाती है।
- आकलन से शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रासंगिकता के संबंध में स्थानीय लोगों की धारणा और शिक्षा की प्राथमिक जरूरतों एवं गतिविधियों का पता चलता है।
- आकलन के परिणामों के आदान–प्रदान और शिक्षा संबंधी आंकड़ा कोश बनाने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाती है (मार्गदर्शी टिप्पणी 8 देखें)।

ekxn'kh fVIif.k;k

1- **vkdyu dh vof/k** तय करने में आकलन दल और प्रभावित आबादी के बचाव और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पहुंच सीमित हो तो वैकल्पिक रणनीतियों की तलाश होनी चाहिए जैसे द्वितीय स्रोत, स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक नेटवर्क। अधिक पहुंच संभव हो तो पहले आकलन को अद्यतन करना चाहिए और यह कार्य अधिक व्यापक आंकड़ों और संग्रह की गई सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए। आकलन को नियमित (कम–से–कम तिमाही) अपडेट करना चाहिए। इसके लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आंकड़ों, कार्यक्रम की उपलब्धियों और सीमाओं की समीक्षा, और उन आवश्यकताओं को आधार बनाया जाए जो पूरा नहीं हो पाए।

2- **vkdyu d vkdMk vkj lpukvk** का संग्रह कार्य इस प्रकार नियोजित और संपादित हो कि शिक्षा संबंधी जरूरतों, क्षमताओं, संसाधनों एवं खामियों का पता चले। यथाशीघ्र एक समग्र आकलन किया जाए जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं एवं सभी स्थान शामिल हो जाएं। लेकिन इसके चलते आरंभिक आकलन की शीघ्र तैयारी विलंबित न हो और तत्काल कार्यवाही की सूचना बाधित न हो। विभिन्न शिक्षा प्रबंधकों के क्षेत्रों के दौरों के

बीच यथासंभव समन्वयन हो ताकि आगंतुकों का तांता नहीं लगा रहे और आपातकालीन कार्यवाही में कार्मिकों को बाधा नहीं हो।

गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन के साधन अंतर्राष्ट्रीय मानकों, ईएफए के लक्ष्यों और अधिकार–आधारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार होने चाहिए। इससे वैश्विक पहल स्थानीय समुदाय से जुड़ जाते हैं और वैश्विक रूपरेखा और सूचकों के साथ स्थानीय स्तर पर संपर्क को बढ़ावा मिलता है। आंकड़ा संग्रह प्रपत्र का देश के अंदर मानकीकरण आवश्यक है ताकि अंतः–संस्थागत स्तर पर परियोजनाओं के समन्वयन में सुविधा हो तथा सूचना देने वालों से न्यूनतम मांग की आवश्यकता रह जाए। प्रपत्र में वैसी अतिरिक्त सूचना हेतु स्थान हो जो स्थानीय समुदाय से जुड़े उत्तर देने वालों की नजर में महत्वपूर्ण हो।

किसी मानवतावादी कार्यवाही में किसी प्रकार के आंकड़ों के संग्रह में नैतिक विचार अनिवार्य है। किसी उद्देश्य से आंकड़ों का संग्रह लोगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है भले ही वह अनुश्रवण, आकलन या सर्वेक्षण के उद्देश्य से किया जाए। ऐसा न केवल इसलिए होता है कि संग्रह की गई सूचना संवेदनशील होती है बल्कि इस प्रक्रिया में भाग लेना भी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वे निशाने पर आ सकते हैं। सम्मान देने, हानि नहीं पहुंचाने और भेद–भाव रहित होने के मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सूचना संग्रहकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि प्रतिभागियों की सुरक्षा करें और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी दें।

3- **fo'y"k.k dh i)fr;k¡** पूर्वाग्रह से बचने के लिए विश्लेषण के दौरान आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से ट्रायंगुलेट करना चाहिए फिर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। त्रिकोणीय आंकड़ा संग्रह एवं विश्लेषण का एक मिश्रित–पद्धति उपागम है ताकि आंकड़ों का घालमेल न हों और किसी परिघटना के विभिन्न पहलुओं की माप हो सके जिसके परिणामस्वरूप एक संपन्न समझ विकसित होती है जो गुणात्मक आंकड़ों की मान्यता सुनिश्चित करती है। विश्लेषण में स्थानीय धारणा को भी जगह दी जाती है ताकि मानवतावादी कार्यवाही पूरी तरह बाहरी धारणाओं एवं प्राथमिकताओं पर आधारित न हो।

4- **lcf/kr 0;fDr;k¡ dk pkfg,** कि वे प्रभावित आबादी के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें। संभव है आरंभिक आकलन के दौरान आंकड़ा और सूचना संग्रह, विश्लेषण, और सूचना प्रबंधन एवं वितरण में संबंधित व्यक्तियों की परिस्थितिजन्य सीमित भागीदारी हो लेकिन बाद के आकलन और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

5- **vkdyu dk ifj.kke** यथाशीघ्र उपलब्ध करवा देना चाहिए ताकि गतिविधियों का नियोजन हो सके। आपदा–पूर्व आंकड़ा और आपदा–पश्चात आकलन, जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं एवं संसाधनों (जैसे मानवतावादी समुदायों एवं स्थानीय समुदाय के बीच कार्यरत विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियां, प्राधिकरण, एनजीओ आदि) की पहचान करता हो, सभी भागीदारों को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह विशेषकर तब जरूरी है जब भागीदारों को आपातकाल के दौरान किसी स्थान तक पहुंच नहीं हो।

6- **vke vkikrdkyhu vkdyu** के तहत आकलन दल में एक शिक्षा या बाल सुरक्षा विशेष को शामिल किया जाना चाहिए जो शिक्षा एवं बाल सुरक्षा संबंधी जरूरतों

एवं संसाधनों पर आंकड़ों का संग्रह कर सके। एजेंसियों को संसाधन एवं कार्मिकों के साथ–साथ सांगठनिक क्षमता का प्रावधान करना चाहिए ताकि ये कार्य पूरे किये जा सकें।

7- **tkf[ke dk fo'y"k.k** बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। विचार इस लिहाज से हो कि शिक्षा सुरक्षा और/या जोखिम का कारक हो सकता है। आकलन के लिए जोखिमों की एक सूची या तालिका (रिस्क मैट्रिक्स) होनी चाहिए। इसमें विभिन्न आयु वर्गों एवं कमजोर वर्गों के मद्देनज़र विभिन्न कारकों से संबद्ध जोखिमों को दर्ज किया जाए। प्राकृतिक आपदा एवं पर्यावरण संबंधी खतरे; बारूदी सुरंग या छिटपुट बम–गोले जो कभी भी फूट सकते है, मकानों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा; बच्चों का बचाव एवं उनकी सुरक्षा; मानसिक एवं शारीरिक आघात की धमकी; शिक्षकों की योग्यता, स्कूल में नामांकन और पाठ्यचर्या संबंधी समस्याएं; और अन्य संबंधित सूचना (रिस्क मैट्रिक्स के नमूने के लिए देखें एमएसईई सीडी–रोम) विचाराधीन हों।

आकलन में प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न आपदा (तैयारी, कार्यवाही, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास) के दौरान आपदा संबद्ध बचाव, रोकथाम और कार्य के लिए आवश्यक जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों को स्पष्ट करना आवश्यक है। इसके लिए कुछ मामलों में चाहिए कि हरेक शिक्षा केंद्र में एक आपातकालीन और सुरक्षा योजना हो जो आपदा नियंत्रण एवं संबद्ध कार्यवाही कर सके। आवश्यक हो तो प्रत्येक शिक्षा केंद्र द्वारा जोखिम का एक मानचित्र बनाया जाए जिसमें इसके संभावित खतरों को प्रदर्शित किया जाए और उन कारकों को उजागर किया जाए जो इसकी कमजोरी को प्रभावित करते हैं।

8- **vkdyu dh ifj.kke dk vknku&çnku** स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा इनका समन्वयन किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी सक्षम प्राधिकरण या संगठन का अभाव हो तो किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन जैसे मानवतावादी मामलों के समन्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) के नाम का प्रस्ताव देना चाहिए जो समन्वयन एवं सूचना आदान–प्रदान की देखरेख कर सके। आकलन के परिणामों के आदान–प्रदान से अविलंब एक सांख्यिकी रूपरेखा बननी चाहिए और उससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग संभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा हो। (पृष्ठ 79 पर शिक्षा नीति एवं समन्वयन मानक 3 भी देखें)

fo'y"k.k ekud 2% dk;Zokgh dh j.kuhfr

शैक्षिक कार्यवाही की रूपरेखा का विकास हो जिसमें समस्या का स्पष्ट विवरण और कार्यवाही के लिए रणनीतिक दस्तावेज हो।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- कार्यक्रम के आरंभ में ही आधारभूत आंकड़ों का सुव्यवस्थित संग्रह किया जाता है।
- आपातकालीन शिक्षा की कार्यवाही की रणनीतियों में संपूर्ण आंकड़ों की स्पष्ट समझ होती है। (मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2 देखें)

- बच्चों, युवाओं एवं संपूर्ण समुदाय के लिए की गई शैक्षिक कार्यवाही के प्रभाव के अनुश्रवण के लिए मान्य मानकों एवं सूचकों की पहचान की गई है।
- आरंभिक आकलन से प्राप्त सूचना को नए आंकड़ों से अपटेड (अद्यतन) किया जाता है जो जारी कार्यक्रम के विकास को सूचना–संपन्न बनाता है।
- शैक्षिक कार्यवाही की रणनीतियों में कमजोर वर्ग के लोगों या विशेष शिक्षा के जरूरतमंद लोगों समेत सभी बच्चों और युवाओं की सुरक्षा और खुशहाली की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए।
- शैक्षिक कार्यवाही की रणनीतियां उत्तरोत्तर संकटग्रस्त आबादी की जरूरतों को पूरा करती है ताकि समावेशी एवं स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो सके और इस प्रकार वे राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों को सशक्त बनाती हैं। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 4–6)

ekxn'kh fVIIkf.k;k

1- **dk;okgh d çLrko** में अनिवार्य गतिविधियों के लिए बजट सुनिश्चित हो। यहां उल्लिखित न्यूनतम मानकों का पर्याप्त वित्तीयन हो। प्रस्ताव में उल्लेख हो कि किन स्थानों पर कौन–सी शैक्षिक गतिविधियां की जाएं। यह अनुमान लगाया जाए कि आकलन के अनुसार विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न प्रकार की शिक्षा संबंधी जरूरतें किस सीमा तक पूरी हो पाएंगी। यह संकेत भी देना होगा कि शेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य संगठन प्रतिबद्ध हैं या नहीं। शिक्षा की वास्तविक जरूरत से अधिक मांग होने के मद्देनज़र कार्यवाही में लचीलेपन की गुंजाइश रखनी चाहिए। शिक्षा के स्तर और आपातकालीन शिक्षा पर व्यय (जैसे पारिश्रमिक, उपकरण आदि पर व्यय) के प्रकार सुनिश्चित करते समय स्थायित्व का प्रयास किया जाए और संगठनों के बीच तालमेल कायम किया जाए।

2- **vkdMk lxg ,o fo'y"k.k lc/kh {kerk fuek.k%** प्रस्ताव में आधारभूत आंकड़ों के संग्रह एवं विश्लेषण के लिए कर्मचारियों, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारियों, की क्षमता के विकास के साथ–साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के प्रावधान हों। प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में अक्सर इन मुद्दों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है।

3- **j.kuhfr;k dk ÁkUu;u%** आपदा और आरंभिक पुनर्निर्माण के दौरान कम–से–कम तीन माह में कार्यवाही के प्रस्ताव की समीक्षा और उसका प्रोन्नयन आवश्यक है। उनमें अद्यतन उपलब्धियों, आपदा की स्थिति में बदलाव और अपूर्ण मांगों का मौजूदा अनुमान होना चाहिए। लक्ष्य यह हो कि गुणवत्ता एवं व्यापकता में निरंतर सुधार हो और यदि जरूरत हो तो दीर्घकालिक स्थायित्व मिले।

4- **vkfFkd ;kxnku nu okyk }kjk dk;okgh%** आर्थिक योगदान देने वालों को चाहिए कि आपदा के दिनों में शैक्षिक कार्यवाही की गुणवत्ता और व्यापकता दोनों की समीक्षा करें। कमजोर वर्ग के शिक्षार्थियों के नामांकन और उनकी नियमित उपस्थिति की भी समीक्षा करें। आपदाग्रस्त विभिन्न स्थानों पर शिक्षा के अवसर तक पहुंच सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। वित्तीयन इस प्रकार हो कि शरणार्थियों को जगह देने वाले स्थानों या आंतरिक रूप से विस्थापित आबादियों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक प्राप्त किए जा सकें (पृष्ठ 42 पर सीखने का माहौल एवं पहुंच मानक 1, मार्गदर्शी टिप्पणी 8 भी देखें)।

5. **राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सशक्तीकरण:** आपदा के दिनों शैक्षिक कार्यवाही, विशेषकर अविस्थापित आबादियों के लिए एवं आरंभिक पुनर्निर्माण के दौरान, का नियोजन इस तरह हो कि राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों के साथ उनका तालमेल हो। साथ ही, राष्ट्रीय और स्थानीय शिक्षा योजना, प्रशासन, प्रबंधन और सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी सशक्तीकरण किया जाना चाहिए।

6. **सांगठनिक आदेश की बाधाओं को दूर करना:** सीमित आदेश के साथ संगठनों के सहयोग से यह सुनिश्चित हो कि उनकी शैक्षिक कार्यवाही सरकार और संगठनों के व्यापक आदेश के अनुरूप हों ताकि शिक्षा की सभी जरूरतें पूरी की जा सकें। प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र की शैक्षिक रणनीतियां ऐसी हों कि आरंभिक बचपन के साथ–साथ युवाओं की विकास संबंधी जरूरतों, माध्यमिक, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक–पूर्व प्रशिक्षण और समुचित वैकल्पिक शिक्षा को पूरा किया जा सके। जिन क्षेत्रों में लोग वापस लौट रहे हैं उनमें शिक्षा संबंधी विकास की रणनीतियों में मानवतावादी संगठनों की मदद से विकसित कार्यक्रमों के लिए दीर्घकालिक सहयोग (जैसे स्वदेश लौटने और शरणार्थियों के आरंभिक एकीकरण के लिए सहयोग) का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि हस्तक्षेप की कार्यवाही में समय की सीमा रहती है।

विश्लेषण मानक 3: अनुश्रवण

सभी संबंधित व्यक्तियों को चाहिए कि वे शैक्षिक कार्यवाही तथा प्रभावित आबादी की नई–नई शिक्षा संबंधी जरूरतों का नियमित अनुश्रवण करें।

मुख्य सूचक (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- आपदा परिस्थितियों एवं हस्तक्षेप के निरंतर अनुश्रवण का तंत्र मौजूद है और सुचारु है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2)।
- सभी प्रभावित समूहों से संबद्ध महिलाओं, पुरुष और युवाओं से नियमित सलाह जारी है और वे अनुश्रवण की गतिविधियों में संलग्न हैं (देखें मार्गदशी टिप्पणियां 1–2)।
- शिक्षा संबंधी आंकड़ों का सुव्यवस्थित एवं नियमित संग्रह जारी है। इसकी शुरुआत आधारभूत सूचना संग्रह से होती है तथा आगे के परिवर्तनों एवं रुझानों पर नजर रखी जाती है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 3–4)।
- कर्मचारीगण आंकड़ा संग्रह की पद्धतियों एवं विश्लेषण कार्य के लिए प्रशिक्षित हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि आंकड़े विश्वसनीय हैं और विश्लेषण की जांच जा सकती है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 5)।
- सभी संबंधित व्यक्तियों के बीच पूर्व–निर्धारित नियमित अंतरालों पर शिक्षा संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण और आदान–प्रदान (देखें मार्गदशी टिप्पणी 3)।
- अनुश्रवण तंत्र एवं आंकड़ा कोशों को प्रतिपुष्टि के आधार पर नियमित अपडेट किया जाता है ताकि नए रुझान का पता चले और प्राप्त सूचना के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके।
- बदलाव, नए रुझान, आवश्यकताओं एवं संसाधनों की पहचान करने वाले आंकड़े शिक्षा कार्यक्रम प्रबंधकों को नियमित रूप से उपलब्ध करवाए जाते हैं।
- कार्यक्रम में, आवश्यकता होने पर, अनुश्रवण के परिणामस्वरूप संशोधन किए जाते हैं।

ekxn'kh fVIif.k;k

1- **vuJo.k** से आबादी की शिक्षा संबंधी बदलती आवश्यकताओं के साथ–साथ इसका पता चलना चाहिए कि उन जरूरतों को पूरा करने में कार्यक्रमों को कितनी सफलता मिली है। कार्यक्रम की प्रासंगिकता बनाए रखने और सक्रिय रखने के लिए यह अनुश्रवण आवश्यक है। सुधार की संभावनाओं के लिहाज से भी यह आवश्यक है। समान बारंबारता से सभी आंकड़ों का संग्रह करना जरूरी नहीं है। इसलिए अनुश्रवण के रूपांकन में वे निर्णय शामिल होंगे कि कितनी बार किसी विशेष प्रकार के आंकड़ों (आवश्यकता आधारित) का संग्रह किया जाए। आंकड़ा संग्रह एवं उसकी प्रोसेसिंग में लगने वाले संसाधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नमूनों के तौर पर स्कूलों एवं अन्य शिक्षा कार्यक्रमों से इस प्रकार की सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है। इससे जरूरतों एवं समस्याओं के तात्कालिक सूचक (जैसे नामांकन, छीजन, स्कूल से पूर्व अल्पाहार सुविधा, पाठ्यपुस्तकों की संख्या, शिक्षा एवं अधिगम की उपलब्ध सामग्रियों संबंधी आंकड़े) मिल सकते हैं। विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों पर नजर और नामांकन नहीं करवाने या गैरहाजरी की वजह पर भी विचार किया जा सकता है जिसके लिए कुछ क्षेत्रों को चुन कर उनके कुछ घरों का दौरा किया जा सकता है और सामुदायिक समूहों के साथ बैठक भी लाभदायी हो सकती है।

2- **vuJo.k e yx ykx** ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो प्रभावित आबादी के सभी समूहों से सांस्कृतिक, विशेषकर लैंगिक और भाषाई कौशल के दृष्टिकोण से मान्य तरीकों से सूचना संग्रह कर सकें। संभव है कि स्थानीय प्रचलित संस्कृति में महिलाओं या अल्पसंख्यक समूहों से वे लोग अलग से संपर्क करें जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हों।

3- **'kf{kd Ác/ku ,o lpuk r= ¼b,evkbZ,l½** आपदा से प्रभावित हो सकता है। आधारभूत आंकड़ों का संग्रह और उसके सरलीकरण की प्रक्रिया का प्राथमिकता से संरक्षण आवश्यक है। अंतः संस्थागत समन्वयन एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों को सहयोग के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। राष्ट्रीय ईएमआईएस का विकास या दुबारा चालू करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर क्षमता विकास और संसाधन की आवश्यकता हो सकती है ताकि उपलब्ध आंकड़ों का विकास, संग्रह, प्रबंधन, व्याख्या, उपयोग और प्रचार–प्रसार हो सके। आपदा के दिनों में यथाशीघ्र इस कार्य की शुरुआत इस लक्ष्य से होनी चाहिए कि आरंभिक पुनर्निर्माण के चरण में ही एक सुचारु अनुश्रवण तंत्र कायम हो जाए।

ईएमआईएस का एक महत्वपूर्ण घटक है उपयुक्त सॉफ्टवेयर। राष्ट्रीय एवं जिला–स्तरीय शिक्षा कार्यालयों और अन्य शिक्षा उपकेंद्रों में पूरक सॉफ्टवेयर होने चाहिए ताकि उपयुक्त आंकड़ा कोश का विकास हो जो सूचना के आदान–प्रदान को आसान बना दे।

4- **f'k{kkfFk;k dk vuJo.k** आवश्यक है जब वे पाठ्यचर्या पूरा करते या छोड़ देते हैं। अनुश्रवण के तहत साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशलों के साथ–साथ साक्षरता के बाद पढ़ाई की सामग्रियों तक पहुंच पर ध्यान दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा के मामलों में रोजगार के अवसरों पर भी लगातार नजर रखना आवश्यक है। प्लेसमेंट कर्मचारी के

साथ–साथ अध्ययनों पर नजर रखने के माध्यम से यह कार्य पूरा किया जा सकता है। कार्यक्रम के पश्चात अनुश्रवण से कार्यक्रम के रूपांकन के लिए महत्वपूर्ण प्रतिपुष्टि मिलती है (पृष्ठ 63 पर शिक्षा एवं अधिगम मानक 4 भी देखें)।

5- **vkdMk dk lR;kiu%** सभी विश्लेषण के दस्तावेज होने चाहिए जो (1) सूचकों की परिभाषा, (2) आंकड़ों के स्रोत, (3) संग्रह की पद्धति, (4) आंकड़ा संग्रह करने वालों और (5) आंकड़ा विश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करे। आंकड़ा प्रबंधन, संग्रह या विश्लेषण के दौरान कोई हेर–फेर नजर आए तो उसे दर्ज़ कर लेना चाहिए। उत्तर देने वाले आंकड़ों में हेर–फेर (जैसे नामांकन या उपस्थिति के आंकड़ों को बढ़ाना–चढ़ाना) कर सकते हैं ताकि अधिक संसाधन मिले या दोष न लगे। इसलिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ अनुश्रवण के अघोषित दौरों का प्रावधान हो ताकि आंकड़ों की प्रामाणिकता स्थापित हो।

fo'y"k.k ekud 4% eY;kdu

शैक्षिक कार्यवाही का सुव्यवस्थित और भेदभाव रहित मूल्यांकन किया जाता है ताकि प्रचलित पद्धति और उत्तरदायित्व की स्थिति में सुधार हो।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- कार्यवाही की संपूर्ण रणनीतियों, विशेष शैक्षिक एवं बाल सुरक्षा के उद्देश्यों, और न्यूनतम मानकों के मद्देनज़र हस्तक्षेप की नीतियों, कार्यक्रमों एवं परिणामों का उचित समयांतराल पर मूल्यांकन किया जाता है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- हस्तक्षेप के अवांछित परिणामों की सूचना प्राप्त की जाती है।
- प्रभावित आबादियों और अन्य क्षेत्रों के सहभागियों समेत सभी संबंधित व्यक्तियों से पारदर्शी और भेदभाव रहित तरीकों से सूचना संग्रह किया जाता है।
- दीन–हीन समूहों, सामुदायिक शिक्षा समितियों, राष्ट्रीय एवं स्थानीय अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षार्थियों समेत सभी संबंधित व्यक्तियों को मूल्यांकन की गतिविधियों में शामिल किया जाता है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- इस दौरान सीखे सबक और अच्छी प्रचलित पद्धतियों का आदान–प्रदान व्यापक राष्ट्रीय और स्थानीय समुदायों के साथ होता है और इनका उपयोग आपदा के बाद की स्थिति में सुधार के लिए वकालत, कार्यक्रमों और राष्ट्रीय एवं वैश्विक शिक्षा कार्यक्रमों में योगदान देने की नीतियों के लिए किया जा सकता है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)।

ekxn’khl fVIif.k;k

1- **eY;kduk** में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संग्रह होना चाहिए ताकि पूरे परिदृश्य की तस्वीर मिले। गुणात्मक आंकड़ों से संदर्भपरक सूचनाएं मिलती हैं और ये संग्रह किए गए सांख्यिकीय आंकड़ों की व्याख्या में सहायक होते हैं। गुणात्मक आंकड़े साक्षात्कारों, अवलोकनों और लिखित दस्तावेजों से मिल सकते हैं जबकि मात्रात्मक आंकड़े सर्वेक्षणों एवं प्रश्नावलियों के माध्यम से मिल सकते हैं।

   मूल्यांकनों से कई बातों की व्यापक जानकारियां मिलती हैं जैसे मानवीय, सामग्री और वित्तीय सूचना; शिक्षार्थियों की पहुंच, निरंतर उपस्थिति, समावेश एवं सुरक्षा; शिक्षा एवं अधिगम की प्रक्रियाएं; अधिगम की मान्यता एवं प्रमाण; सेवारत शिक्षक का प्रशिक्षण; वैयक्तिक तौर पर शिक्षार्थियों पर प्रभाव के साथ–साथ आगे पढ़ने के अवसर एवं रोजगार; और व्यापक समुदाय पर असर।

2- **eY;kdu 1 {kerk fuek.k%** मूल्यांकन बजट में संबंधित व्यक्तियों के साथ कार्यशाला के आयोजन का प्रावधान होना चाहिए ताकि मूल्यांकन की परिकल्पना, मूल्यांकन की रूपरेखा और सहभागिता के आधार पर विभिन्न प्रक्रियाओं का विकास हो और प्राप्त परिणामों की एक साथ समीक्षा एवं व्याख्या हो। मूल्यांकन प्रक्रिया के पहलुओं में किसी शिक्षा कार्यक्रम के कर्मचारियों को शामिल करना विशेष लाभदायी हो सकता है। इससे उनमें कालांतर में 'स्वामित्व' की परिकल्पना और अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के आधार का विकास होगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले लोगों जैसे शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों को भी अपनी व्यावहारिक कठिनाइयों और किसी अनुशंसा विशेष के परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

3- **ÁkIr ifj.kkeks ,o 1h[k x, 1cd dk vknku&Ánku%** मूल्यांकनकर्ताओं से कहा जाना चाहिए कि वे अपने रिपोर्ट की संरचना इस प्रकार करें कि उसमें एक प्रथम अनुभाग हो जिसे सार्वजनिक किया जा सके जबकि गोपनीय सूचना या आंतरिक जानकारियों को दूसरे अनुभाग में रखा जाए जिसका उतना व्यापक आदान–प्रदान नहीं किया जाए।

सभी श्रेणियों के लिए लागू न्यूनतम मानक

ifjf'k"V 1% vkdyu dh :ijs[kk

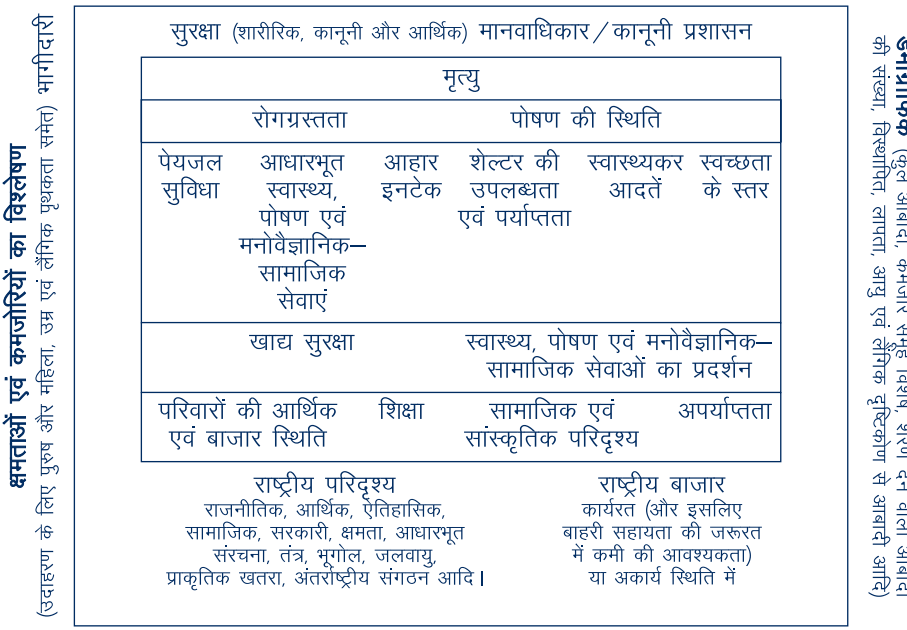

किसी आबादी की जरूरतों पर आम राय कायम करने के उद्देश्य से विचार एवं विश्लेषण के आधार के रूप में आकलन की रूपरेखा का इस्तेमाल किया जाता है। विश्लेषण में साक्ष्य एवं निर्णय को समेकित किया जाता है। आकलन की रूपरेखा में वे श्रेणियां आती हैं जो गंभीर रूप से विचारणीय हैं, न कि महज जरूरतें। श्रेणियों के बीच आपातकाल का इशारा तो मिलता है परंतु रूपरेखा से इसका स्पष्ट संदर्भ नहीं मिलता। और आकलन दल की सहायता के लिए टूल्स संबंधी अतिरिक्त विवरण की आवश्यकता होती है। जब तक ये टूल विकसित नहीं होते तब तक ये दल स्वयं कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। रूपरेखा एक अधिक स्थायित्वपूर्ण और पारदर्शी मंच प्रदान करती है जहां सूचना का आदान–प्रदान हो सके। आपदा के समय कार्यवाही की प्राथमिकता तय करना इसका लक्ष्य होता है। हालांकि रूपरेखा के प्रत्येक स्तर पर समस्याओं की गंभीरता के स्तर प्रदर्शित होते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि कार्यवाही की भी वही प्राथमिकता होगी। रूपरेखा से स्पष्ट होता है कि विभिन्न श्रेणियां स्वतंत्र हैं और उन्हें स्वतंत्र माना जाना चाहिए। रूपरेखा की प्रत्येक श्रेणी का आकलन अलग–अलग (जैसे शिक्षा) और समेकित आकलन (जैसे रूपरेखा की अन्य श्रेणियों पर शिक्षा में परिस्थिति का प्रभाव) के एक हिस्सा के रूप में होना चाहिए। सुरक्षा/मानवाधिकार/कानूनी प्रशासन आच्छादित करने वाले मुद्दे हैं जिन्हें अलग–अलग आकलित किया जाना चाहिए और मुख्यधारा में लाना चाहिए। आकलन का आरंभिक बिन्दु या तो भौगोलिक हो या आबादी समूह।

स्रोतः आकलन रूपरेखा का विकास अंतः–संस्थागत स्थायी समिति (आईएएससी) सीएपी उप–कार्य समूह द्वारा किया गया तथा इसे 25 जनवरी 2004 को आयोजित एक कार्यशाला में परिष्कृत किया गया। कार्यशाला में आर्थिक योगदान करने वालों, यूएन एजेंसियों, रेड क्रास एवं एनजीओ की भागीदारी रही।

ifjf'k"V 2% vkikrdkyhu fu;kstu%

ifjLFkfr fo'ys"k.k tkp&i=d

कुछ कारक, मुद्दे, लोग और संस्थान कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए जिन्हें समझना आवश्यक है।

1- vk/kkjHkwr vkdyu

- आधारभूत अध्ययन के लिए क्या आंकड़े चाहिए?
- उपलब्ध संसाधन के मद्देनज़र क्रियान्वयन के नियोजन के लिए क्या आंकड़े चाहिए जैसे स्कूलों के स्थान (संख्या, स्थान); विद्यार्थियों की अपेक्षित संख्या; शिक्षकों की संख्या, आदि?
- क्या कार्यक्रम शुरू करने से पहले आधारभूत आंकड़ों का संग्रह करने की सुविधा है?

2- ifjLFkfr dk Lo:i

- परिस्थिति का स्वरूप कैसा है (धीरे–धीरे या अचानक हुई परिस्थिति)?
- क्या विशेष तौर पर कमजोर या आपदाग्रस्त समूह (सांस्कृतिक, आयु, लिंग, आदि) हैं?

3- ifjLFkfr dk LFkkf;Ro

- क्या परिस्थिति स्थायी (लघुकालिक/मध्यकालिक) हो गई है या उसमें परिवर्तन हो रहा है?
- क्या अन्य आकस्मिक (नई आपदा या मौजूदा आपदा में बड़े अंतर) की संभावना दिख रही है?
- कौन–से कारक हो सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप अचानक और/या कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं?

4- orZeku f'k{kk r=

f'k{kk r=

- क्या कोई शिक्षा तंत्र कार्यरत है?
- क्या लक्षित आबादी में एक से अधिक शिक्षा तंत्र कार्यरत हैं?
- मौजूदा आपदा ने वर्तमान शिक्षा तंत्र (तंत्रों) को कैसे प्रभावित किया है?
- क्या स्कूल के भवन और आधारभूत संरचनाओं (रसोई, सफाई सुविधा, भंडार आदि) का अभाव हो गया है या वे ध्वस्त हो गए हैं?
- सीखने के माहौल (स्थान, सामग्री, कक्षाएं, कार्मिक आदि) की मौजूदा स्थिति क्या है?
- क्या लड़के एवं लड़कियों, या विभिन्न भौगोलिक/जातीय/आदि पृष्ठभूमि में बच्चों के लिए समान परिस्थिति है?
- क्या बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और नियमित स्कूल जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
- क्या स्कूलों में बच्चे भूख से पीड़ित हैं (जैसे जलपान का अभाव, स्कूल की दूरी, सामान्य कुपोषण)?
- क्या बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का दुष्प्रभाव है? क्या दुष्प्रभाव है?

ikB;p;k ,o fun’k

- क्या एक सामान्य पाठ्यचर्या है?
- क्या निर्देश की कोई सामान्य भाषा (या भाषाएं) है?
- क्या शिक्षक, शिक्षा साधन और/या सीखने के साधन उपलब्ध हैं?
- क्या शिक्षक प्रशिक्षण/पुनर्परीक्षण की आवश्यकता है?
- क्या चलने से लाचार लोगों (जैसे बच्चे, सैनिक, स्कूल जाने में अक्षम बच्चे और/या अन्य विशेष वंचित समूह) के लिए अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है?

5- e[; lcf/kr 0;fDr

e[; lcf/kr 0;fDr;k dh igpku

- कौन क्या कर रहा है?
- कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है?
- कौन किस नियोजन में लगा है?
- किन संसाधनों के लिए कौन जिम्मेदार हैं?
- किन निर्णयों के लिए कौन जिम्मेदार हैं?
- अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
- गैर–सरकारी संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय)
- सरकारः
  - राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकार की स्थिति क्या है (वैधता, अंतिरम)?
  - कौन शिक्षा प्रबंधन करता है?
- स्कूल (शिक्षक, प्रधानाचार्य, पीटीए)
- समुदाय (नेतागण, बड़े–बुजुर्ग, धार्मिक, महिला संघ, स्वास्थ्यकर्मी, या अन्य सामुदायिक समूह)
- परिवार
  - क्या है प्रमुख संरचना?
  - क्या आपदा का दुष्परिणाम पारिवारिक संरचना पर है?
  - शिक्षा में बच्चों (विशेषकर लड़कियों) की सहभागिता पर कौन निर्णय लेता है?

6- miyC/k l1k/ku

f’k{kk d fy, (उपरोक्त ‘वर्तमान शिक्षा तंत्र’ पर भी गौर करें)

- क्या सीखने के सुरक्षित स्थान हैं?
- क्या उपलब्ध स्कूली सुविधाएं पूरी तरह काम की हैं?
- क्या स्कूल की दैनिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी हैं?

[kk l lgk;rk d fy,

- खाना वितरण कार्य शुरू करना कितना अत्यावश्यक है?
- खाना तैयार करने के लिए कौन–से कार्मिक हैं?
- खाना तैयार करने की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं (स्कूल की रसोई, भंडार घर, पकाने/खाने के लिए बरतन, पकाने के लिए ईंधन, पानी का स्रोत)?
- क्या सुविधाओं की व्यवस्था संभव है?
- क्या परिवहन/डेलीवरी/भंडारण की आधारभूत सुविधाएं हैं?
- क्या खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं? वे कितनी आसानी से और कितनी जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं और उन्हें खाद्य वितरण के स्थान पर कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है?

- क्या कोई स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसे पूरा/विकसित किया जा सकता है?
- क्या वर्तमान में आर्थिक योगदान करने वालों की कोई समिति है?
- क्या क्रियान्वयन में कोई संभावित भागीदार हैं?

7- orZeku ,o lHkkfor lhek,

lqj{kk

- क्या सीखने के स्थान सुरक्षित हैं?
- क्या बच्चों, शिक्षकों एवं सहायता कर्मचारियों अथवा लोगों को सीखने के स्थान तक सुरक्षित पहुंच है?
- क्या खाना तैयार करने और/या वितरण के लिए सुरक्षित स्थान हैं?
- क्या खाद्य परिवहन एवं आपूर्ति सुरक्षित है?
- क्या खाद्य पदार्थ का भंडार सुरक्षित है?

fyax@tkrh; vk/kkj ij lhek,

- क्या पुरुष या महिला वर्ग के लिए कोई विशेष सीमाएं/मुद्दे हैं?
- क्या विभिन्न समूहों (जातीय/भौगोलिक) के लिए कोई विशेष सीमाएं/मुद्दे हैं?

oS/krk

- क्या गतिविधियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए कोई स्पष्ट सरकारी भागीदारी है?
- क्या शैक्षिक गतिविधियों के सृजन एवं समर्थन के लिए राजनीतिक/स्थानीय नेतृत्व की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?
- क्या इस समर्थन के बिना आगे बढ़ने में खतरा है?
- क्या इस समर्थन के बिना आगे बढ़ना उचित होगा?
- क्या भागीदारी विकसित की जा सकती है?
- क्या समर्थन विकसित करने/या जुटाने के लिए कार्यक्रम का रूपांकन किया जा सकता है?

उद्धृतः विश्व खाद्य कार्यक्रम, आपदा की स्थिति में स्कूली आहार का नियोजन–परिस्थिति का विश्लेषण, कार्यक्रम का रूपांकन, क्रियान्वयन, 2004 http://www.wfp.org

Ikfjf’k”V 3½ lpuk lxg ,o vko’;drkvk dk vkdyu

Á’ui=

स्थान (स्थानों): ....
आपदा का स्वरूप: ....
मुख्य समस्या (समस्याएं): ....

D;k dkbZ Ldy fØ;k’khy g\

हां/नहीं	स्थान (स्थानों)	उपस्थित बच्चों की संख्या लड़कियां	लड़के
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

1- e[; dkj.k ¼dkj.kkà vkj@;k leL;k ¼leL;kvkà dh vfHk0;fDr ☑

स्कूल भवन क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं	☐	भुगतान न हो तो शिक्षक काम नहीं करेंगे	☐
स्कूल परिसर में पानी सुरक्षित/उपलब्ध नहीं है	☐	आना–जाना खतरनाक हो गया है	☐
बच्चे बेकार बैठे हैं/स्कूल नहीं जाते	☐	शिक्षक सेना में भर्ती हो गए हैं	☐
उपकरण/सामग्रियां नहीं हैं	☐	कुछ बच्चे मानसिक आघात पीड़ित हैं	☐
परिवार स्कूली सामग्रियां नहीं खरीद सकते	☐	कुछ बच्चे विकलांग हैं	☐
शिक्षक छोड़ चुके हैं या भयभीत हैं	☐	बच्चे सेना में भर्ती हो गए हैं	☐
शिक्षकों के बदले काम करने वाले शिक्षित वयस्क नहीं हैं	☐		

2- cPpk dh vkcknh dh igpku

	कुल	लड़कियां	लड़के
बच्चों की संख्या	....	....	....
0–5 साल	...............%	...............%	...............%
6–13 साल	...............%	...............%	...............%
14–18 साल	...............%	...............%	...............%
निवासी	...............%	...............%	...............%
अंदर आए बच्चे	...............%	...............%	...............%

3- vkink&iwo fLFkfr ls rqyuk

	कुल			लड़कियां			लड़के		
बच्चों की संख्या	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक
0–5 साल	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक
6–13 साल	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक
14–18 साल	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक
निवासी	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक
अंदर आए बच्चे	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक	कम	वही	अधिक

लड़के एवं लड़कियों में विशेष अंतर की व्याख्या करें

क्या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका समाधान आवश्यक हो जैसे जातीय समूहों की उपस्थिति? व्याख्या करें।

4- cPpksa dh f'k{kk dk D;k Lrj gS

	बच्चों की आरंभिक शिक्षा	प्रारंभिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा (आरंभिक किशोरावस्था)
आयुवर्ग की आबादी का प्रतिशत जिसने पूरा कर लिया है	....	....	....

5- cPpksa dh D;k Hkk"kk ¼Hkk"kk,½ gS

	मातृभाषा	बोलचाल ☑	लिखना ☑
स्थानीय भाषा (स्पष्ट करें)	....	☐	☐
	....	☐	☐
	....	☐	☐
अन्य (स्पष्ट करें)	....	☐	☐
	....	☐	☐
	....	☐	☐

6 d- D;k {ks= dk dksbZ ekufp= gS ftlij lkeqnkf;d Hkouksa ¼tSls Ldwy] LokLF; dsUæ] pp½ dks bafxr fd;k x;k gks

6 [k- ;fn 6 d dk mÙkj ugha gS rks D;k ,sls ekufp= miyC/k gks ldrk gS

6 x- ;fn 6 [k dk mÙkj ugha gS rks crk,a fd ;g lwpuk dSls ÁkIr djsa

7- d{kk,a fdu LFkkuksa ij vk;ksftr dh tk ldrh gSa

	☑	बच्चों की संख्या जिन्हें जगह मिल सकती है
स्कूल/कक्षाएं	☐	....
पुनर्वास केंद्र	☐	....
आश्रय	☐	....
बाहर (शेड/पेड़ की छांव)	☐	....
घर	☐	....
धार्मिक भवन	☐	....
क्लीनिक	☐	....
अन्य (स्पष्ट करें)	☐	....

8- D;k fuEufyf[kr lfo/kk,a vklkuh ls miyC/k g\

	वहीं पर ☑	कुछ दूर (मीटर) ☑	अनुपलब्ध ☑
पानी का स्रोत (स्पष्ट करें)	☐	☐	☐
शौचालय	☐	☐	☐
शावर (स्नानघर)	☐	☐	☐
शौचालय	☐	☐	☐
चिकित्सा सुविधा	☐	☐	☐
विकलांगों के लिए सुविधाएं	☐	☐	☐
बिजली	☐	☐	☐

9- d{kk tku d fy, cPpk dk fdruh nj tkuk iMrk g\

	0–25%	26–50%	51–75%	76–100%
(मीटर)		(बाल समूह का %)		
500 मीटर या कम	....	....	....	....
500 से 1000 मीटर	....	....	....	....
> 1000 मीटर	....	....	....	....
(मील)				
1/2 मील या कम	....	....	....	....
1/2 मील से 1 मील	....	....	....	....
1 मील से कम	....	....	....	....

10- D;k cPp ?kjy ukdj dk ;k vU; dkbl dke djr g\

	लड़कियां	लड़के
%	....	....
घंटा प्रति दिन	....	....
मुख्यत: कितने बजे से		
कितने बजे तक	....	....

11- miyC/k v/;kiu lkefx;k fdruh ek=k e miyC/k g vkj fdruh pkfg,\

(प्रति बच्चा)	उपलब्ध	आवश्यक
पाठ्यपुस्तक	....	....
विषय 1	....	....
विषय 2	....	....
विषय 3	....	....
स्लेट	....	....
चॉक	....	....
बॉल स्पांज	....	....
अभ्यास पुस्तिका	....	....
कलम/पेंसिल	....	....
पेंसिल इरेज़र	....	....
कलर पेंसिल	....	....
अन्य (स्पष्ट करें)	....	....

12- miyC/k vf/kxe lkefx;k dh fdruh ek=k ¼yxHkx e½ miyC/k g vkj fdruh pkfg,\

	उपलब्ध	आवश्यक
(प्रति कक्षा)	....	....
मार्गदर्शी / पुस्तिका	....	....
रिकार्ड बुक	....	....
ब्लैकबोर्ड	....	....
चॉक बॉक्स	....	....
वाल चार्ट / मानचित्र	....	....
कलम / पेंसिल	....	....
स्टेशनरी	....	....
अन्य (स्पष्ट करें)	....	....
मनोरंजन सामग्रियां	....	....

13- cPpk dk i<ku d fy, dku miyC/k g@gk ldr g\

	संख्या	महिलाएं (%)	पुरुष (%)
प्रशिक्षित शिक्षक	....	....	....
पैरा–प्रोफेशनल	....	....	....
अन्य क्षेत्रों के प्रोफेशनल	....	....	....
(जैसे चिकित्सा / अर्द्धचिकित्सा)	....	....	....
बड़े बच्चे	....	....	....
सामुदायिक सदस्य	....	....	....
गैर–सरकारी संस्थान	....	....	....
स्वयंसेवी	....	....	....
अन्य (स्पष्ट करें)	....	....	....

14- f'k{kdk d leFku d fy, o;Ld ekuo lalk/ku miyC/k g\

	संख्या	महिलाएं (%)	पुरुष (%)	शिक्षा का स्तर / योग्यता
पैरा–प्रोफेशनल	....	....	....	....
अन्य क्षेत्रों के प्रोफेशनल	....	....	....	....
(जैसे चिकित्सा / अर्द्धचिकित्सा)	....	....	....	....
बड़े बच्चे	....	....	....	....
सामुदायिक सदस्य	....	....	....	....
गैर–सरकारी संस्थान के सदस्य	....	....	....	....
स्वयंसेवी	....	....	....	....
अन्य (स्पष्ट करें)	....	....	....	....

15- D;k cPpk d 1kFk dkbl g\

	% बच्चा समूह
पूरा परिवार	....
मां–बाप में कोई एक	....
बड़े भाई–बहन	....
परिवार के अन्य सदस्य	....
स्वयंसेवी	....
बच्चा अकेला है	....

16- ?kj dk ef[k;k dku g\

	% बच्चा समूह
मां	....
पिता	....
अन्य वयस्क (स्पष्ट करें)	....
अन्य बच्चा (बड़ी बहन)	....
अन्य बच्चा (छोटा भाई)	....
अन्य (स्पष्ट करें)	....

17- cPpk d ifjokj dh vkfFkd i"BHkfe\

	%
किसान	....
आर्टिजन	....
खानाबदोश	....
मवेशी पालन	....
अन्य (स्पष्ट करें)	....

18- cPPkk dk D;k fo'k"k 1n'k nuk g\

साफ–सफाई पर संदेश..
....

स्वास्थ्य पर संदेश...
....

संभावित खतरों जैसे बारूदी सुरंगों के बारे में संदेश..
....

जीवन कौशल (स्पष्ट करें)..
....

अन्य (स्पष्ट करें)..
....

19- ÁHkkfor lenk;k e dk;jr e[; lLFkkuk dh mifLFkfr ¼dN uke bfxr dj½

सामुदायिक समितियां	सार्वभौमिक	सामान्य	दुर्लभ	मौजूद नहीं
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
शिक्षा मंत्रालय संसाधन	सार्वभौमिक	सामान्य	दुर्लभ	मौजूद नहीं
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	सार्वभौमिक	सामान्य	दुर्लभ	मौजूद नहीं
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
शिक्षा में सक्रिय घरेलू एनजीओ	सार्वभौमिक	सामान्य	दुर्लभ	मौजूद नहीं
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
शिक्षा में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ	सार्वभौमिक	सामान्य	दुर्लभ	मौजूद नहीं
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
यूएन एजेंसियां	सार्वभौमिक	सामान्य	दुर्लभ	मौजूद नहीं
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
अन्य (स्पष्ट करें)	सार्वभौमिक	सामान्य	दुर्लभ	मौजूद नहीं
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐

स्रोतः यूनिसेफ

2. पहुँच एवं अधिगम का माहौल

ifjp;

vkink d nkjku f’k{kk tk ,d vfuok;l vf/kdkj ,o lk/ku g] cgn lhfer gk tkrk gA gkykfd f’k{kk ihfMrk dk mudh fLFkfr l mckju e cgr egRoi.kl Hkfedk fuHkk ldrh g D;kfd f’k{kk l ykxk dk mUkj thfork d vfrfjDr Kku ,o dk’ky ÁkIr gkrk gA vkj mUkd fy, lkekU; thou cgky djuk vklku gk tkrk gA yfdu vkink d fnuk e f’k{kk dh t:jrk dk l0;ofLFkr djuk vDlj ,d cMh pukrh gkrh gA ;g vk’kdk cuh jgrh g fd fo’k”k dj detkj oxl d ykx miyC/k f’k{kk l ofpr jg tk,xA ,l e ljdkjk] lenk;k ,o ekuorkoknh lxBuk d fy, t:jh gk tkrk g fd o lcf/kr x|.koÙkkijd f’k{kk dh 0;oLFkk dj ftldk volj gjd 0;fDr dk lyHk gk vkj vf/kxe ekgky Hkh u doy ljf{kr gk cfYd f’k{kkfFk;k d ekufld] HkkoukRed ,o ‘kkjhfjd [kq’kgkyh dk Hkh c<kok nA

आपदा केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम शिक्षार्थियों, विशेष कर बच्चों एवं युवाओं के साथ–साथ शिक्षा कर्मचारियों को शारीरिक सामाजिक, प्रभावशाली सुरक्षा दे सकते हैं। हालांकि शिक्षार्थियों पर स्कूल जाने–आने के दौरान अक्सर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरा मंडराता रहता है। सीखने के माहौल में यह भी खतरा रहता है। लड़कियां एवं महिला शिक्षकों पर इसका डर आनुपातिक रूप से अधिक रहता है। इसलिए शिक्षा सेवा प्रदान करने में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि बच्चे स्कूल जाते–आते सुरक्षित रहें और अधिगम माहौल में उनकी पूरी सुरक्षा हो।

औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के अवसर, जो बढ़ते जाएं, प्रदान किए जाने चाहिए। यदि आपदा होने के तुरंत बाद औपचारिक शिक्षा असंभव हो तो शिक्षा कार्यक्रम के तहत मनोरंजन की गतिविधियां (खेल–कूद) होनी चाहिए। बड़े बच्चों के लिए अनौपचारिक गतिविधियां; शामिल करने के कार्यक्रम

(यदि आवश्यक हो); आधारभूत अध्ययन कौशल बनाए रखने एवं विकसित करने के लिए युवाओं को अवसर; और उन बच्चों एवं युवाओं को अनौपचारिक शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण जो आधारभूत शिक्षा आरंभ या पूरा करने से वंचित हों।

आपदा की परिस्थितियों में कुछ समूहों या लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा अधिक कठिन हो सकती है। लेकिन शिक्षा एवं अधिगम अवसरों को लेकर कोई भेदभाव गलत है। शिक्षा प्रबंधकों को चाहिए कि वे कमजोर वर्गों की विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान रखें। विकलांग, किशोर लड़कियां, विरोधी बल के साथ जुड़े बच्चे (सीएएफएफ), अपहृत बच्चे, नाबालिग मांएं आदि विशेष तौर पर कमजोर वर्ग में आती हैं और इन्हें शिक्षा सुनिश्चित करना जरूरी होता है। शिक्षा संबंधी हस्तक्षेप औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। भेदभाव, स्कूल का शुल्क एवं भाषाई अवरोध जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि इन कारणों से कुछ समूह शिक्षा से वंचित न रह जाएं। शिक्षा औपचारिक हो या अनौपचारिक या फिर व्यावसायिक, विशेष तौर पर उन लड़कियों एवं महिलाओं को अतिरिक्त अवसर मिलने चाहिए जिन्हें शिक्षा सुविधा नहीं मिली या जो शिक्षा जारी नहीं रख सकती हैं। यह सुनिश्चित करना शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवश्यक है।

lHkh Jf.k;k ij ykx ekudk d tMko

शैक्षिक कार्यवाही के विकास एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया उसके प्रभावी होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुभाग का उपयोग सभी श्रेणियों के लिए लागू मानकों के साथ किया जाना चाहिए। इन श्रेणियों में शामिल हैं सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय संसाधन, आरंभिक आकलन, कार्यवाही, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। विशेष कर आपदा–पीड़ितों, कमजोर वर्ग समेत, की सहभागिता को अधिक–से–अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि यह समुचित और स्तरीय हो।

U;ure ekud% ये गुणात्मक होते हैं और शिक्षा संबंधी कार्यवाही के प्रावधान में न्यूनतम स्तरों को स्पष्ट करते हैं।

e[; lpd% ये 'संकेतक' हैं जो स्पष्ट करते हैं कि मानकों को प्राप्त किया जा सका या नहीं। ये कार्यक्रमों के साथ–साथ कार्य प्रक्रिया, या लागू पद्धति के प्रभाव की माप और इसकी सूचना देने के माध्यम प्रदान करते हैं।

ekxn'kh fVIif.k;k% ये वे विशिष्ट बिन्दु हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में मानकों और सूचकों को लागू करने के दौरान विचारणीय बिन्दु हैं जो व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने, और सलाह या प्राथमिकता के मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। इनमें मानकों एवं सूचकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी हो सकते हैं और ये दुविधा की स्थिति, विवादों या वर्तमान ज्ञान की त्रुटियों की जानकारी भी दे सकते हैं। परिशिष्ट 2 में संदर्भों की एक विशेष सूची है जो इस अनुभाग से संबद्ध सामान्य मुद्दों एवं विशिष्ट तकनीकी मुद्दों की सूचना के स्रोतों की ओर इशारा करते हैं।

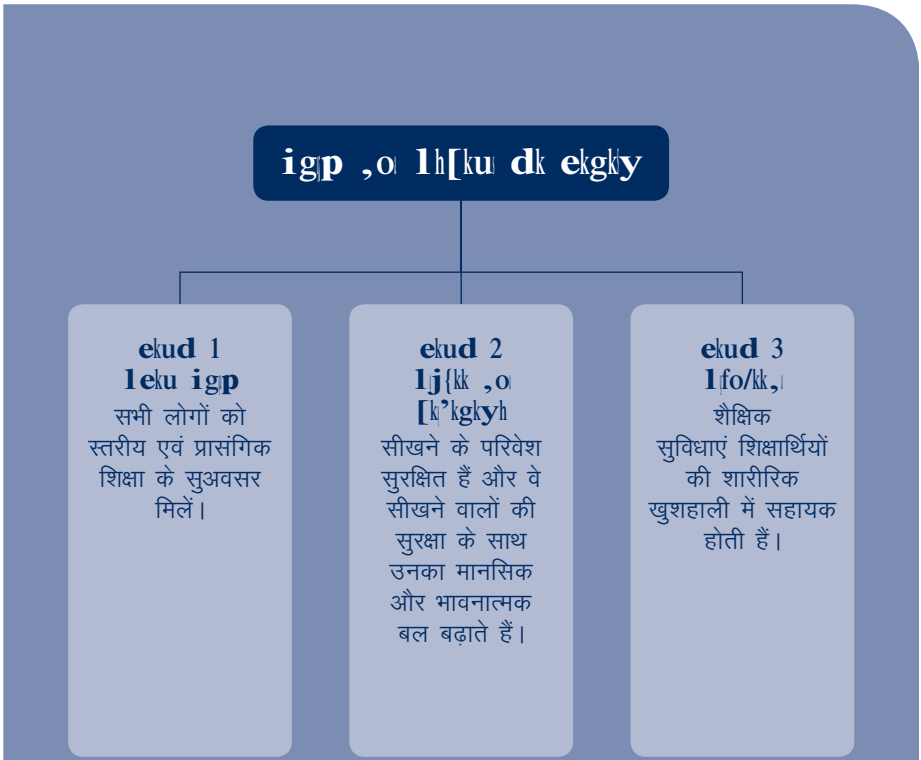

परिशिष्ट 1
मनोवैज्ञानिक–सामाजिक जांच–पत्रक

परिशिष्ट 2
स्कूली आहार कार्यक्रम जांच–पत्रक

संलग्नक 2: संदर्भ एवं संसाधन मार्गदर्शी
सीखने का माहौल एवं पहुंच अनुभाग

lh[kus dk ekgkSy ,oa igqap ekud 1% leku igqap
सभी को स्तरीय एवं प्रासंगिक शिक्षा के सुअवसर मिलें

eq[; lwpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- किसी प्रकार के भेदभाव के चलते किसी व्यक्ति को शिक्षा की सुविधा एवं अधिगम के अवसरों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2)
- दस्तावेज या अन्य आवश्यकताएं नामांकन में बाधक नहीं होनी चाहिए। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)
- औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के अवसरों की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाती है ताकि प्रभावित आबादी के सभी सदस्य शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 4–5)
- प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता के विकास के साथ समुदाय के सभी सदस्यों की गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने में समुदायों की भागीदारी बढ़ती जाती है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 6–7)
- प्राधिकरणों, आर्थिक योगदान देने वालों, गैर–सरकारी संस्थानों और विकास कार्य में संलग्न अन्य साझेदारों एवं समुदायों को पर्याप्त संसाधन मुहैय्या करवाया जाता है ताकि आपदा के सभी चरणों तथा आरंभिक पुनर्निर्माण के दौरान सतत स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हो। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 8)
- शिक्षार्थियों को यह अवसर है कि आपदा के परिणामस्वरूप बाधा खत्म होते ही औपचारिक शिक्षा शुरू या पुनः शुरू कर दें।
- शरण देने वाले देश और/या मूल देश के शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता मिली हो।

ekxZn'khZ fVIif.k;k

1- **HksnHkko** कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं जैसे गरीबी, लिंग, उम्र, राष्ट्रीयता, नस्ल, जात–पात, धर्म, भाषा, संस्कृति, राजनीतिक संबंध, यौन रुझान, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थान या विशेष प्रकार की शिक्षा की जरूरत आदि। हालांकि भेदभाव के अन्य कारण भी हो सकते हैं।

इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स के तहत कहा गया है किः

- अनुच्छेद 2 में शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है जो किसी प्रकार के भेदभाव के बिना हो जैसे नस्ल, रंग, भाषा, धर्म, राजनीति या मत, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति'।
- अनुच्छेद 13 में सभी को शिक्षा के अधिकार की बात को मान्यता दी गई है और यह शिक्षा ऐसी हो कि पूर्ण वैयक्तिक विकास और आत्मसम्मान को बढ़ावा दे, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान में वृद्धि करे। शिक्षा किसी को भी एक स्वतंत्र समाज में सक्रिय रहने में सक्षम बनाए और विभिन्न राष्ट्रों एवं सभी नस्लों, जातीय या धार्मिक समूहों के बीच आपसी समझ, सहनशीलता और मित्रता को बढ़ावा दे। साथ ही, शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ाए। इस अधिकार को पूरी तरह साकार करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 13 के तहत राष्ट्रों से भी यह स्वीकार करने को कहा गया है कि 1) प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क हो, 2) तकनीकी एवं

व्यावसायिक शिक्षा समेत विभिन्न प्रकार की माध्यमिक शिक्षा आम तौर पर सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ हो और इसके लिए हर संभव साधनों का लाभ लिया जाए जिनमें निःशुल्क शिक्षा को भी शामिल किया जाए; 3) उनके लिए मौलिक शिक्षा पर जोर हो या उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए जो अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाएं।

2. आपदा के दिनों में शिक्षा के अधिकारों की घोषणा करते **vrjk"Vªh; lk/kuk ,oa :ijs[kk** की अहमियत बनी रहे। नीचे ऐसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय साधनों के उल्लेख हैं (हालांकि ये साधन इतने तक सीमित नहीं हैं):
   - डकार वर्ल्ड फोरम फ्रेमवर्क फ़ॉर एक्शन – सभी के लिए शिक्षा की वकालत करते हुए इस माध्यम का एक घोषित लक्ष्य है कि 'सरकारें सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और अस्थिरता प्रभावित शिक्षा तंत्रों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें।' शिक्षा कार्यक्रमों का इस प्रकार संचालन करे कि आपसी समझ, शांति और सहनशीलता का विकास हो तथा हिंसा एवं संघर्ष की रोकथाम हो।
   - जिनेवा कन्वेंशन (IV) रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविलियन पर्संस इन टाइम ऑफ़ वार (अनुच्छेद 50): सत्तासीन शक्ति राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों की मदद से उन सभी संस्थानों को सुचारु रखने की सुविधा देगी जो बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के लिए कटिबद्ध हैं'।
   - युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (सीआरसी) के तहत आपातकालीन परिस्थितियों में शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक–सामाजिक एवं अधिगम की स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करने की वकालत है।

3- **Áos'k ,oa ukekadu%** इसमें दस्तावेज संबंधी लचीलापन हो। नागरिकता, जन्म या आयु तथा पहचान प्रमाण पत्रों, स्कूल रिपोर्ट आदि की मांग न की जाए क्योंकि आपदा पीड़ितों के पास ये दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। ऐसे बच्चों एवं युवाओं पर आयु संबंधी सीमाएं लागू न हों। बीच में शिक्षा छोड़ देने वालों (ड्रॉप–आउट) के लिए दूसरी बार नामांकन की अनुमति हो। सबसे दीन–हीन एवं कमजोर शिक्षार्थियों को लक्ष्य बनाया जाए और उन्हें संलग्न किया जाए। सुरक्षा खतरे में हो तो दस्तावेज एवं नामांकन संबंधी बातों को गोपनीय रखा जाए।

4- **f'k{kk ds volj ds foLrkj%** ये अवसर हैं आरंभिक बाल्यावस्था, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जीवनोपयोगी कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा (अक्षर एवं संख्याज्ञान समेत) और जरूरत हो तो त्वरित अधिगम के अवसर। किसी शिक्षार्थी को आपदा से मानसिक आघात हो तो शिक्षा से वंचित रख उसके आघात को और नहीं बढ़ाना चाहिए।

समय–सारणी में लचीलापन हो। स्कूल की अवधि में भी यह लचीलापन हो सकता है। अलग–अलग पालियां हो सकती हैं। बच्चों तक पहुंच कर शिक्षा देने के कार्यक्रम, किशोर मांओं के लिए बच्चों की देखभाल सेवा, कक्षा के साथ हिलने–मिलने में अक्षम बच्चों के लिए सहपाठी सहयोग, और कार्यक्रमों एवं छुट्टियों के समय पठन–पाठन से शिक्षा के अधिक सुअवसर मिल सकते हैं। छोटे बच्चों की कक्षाओं में जबरन बड़े बच्चों को बैठाना (मुख्यधारा में लाने के लिए) या कम उम्र के बच्चों की नियमित कक्षाओं में स्वेच्छा से बड़े बच्चों को शामिल होने देने से दोनों किस्म के बच्चों पर बुरा असर पड़ता है।

कुल मिलाकर सभी के लिए सही मायनों में पढ़ना सफल नहीं हो पाता। बड़े शिक्षार्थियों के लिए अलग कक्षाओं का आयोजन तथा त्वरित पाठ्यचर्या बेहतर विकल्प होंगे जिनका लाभ जरूरत पड़ने पर लिया जाना चाहिए। नियमित स्कूली पाठ्यचर्या को शुरु करने से पहले युवा प्रतिनिधियों, महिला समूहों, अन्य समुदाय सदस्यों और समुदाय प्रमुखों से सलाह आवश्यक है।

आपदा के दौरान और बाद में 'स्कूल मानचित्रण' जैसी तकनीकी का उपयोग आवश्यक है। इससे संभावित शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पहुंचने और कम लागत से यह काम पूरा करने की योजना बन सकती है ताकि आपदा की कार्यवाही में शिक्षा की पूरी कड़ी उपलब्ध हो।

5- **vk;q oxZ** आयु वर्ग (जैसे बच्चों एवं युवाओं के आयु वर्ग) एवं विषय–वस्तु (जैसे आपदा के आरंभिक चरण में जीवनरक्षक सूचनाएं) की प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा के अवसर दिए जाएं। आपदा की स्थिति में सुधार होते ही शिक्षा के अवसर विस्तृत किए जा सकते हैं और सभी आयु वर्ग के लोगों के जीवन में सुधार के दृष्टिकोण से प्रासंगिक माध्यमों को अपनाया जा सकता है।

6- **lekt;d lgHkkfxrk** शिक्षा प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना आवश्यक है। इससे संवादहीनता नहीं होगी। अतिरिक्त संसाधन जुटेंगे। सुरक्षा संबंधी चिंताएं दूर होंगी।

7- **lalk/ku** आर्थिक योगदान करने वालों में लचीलापन हो और वे विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को समर्थन दें ताकि आपदा के आरंभ से लेकर आरंभिक पुनर्निर्माण तक सतत स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हो। अंततः शिक्षा सुविधा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकारों की है जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीयन होता है। आर्थिक योगदान देने वालों में अन्य हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय (द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय), अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय गैर–सरकारी संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, धर्म–संप्रदाय प्रधान संगठन, सार्वजनिक समाज समूह और विकास के अन्य साझेदार। (विश्लेषण मानक 2, पृष्ठ 24 पर मार्गदर्शी टिप्पणी 4 भी देखें)।

संसाधन का तत्काल शिक्षा सुविधा विस्तार पर केंद्रित होना आवश्यक है। हालांकि स्थायित्व, दीर्घकालिक योजना (आपदा के दीर्घकालिक होने की संभावना समेत) एवं भावी पुनर्निर्माण के परिदृश्य पर विचार भी आवश्यक है। संबद्ध प्राधिकारण से सहयोग एवं समन्वयन से स्थिरता आती है। (पृष्ठ 79 पर शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन मानक 3 भी देखें)

आपदा में शीघ्र शैक्षिक कार्यवाही के लिए तुरंत आर्थिक संसाधन चाहिए। आपातकालीन कोश या नए कोश ऐसे संसाधन हो सकते हैं। आपदा दीर्घकालिक हो तो वित्तीयन पर्याप्त होना चाहिए ताकि बच्चों एवं युवाओं की सतत शिक्षा सुनिश्चित हो। इससे वे स्कूल के सामान्य पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। आरंभिक पुनर्निर्माण में राष्ट्रीय एवं स्थानीय शिक्षा प्रशासन के लिए जहां भी जरूरी हो वित्तीयन होना चाहिए। आर्थिक योगदान करने वाले संसाधानों को चाहिए कि वे सभी क्षेत्रों में शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाएं और इसके लिए अस्थायी शरणार्थी शिविर लगाए जा सकें और शिक्षा एवं अधिगम सामग्रियों का प्रावधान किया जा सके।

lh[ku dk ekgky ,o igp ekud 2% lj{kk ,o [k’kgkyh
अधिगम माहौल सुरक्षित हैं, और शिक्षार्थियों की सुरक्षा समेत उनकी मानसिक एवं भावनात्मक खुशहाली को बढ़ावा देते हैं

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- स्कूल एवं अधिगम माहौल आबादियों के करीब हो जिनकी सेवा के लिए वे बने हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2)
- शिक्षण स्थलों का रास्ता सभी के लिए सुरक्षित हो (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)
- सीखने का माहौल उन खतरों से मुक्त हो जो शिक्षार्थियों को हानि पहुंचा सकते हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 4–5)
- सुरक्षा एवं बचाव के लिए शिक्षकों, शिक्षार्थियों एवं समुदाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूद हों।
- शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों को विशेष कौशल प्रदान किए जाते हैं ताकि वे शिक्षार्थियों की भावनात्मक खुशहाली के लिए मनोवैज्ञानिक–सामाजिक समर्थन दे सकें (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 6)
- सीखने के माहौल के लिए उचित स्थान तय करने और शिक्षार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी निर्णय प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी हो।
- शिक्षार्थियों के पोषण एवं अल्पाहार की जरूरतों को पूरा किया जाए ताकि अधिगम स्थान पर प्रभावी काम हो सके। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 7)

ekxn’kZ fVIif.k;k

1- **utnhd** की परिभाषा राष्ट्रीय/स्थानीय मानकों के आधार पर हो। सुरक्षा की समस्या का ध्यान रखा जाए। दूरी अधिक हो तो सहायक ('सेटेलाइट' या 'फीडर') कक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिक चलने से लाचार लोगों जैसे बच्चों या किशोरियों को उनके घर के करीब शिक्षा मिले।

2- **lj{kk%** यदि सामान्य शिक्षा परिसर उपलब्ध नहीं है या असुरक्षित है तो वैकल्पिक स्थानों का चयन किया जाए जो सुरक्षित हों। स्कूलों को सुरक्षा बलों की अस्थायी छावनी में बदलना अनुचित है।

3- **igp ekx%** सुरक्षा प्रदान करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इसके लिए जहां भी आवश्यक हो, स्तरीय और पुलिस और सेना की टुकड़ियों की सतत चौकसी चाहिए। यह सुरक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहुंच मार्ग सभी शिक्षार्थियों एवं शिक्षा कर्मियों (लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, नस्ल, जात–पात या शारीरिक क्षमता के आधार पर भेदभाव बिना) के लिए सुरक्षित हैं समुदायों को यह विचार कर सकारात्मक प्रयासों जैसे वयस्क सहचर के सहयोग पर सहमति कायम करनी चाहिए। यह सामुदायिक शिक्षा समिति के एजेंडे का एक हिस्सा भी हो सकता है।

4- **lj{kk%** शिक्षार्थियों को संभावित खतरों से सुरक्षित रखना चाहिए। इन खतरों में शामिल हैं (सीमित नहीं): प्राकृतिक खतरा, शस्त्र, गोला–बारूद, बारूदी सुरंग, विस्फोट संभावित सामग्रियां, सशस्त्र लोग, लड़ाई के क्षेत्र, राजनीतिक एवं सैन्य धमकियां, और बहाली। विद्यार्थियों, विशेषकर अल्पसंख्यकों एवं लड़कियों से दुर्व्यवहार, हिंसा, जबरन बहाली या

अपहरण का खतरा अधिक रहता है जब वे स्कूल से आते–जाते रहते हैं। इन मामलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए दो सम्मिलित प्रयास किए जा सकते हैंः एक तो सामुदायिक सूचना अभियान चला कर और समुदाय के वयस्क सदस्यों के साथ आने–जाने की व्यवस्था कर। यदि विद्यार्थियों को रात में वापस घर जाने की मजबूरी हो तो उनके कपड़ों या थैलों पर रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिव टेप हो तो बेहतर होगा। फ्लैशलाइट के साथ सहचर की व्यवस्था भी की जा सकती है। जब जहां संभव हो महिलाएं शिक्षा परिसर में मौजूद रहें ताकि महिला शिक्षार्थी का साहस बना रहे। इसके अतिरिक्त, शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं एवं लड़कियों को तंग किए जाने के स्तर का अनुश्रवण भी होना चाहिए।

5- **d{kk dk fg1k jfgr Ác/ku** डराने–धमकाने का अर्थ अन्य बातों के साथ–साथ मानसिक तनाव, हिंसा, दुर्व्यवहार और भेदभाव करना है। शिक्षकों को कक्षा के हिंसा रहित प्रबंधन का प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि डराने–धमकाने के मामले नहीं हों। शारीरिक सजा देने या उसे बढ़ावा देने से परहेज करना चाहिए।

6- **[k'kgkyh** भावनात्मक एवं मानसिक अच्छाई को इस दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति के लिए क्या अच्छा हैः सुरक्षा, बचाव, सेवा की गुणवत्ता, खुशी और शिक्षा प्रबंधकों एवं शिक्षार्थियों के बीच संबंध में गर्मजोशी। शिक्षार्थियों की खुशहाली संबंधी गतिविधियां यह सुनिश्चित करे कि स्पष्ट विकास हो, ठोस सामाजिक संपर्क कायम हो तथा बेहतर स्वास्थ्य हो। खुशहाली सुनिश्चित करने से शिक्षार्थियों के औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता भी सुनिश्चित होती है। (मनोवैज्ञानिक–सामाजिक जांच–पत्रक के लिए पृष्ठ 49 पर देखें परिशिष्ट 1)।

7- **ik"k.k** स्कूली आहार कार्यक्रमों या खाद्य सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण एवं अल्पाहार संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यदि स्कूली आहार कार्यक्रम लागू हों तो अन्य एजेंसियों जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम (स्कूली आहार कार्यक्रम जांच–पत्रक के लिए पृष्ठ 51 पर देखें परिशिष्ट 2) द्वारा मान्य मार्गदर्शन के अनुकूल हों।

lh[kus dk ekgkSy ,oa igqp ekud 3% lqfo/kk,a
शैक्षिक सुविधाएं शिक्षार्थियों की खुशहाली के अनुकूल हैं

e[; lwpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- सीखने की संरचना एवं स्थान सभी की पंहुच में हों भले ही शिक्षार्थी शारीरिक रूप से अक्षम क्यों न हो।
- सीखने का माहौल स्पष्टतः सीमांकित हो और समुचित संकेत भी दिखते हों।
- सीखने के स्थान की भौतिक संरचना परिस्थिति के अनुकूल हो और इसमें कक्षाओं एवं प्रशासन, मनोरंजन तथा स्वच्छता की सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)
- कक्षा के अंदर स्थान और बैठने का क्रम इस प्रकार हो कि शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच स्थान का एक पूर्व निर्धारित अनुपात हो। ग्रेड स्तर पर भी यह अनुपात कायम रहे ताकि सहभागिता की पद्धतियां और शिक्षार्थी–केंद्रित उपागम को बढ़ावा मिले। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)
- सीखने के माहौल के निर्माण एवं देखभाल में समुदायों की भागीदारी हो। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 2)
- सीखने के माहौल में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की आधारभूत बातों को बढ़ावा दिया जाता है।
- उम्र, लिंग और विशेष शिक्षा की जरूरतों के मद्देनज़र स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं दी जाती हैं। विकलांगों की पहुंच को भी सुनिश्चित किया जाता है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)
- सीखने के स्थान पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता के लिए पानी उपलब्ध हो। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 4)

ekxZn'kZd fVIif.k;k

1- **lajpuk%** किसी भौतिक संरचना की उपयुक्तता के लिए कई बातों पर विचार किया जाता है जैसे दीर्घकालिक उपयोग (आपदा के पश्चात), उपलब्ध बजट, सामुदायिक भागीदारी। यह भी देखा जाता है कि क्या स्थानीय प्राधिकरण और/या स्थानीय समुदाय द्वारा उचित लागत से इसकी देखरेख संभव है। संरचना अस्थायी, अर्द्ध–स्थायी, स्थायी, विस्तार स्वरूप या चलायमान हो सकती है।

निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- संरचना तैयार करने के लिए यथासंभव स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों और श्रम का उपयोग करना चाहिए। इसे किफ़ायती बनाने तथा इसके भौतिक अंगों (छतों, फर्श आदि) के टिकाऊ होने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
- पर्याप्त रोशनी, हवा का आवागमन और गर्मी (जहां जरूरत हो) की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गुणवत्तापरक शिक्षा और सीखने का माहौल मिले।
- कक्षा में अधिकतम शिक्षार्थियों को लेकर एक स्थानीय मानक बना लेना चाहिए जो वास्तविकता के करीब हो। यदि नामांकन अधिक हो जाए तो अतिरिक्त कक्षा के लिए स्थान सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास आवश्यक है ताकि उत्तरोत्तर कई पालियों में पढ़ाई हो सके।

- शिक्षा कार्यक्रमों को इसके लिए आरंभ न कर पाना अनुचित है कि सभी आधारभूत संरचनाएं नहीं जुट पाई हैं और पर्याप्त स्थान, जैसा ऊपर कहा गया है, नहीं उपलब्ध हुआ है। आधारभूत संरचना संबंधी सामग्रियों का यथाशीघ्र और जितनी तेजी से संभव हो, आपूर्ति की जाए।

(संबंधित क्षेत्रीय शिविर मानक के लिए एमएसईई सीडी–रोम पर उपलब्ध क्षेत्रीय मानकों के आपसी जुड़ाव के संलग्नक देखें)

2- **1h[ku d ekgky dh n[kHkky** के तहत विभिन्न सुविधाओं (जैसे शौचालय, पानी के पम्प आदि) और फर्नीचर (जैसे डेस्क, कुर्सियां, ब्लैकबोर्ड, कैबिनेट आदि) की देखरेख की जाती है।

3- **LoPNrk 1c/kh 1fo/kkvk** में शामिल हैं ठोस मल की निकासी (कंटेनर्स, वेस्ट पिट), नाला (सोक पिट, नाला तंत्र) और व्यक्तिगत स्वच्छता तथा शौचालय/स्नानघर की सफाई के लिए पानी। सीखने के माहौल में लड़के–लड़कियों के लिए अलग शौच व्यवस्था होनी चाहिए। पर्दा व्यवस्था आवश्यक है। महिलाओं के लिए सैनिटरी सामग्रियों की उलब्धता जरूरी है। (मल निकासी एवं कपड़ों से संबद्ध क्षेत्रीय मानकों के लिए एमएसईई सीडी–रोम के क्षेत्रीय मानक संलग्नक के जुड़ाव देखें)।

4. स्थानीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार **ikuh** अधिगम माहौल के अंदर या करीब होना चाहिए। (जल आपूर्ति स्तर से संबद्ध क्षेत्रीय मानकों के लिए एमएसईई सीडी–रोम के क्षेत्रीय मानक एनेक्सर के लिंक देखें)।

सीखने का माहौल एवं पहुंचः परिशिष्ट

ifjf'k"V 1% eukoKkfud&lkekftd tkp&i=d

सर्वेक्षण की पद्धतियां स्थानीय परिस्थिति एवं संस्कृति पर निर्भर करेंगी। नीचे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की अभिव्यक्ति है जो मनोवैज्ञानिक–सामाजिक खुशहाली एवं बेहतरी के लिए उपयोगी है।

lkekU; ifjfLFkfr;k

- क्या मानसिक आघात की घटनाओं की जड़ में बच्चों के अधिकार के हनन की परिस्थितियां थीं?
- क्या दुर्व्यवहार की परिस्थितियां दूर हुई या अब भी बच्चों एवं उनके परिवार के लिए असुरक्षा का माहौल बना हुआ है?
- क्या परिवार एक साथ रह रहे हैं?
- क्या उन्हें पर्याप्त निजीपन (प्राइवेसी) प्राप्त है?
- परिवार के आत्मसम्मानपूर्ण जीवन यापन और उनके बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और क्या किए जा सकते हैं?
- समुदाय की अन्य सामान्य गतिविधियां क्या हैं जो कठिनाई झेल रहे बच्चों के लिए सहायक हों?
- मनोवैज्ञानिक–सामाजिक तनाव (हताशा) दूर करने के लिए समुदाय में किस तरह की सामान्य व्यवस्था है? उसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है?
- आबादी के जीवन यापन की सामान्य व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल को कैसे प्रभावित करते हैं?
- बच्चों एवं उनके परिवार की जीवन पद्धति में सुधार के कौन–से उपाय लागू किए जा सकते हैं?
- क्या समुदाय में ऐसे लोग हैं जो बच्चों के लिए नियमित गतिविधियों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं जैसे अनौपचारिक शिक्षा, खेल एवं मनोरंजन।

ekrk&firk

- माता–पिता के सामने किस तरह की कठिनाइयां और तनाव हैं जो उनकी खुशहाली को और साथ ही बच्चों की देखभाल को प्रभावित कर रहे हैं?
- इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
- क्या माता–पिता बच्चों को अधिक पीटते देखे जाते हैं जो कि उनकी सांस्कृतिक रूपरेखा के मान्य स्तर से अधिक हो?
- क्या माता–पिता के लिए अवसर मौजूद हैं कि वे अपने और बच्चों के सामने मौजूद हताशाजनक कठिनाइयों पर विचार कर सकें और समर्थन हासिल कर सकें?

cPp

- क्या बच्चों के लालन–पालन एवं देखभाल में कमी है?
- ऐसे बच्चों की देखभाल में सुधार के क्या उपाय किए जा सकते हैं?
- क्या ऐसे बच्चे हैं जो अकेले रह गए हैं?
- क्या ऐसे बच्चे हैं जो हिंसक एवं आक्रामक व्यवहार करते हैं?
- क्या बच्चों को सांस्कृतिक रूप से उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपनी चिंताओं, विचारों एवं सवालों पर चर्चा कर सकें?
- क्या बच्चों के लिए खेल–कूद के अवसर सुलभ हैं?
- क्या अकेले रह गए बच्चों, शिविर में लंबे समय तक रहने वाले और नजरबंद बच्चों की विशेष जरूरतें हैं?

1ok,l

- क्या शिक्षा एवं अन्य प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि बच्चे अधिक विकास के लिए नियमित सहभागिता कर सकें और उन्हें एक बार फिर लयबद्धता प्राप्त हो जाए।
- क्या शरणार्थी वयस्कों एवं बच्चों की सामाजिक सेवाओं तक पहुंच है ताकि वे कठिनाइयां दूर कर सकें?
- क्या शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं समर्थन प्रदान किया जा रहा है? क्या प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी और अन्य सेवा कार्मिक उपलब्ध हैं जो बच्चों की बेहतर देखभाल में सहायक हों?
- क्या मानसिक स्वास्थ्य सेवा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां विशेष हताशा के शिकार बच्चों को उपचार के लिए भेजा जा सके?

स्रोतः यूनिसेफ, 'रिफ्यूजी चिल्ड्रेनः गाइडलाईंस ऑन प्रोटेक्शन एण्ड केयर, यूएनएचसीआर, 1994 से लिया गया।

ifjf'k"V 2% Ldyh vkgkj dk;Øe tkp&i=d

यदि आहार शैक्षिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण संसाधन हो तो निम्नलिखित प्रश्नों को पूछना आवश्यक है:

dk;Øe dk mnn'ks;

- यदि आहार प्रस्तावित है तो इसका उपयोग कैसे होगा? स्कूली आहार, राशन घर ले जाने की सुविधा, काम के लिए आहार, प्रशिक्षण के लिए आहार, शिक्षकों के लिए आहार?
- वर्तमान परिस्थिति में स्कूली आहार कार्यक्रम (या ऐसा कोई अन्य कार्यक्रम) क्यों उचित है?
- इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? क्या आहार के प्रस्तावित उपयोग से शिक्षा के उद्देश्य से पहचान की गई जरूरतें पूरी होंगी? क्या आहार अधिक संख्या में बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करेगा?
- इनमें कौन से उद्देश्य आपदा की स्थिति के लिए हैं?
- क्या आपके पास आवश्यक आंकड़े हैं जो इन उद्देश्यों (पोषण की स्थिति, नामांकन और उपस्थिति के आंकड़े आदि) की पूर्ति की जरूरत को सही ठहरा सकें?

yf{kr vkcknh

- कार्यक्रम के लक्षित लाभान्वित कौन हैं?
- क्या आपके पास आवश्यक आंकड़े हैं जो निर्धारित कर सकें कि कौन–से स्कूल या क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं या सबसे अधिक जरूरतमंद हैं (खाद्य सुरक्षा की स्थिति, साक्षरता के आंकड़े, नामांकन आदि)
- राशन घर ले जाने से कौन–से समूह लाभान्वित हो सकते हैं (जैसे लड़कियां, अल्पसंख्यक आदि)?

{kerk fuekZ.k] LFkkf;Ro ,oa leUo;u

- कार्यक्रम शुरू करने से पहले क्षमता निर्माण की कौन–सी गतिविधियां अनिवार्य हैं?
- क्या स्कूलों में समुचित आधारभूत संरचनाएं हैं जो स्कूली आहार कार्यक्रम को समर्थन दे सकें? (जैसे पानी की सुविधा, पकाने की सुविधा, बरतन आदि)
- विभिन्न समुदायों, माता–पिता और खुद बच्चों के बीच वर्तमान में शिक्षा की क्या मांग है? आहार से इसमें कैसे परिवर्तन हो सकता है?
- विभिन्न समुदाय, माता–पिता, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षाकर्मी आहार कार्यक्रम की शुरुआत को किस नजरिये से देखते हैं? क्या आहार प्रदान करने से समुदायों के अंदर और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा होने या बढ़ने के आसार हैं?
- आहार आपूर्ति शुरू होने से पहले क्या आधारभूत संरचना मौजूद हैं? खरीद और ठेके की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए?
- आहार तैयार करने और बच्चों को प्रदान करने से पूर्व क्या आधारभूत संरचनाएं मौजूद होनी चाहिए?
- कार्यालय, भंडार और परिवहन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? दूरसंचार? वाहन एवं मार्ग?
- क्या शिक्षकों और सामग्रियों की पर्याप्तता है? अतिरिक्त शिक्षार्थियों को शामिल करने और जगह देने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना है? इसकी क्या संभावना है कि आहार की शुरुआत करने से पहले से बोझ तले दबे शिक्षा तंत्र और अस्त–व्यस्त न हो जाएं?
- क्या आदान–प्रदान करने में स्थायित्व होगा? यदि हां, तो कैसे? आहार सहायता को धीरे–धीरे बंद करने की क्या रणनीति होगी? इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- क्या उसी क्षेत्र में या आसपास शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत अन्य मानवतावादी एजेंसियां हैं? क्या वे अपने कार्यक्रमों में आहार को एक संसाधन बनाने की योजना रखते हैं? यदि हां, तो कैसे? क्या वे समन्वयन के लिए तैयार हैं? क्या विभिन्न एजेंसियां आहार का एक समान और निरंतर उपयोग करेंगी? आहार के असमान प्रावधान से कैसे विद्यार्थी और शिक्षक एक स्कूल/क्षेत्र से दूसरे स्कूल/क्षेत्र में चले जा सकते हैं?
- हम पर या हमारे साझेदारों पर कार्मिक संबंधी क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मौजूदा कार्मिकों की संख्या

पर्याप्त है जो वर्तमान दायित्वों से विमुख हुए बिना आहार–सहायता युक्त शिक्षा कार्यक्रमों का प्रबंधन कर सकें?

lkefx;k dk puko ,o ik"k.k lc/kh fopkj

- आप क्या आहार प्रदान करेंगे?
- क्या कार्यक्रम में राशन घर ले जाने की सुविधा होगी? कार्यक्रम का अनुश्रवण कैसे होगा?
- क्या खाद्य सामग्रियां उपलब्ध हैं?
- क्या स्कूली बच्चों में बीमारी, कुपोषण या संक्रमण की विशेष समस्याएं हैं? यदि हां, तो क्या विशेष सामग्रियों के चुनाव या मिला–जुला कर खाद्य पदार्थ तैयार करने के माध्यम से विशेष सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति संभव है?
- सांस्कृतिक रूप से स्कूली बच्चों की आहार संबंधी पसंद क्या है और उन्हें क्या स्वादिष्ट लगता है?

[kk l lj{kk] LokLF; ,o LoPNrk d emnk dk lek/kku

- क्या स्कूलों में साफ–सफाई एवं पेयजल की सुविधा है?
- कार्यक्रम के रूपांकन में प्रशिक्षण को कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि आहार प्रबंधन में लगे लोगों को शिक्षित एवं सशक्त किया जा सके?
- प्रदूषण का खतरा कैसे दूर किया जा सकता है?
- क्या स्कूली बच्चों में पेट के कीड़ों (हेल्मिंथ) का संक्रमण है? यदि हां, तो क्या स्कूली आहार कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से कीड़ों से मुक्ति के उपचार को अनिवार्य हिस्सा माना जाएगा?
- क्या स्कूली बच्चों के लिए वर्तमान में एचआईवी–एड्स रोकथाम के लिए शिक्षा कार्यक्रम हैं?
- कार्यक्रम के रूपांकन में एचआईवी/एड्स रोकथाम शिक्षा को कैसे अहमियत दी जा सकती है?
- यदि शिक्षक एचआईवी/एड्स के शिकार हो जाते हैं तो क्या आपदाकालीन योजना हो सकती है?

le; lhek

- सहायता कार्य की संभावित समय सीमा क्या हो सकती है?
- कार्य के प्रत्येक चरण के लिए क्या आंकड़े उपलब्ध हैं? (आरंभिक आकलन, आधारभूत अध्ययन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- आहार कब उपलब्ध होगा?
- कार्यक्रम शुरू करने से पहले क्षमता निर्माण की क्या गतिविधियां हो सकती हैं और क्या होगी कार्यक्रम के शुभारंभ की संभावित तिथि?
- राहत कार्य (और बाद में रिकवरी) संबंधी सहायता किस प्रकार चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जाएगा? और विकास के नए चरण में आसानी से कैसे प्रवेश किया जा सकता है?

vkfFkd ;kxnku nu oky

- आर्थिक योगदान कौन दे सकते हैं? आर्थिक संसाधन कब उपलब्ध होंगे?
- क्या आर्थिक योगदान देने वालों के समक्ष एक आदर्श कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक एवं विस्तृत कार्यक्रम प्रस्ताव तैयार है?
- आर्थिक योगदान देने वालों से कब तक खाद्य सहायता मिलती रहेगी? कई माह, 1–2 साल, 5–10 साल? (यदि आहार सिर्फ कुछ महीनों के लिए उपलब्ध हो तो बेहतर होगा कि इसका उपयोग शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए हो न कि स्कूली आहार कार्यक्रम के लिए जिसे स्थापित करने में उतना समय तो लग ही जाएगा)

स्रोतः वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, प्लानिंग फ़ॉर स्कूल फीडिंग इन द इमरजेंसी सेटिंग–सिचुएशन एनालिसिस, डिज़ायनिंग द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, 2004 http://www.wfp.org, और कैथलिक रिलीफ सर्विसेज़, चेकलिस्टः डिटरमाइनिंग व्हेदर टू यूज़ फूड ऐज़ ए रिसोर्स, www.crs.org

3. शिक्षण एवं सीखना

ifjp;

1Hkh f'k{kk Ác/kdk d fy, ;g r; djuk dfBu gkrk g fd D;k i<kuk egRoi.k gA fo'k"kdj vkink d fnuk vkipkfjd ;k vukipkfjd f'k{kk 1c/kh db enndk ij fu.k; vkj Hkh egRoi.k gk tkrk g tc1 ey n'k dk gk ;k 'kj.k nu oky n'k dk(vkj 1h[ku dh D;k ÁkFkfedrk, gkA ;g thoup;k] 0;kol k;fd dk'ky ;k i.kr% 'kf{kd gkA ikB;p;k 1'kk/ku ;k u, f1j 1 fodk1 dh vko';drk Hkh gk 1drh gA

यह जरूरी है कि शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिक हो। इसके लिए आवश्यक है कि समुदाय के साथ मिलकर काम किया जाए और उसके निर्देशानुसार शिक्षा संबंधी जरूरतें तय की जाएं। सामान्यतया इसका अर्थ होता है मौजूदा शिक्षा तंत्र, यदि हो, तो उसके साथ काम करना न कि अलग संरचना विकसित करना। इसका अर्थ है अधिगम के विषय–वस्तु संबंधी निर्णय समेत शिक्षा संबंधी सभी प्रयासों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी। लागू पाठ्यचर्या में मौजूदा एवं भावी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। इस प्रकार उन सूचनाओं से भी तालमेल हो जो संकटकालीन बदली परिस्थिति में समुदाय के लिए आवश्यक है जैसे जीवनोपयोगी कौशल, शांति की शिक्षा, नागरिक शिक्षा, बारूदी सुरंगों की जागरूकता, स्वास्थ्य, पोषण, एचआईवी/एड्स, मानवाधिकार और परिवेश। स्कूल जाने से अक्षम बच्चों के लिए जीवनोपयोगी कौशलों की शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। उनके मां–बाप, बड़े–बुजुर्ग और अन्य दीन–हीन समूहों को भी यह शिक्षा उपलब्ध हो।

आपदाकालीन शिक्षा कार्यक्रम एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक–सामाजिक हस्तक्षेप है। इससे एक परिचित सीखने का माहौल, नियमित समय–सारणी की उपलब्धि होती है और भविष्य में उम्मीद की किरण का अहसास होता है। शिक्षा प्रबंधन में सहायक सभी लोगों, विशेष कर शिक्षकों एवं प्रशासकों, को चाहिए कि अपनी भूमिका को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्राप्त करें ताकि शिक्षार्थियों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रभाव नहीं पड़े।

शिक्षा सेवाओं में यह मान्यता अवश्य हो कि लोगों के सीखने की पद्धति अलग होती है; सीखने में लगा समय अलग हो सकता है; और अधिगम प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सक्रिय होनी चाहिए।

प्रभावी अधिगम के लिए सहभागितापूर्ण शिक्षण एवं अधिगम तकनीकियां, शिक्षार्थी–केंद्रित पद्धतियों समेत, महत्वपूर्ण हैं। शिक्षार्थी–केंद्रित पद्धतियों में पूरे व्यक्तित्व की जरूरतों को पूरा करना चाहिए जैसे जीवन यापन के लिए आवश्यक शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक संबंध, और शिक्षा संबंधी ज्ञान। वयस्कों के लिए सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है और यह अनुभवप्रधान है। उनका अधिगम उच्च स्तरीय होगा बशर्ते कुछ उद्देश्य, मूल्य और प्रासंगिकता दिखे। इसके लिए अपने अधिगम में उन्हें सक्रिय सहभागिता का अवसर मिलना भी जरूरी होता है।

शिक्षक प्रशिक्षित न हों तो न केवल मौलिक विषयों बल्कि आपदा की परिस्थिति संबंधी विषयों में भी उनका प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। लक्षित आबादी की मनोवैज्ञानिक–सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है।

समुदाय के लोग जानना चाहते हैं कि सरकारों द्वारा उनके बच्चों की शिक्षा को मान्यता मिलेगी या नहीं और वे उच्च शिक्षा और रोजगार प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। उनकी असली चिंता यह रहती है कि सरकारें, शिक्षा संस्थान और नियोक्ता उनकी पाठ्यचर्या और प्राप्त प्रमाण पत्रों को मान्यता देंगे या नहीं। स्नातक के प्रमाण पत्र न केवल छात्र–छात्राओं के प्रदर्शन को मान्यता देते हैं बल्कि उनकी उपलब्धियों को भी मान्यता प्रदान करते हैं और स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। शरणार्थी की स्थिति हो तो प्रमाण देने के लिए शरणार्थी शिविर और मूल राष्ट्र दोनों के साथ व्यापक समझौता करना पड़ता है। आदर्श तो यह है कि शरणार्थी की स्थिति दीर्घकालिक हो जाए तो पाठ्यचर्या 'दो तरफा' हों और दोनों देशों (मूल एवं शरण देने वाले देश) में मान्य हों। इसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं अंतः–संस्थागत समन्वयन की आवश्यकता पड़ती है ताकि शिक्षा की गतिविधियों और विभिन्न देशों में शरण लेने वाले मामलों के बीच तालमेल हो।

lHkh Jf.k;k d fy, ykx ekudk d ijLij tqMko

किसी शैक्षिक कार्यवाही के प्रभावी होने के लिए उसकी विकास प्रक्रिया और क्रियान्वयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस अनुभाग का उपयोग सभी श्रेणियों के लिए लागू मानकों के लिए किया जाना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय संसाधन, आरंभिक आकलन, कार्यवाही, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि इन श्रेणियों में शामिल हैं। विशेषकर आपदा प्रभावित लोगों–कमजोर वर्ग समूह समेत–की सहभागिता अधिकतम करने की जरूरत है ताकि यह समुचित और गुणवत्तापरक हो।

U;wure ekud ये गुणात्मक स्वरूप के होते हैं और शिक्षा संबंधी कार्यवाही के प्रावधान में न्यूनतम स्तरों को स्पष्ट करते हैं।

e[; lwpd ये 'संकेतक' हैं जो स्पष्ट करते हैं कि मानकों को प्राप्त किया जा सका या नहीं। ये कार्यक्रमों के साथ–साथ कार्य प्रक्रिया, या लागू पद्धति के प्रभाव की माप और इसकी सूचना देने के माध्यम प्रदान करते हैं।

ekxZn'kh fVIif.k;k ये वे विशिष्ट बिन्दु हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में मानकों और सूचकों को लागू करने के दौरान विचारणीय बिन्दु के आधार प्रदान करते हैं जो व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने, और सलाह या प्राथमिकता के मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। इनमें मानकों एवं सूचकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी हो सकते हैं और ये दुविधा की स्थिति, विवादों या वर्तमान ज्ञान की त्रुटियों की जानकारी भी दे सकते हैं। परिशिष्ट 2 में संदर्भों की एक विशेष सूची है जो इस अनुभाग से संबद्ध सामान्य मुद्दों एवं विशिष्ट तकनीकी मुद्दों की सूचना के स्रोतों की ओर इशारा करती हैं।

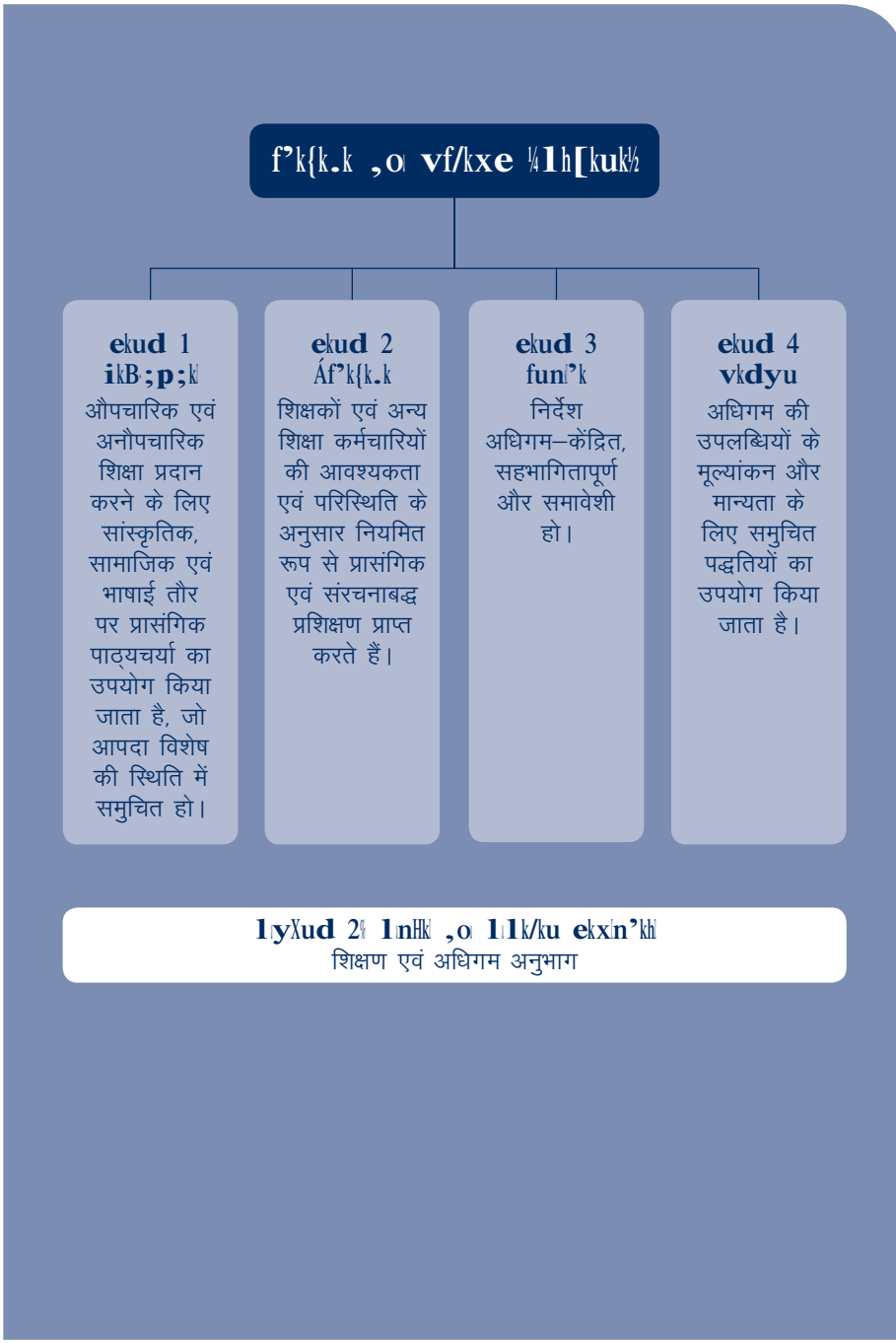

f'k{k.k ,o vf/kxe ¼lh[kuk½

ekud 1
ikB;p;k

औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषाई तौर पर प्रासंगिक पाठ्यचर्या का उपयोग किया जाता है, जो आपदा विशेष की स्थिति में समुचित हो।

ekud 2
Áf'k{k.k

शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार नियमित रूप से प्रासंगिक एवं संरचनाबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

ekud 3
funs'k

निर्देश अधिगम–केंद्रित, सहभागितापूर्ण और समावेशी हो।

ekud 4
vkdyu

अधिगम की उपलब्धियों के मूल्यांकन और मान्यता के लिए समुचित पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।

lyXud 2½ lnHk ,o lk/ku ekxn'kh
शिक्षण एवं अधिगम अनुभाग

f’k{k.k ,oa lh[kus dk ekud 1% ikB~;p;kZ

औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषाई तौर पर प्रासंगिक पाठ्यचर्या का उपयोग किया जाता है, जो आपदा विशेष की स्थिति में समुचित हो।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- आपदा पीड़ित शिक्षार्थियों की उम्र या विकास स्तर, भाषा, संस्कृति, क्षमताओं और जरूरतों के अनुसार मौजूदा पाठ्यचर्या की समीक्षा की जाती है। आवश्यकतानुसार पाठ्यचर्या का उपयोग, अनुकूलन या समृद्ध बनाने का काम किया जाता है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–3)
- पाठ्यचर्या विकसित करने या अनुकूल बनाने की आवश्यकता हो तो यह कार्य सभी संबंधित व्यक्तियों की सार्थक सहभागिता से हो तथा शिक्षार्थियों के हित और जरूरतों का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाए। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–3)
- पाठ्यचर्या आपदा के निर्धारित चरणों के मद्देनज़र जीवनोपयोगी कौशलों, साक्षरता, संख्याज्ञान और मौलिक शिक्षा की अंतर्भूत क्षमताओं पर केंद्रित हों (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 4–5)
- पाठ्यचर्या शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक खुशहाली संबंधी जरूरतों को पूरा करता हो ताकि वे आपदा के दौरान और बाद में जिन्दगी की कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकें। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 6)
- अधिगम की विषय–वस्तु, सामग्रियां एवं निर्देश शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों की भाषा (भाषाओं) में हो। विशेष कर अधिगम के आरंभिक वर्षों में यह जरूरी है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 7)
- पाठ्यचर्या एवं निर्देश की पद्धतियां ऐसी हों कि शिक्षार्थियों की मौजूदा जरूरतों को पूरा कर सकें और भविष्य में अधिगम के अवसर को बढ़ावा दे सकें। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 8)
- पाठ्यचर्या एवं निर्देश सामग्रियां लैंगिक रूप से संवदेनशील हों तथा विविधता को मान्यता दे तथा शिक्षार्थियों के लिए सम्मान भावना को बढ़ावा दे। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 9)
- आवश्यकतानुसार समय पर पर्याप्त शिक्षण एवं अधिगम सामग्रियों की आपूर्ति की जाती है ताकि संबद्ध शैक्षिक गतिविधियों को सहयोग मिले। स्थायित्व के दृष्टिकोण से स्थानीय सामग्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 10)

ekxZn’khZ fVIif.k;k

1- **ikB~;p;kZ dh ifjHkk"kk ,d dk;Z ;kstuk ds :i esa dh tk ldrh gS** जो शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं कौशल का आधार व्यापक बना सकें। न्यूनतम मानकों के दृष्टिकोण से 'पाठ्यचर्या' शब्द का उपयोग एक व्यापक शब्द के रूप में किया गया है जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों के लिए लागू है। इसमें शामिल हैं अधिगम के उद्देश्य, सीखने की विषय–वस्तु, शिक्षण की पद्धतियां एवं तकनीकियां, निर्देश संबंधी सामग्रियां, और आकलन की पद्धतियां। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसी पाठ्यचर्या पर आधारित हों जो शिक्षार्थियों के ज्ञान और अनुभव का विकास कर सके और मौजूदा परिस्थिति के अनुसार हो। न्यूनतम मानकों के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं का उपयोग किया गया है:
   - सीखने के उद्देश्यों में ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं प्रवृत्तियों की पहचान की जाती है जिनका शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विकास किया जाएगा;

- सीखने की विषय–वस्तु वह सामग्री (ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं प्रवृत्तियां) है जिसका अध्ययन करना है या जो सीखने योग्य हैं;
- शिक्षण की पद्धतियों से अर्थ उस उपागम से है जिसे अधिगम की विषय–वस्तु की प्रस्तुति के लिए चुना और उपयोग किया गया;
- शिक्षण की तकनीकी या उपागम पद्धति का एक घटक है और इसमें शामिल है वह प्रक्रिया जो संपूर्ण पद्धति को पूरा करने में प्रयुक्त होती है; और
- निर्देश सामग्रियों से अर्थ है किताबें, पोस्टर और अन्य प्रकार की शिक्षण एवं अधिगम सामग्रियां।

प्रासंगिक औपचारिक एवं अनौपचारिक पाठ्यचर्याओं में सीखने की गुणवत्तापरक सामग्रियां होनी चाहिए जो लैंगिक रूप से संवेदनशील, अधिगम के स्तर के अनुकूल और शिक्षको एवं शिक्षार्थियों दोनों की समझ में आने वाली भाषा (भाषाओं) में हो। सहभागितापूर्ण पद्धतियां पाठ्यचर्या का हिस्सा स्वरूप हो ताकि शिक्षार्थी अपने अधिगम में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

2- **me ,o fodkl dk Lrj dk vuqdwy%** यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या का परीक्षण हो कि वे न केवल उम्र के हिसाब से अनुकूल हैं बल्कि विकास के स्तर भी शिक्षार्थियों की प्रगति के अनुकूल हैं। आपदा के दिनों औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों में उम्र एवं विकास के स्तर भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए पाठ्यचर्या के साथ–साथ पद्धतियों के अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। 'उम्र के अनुकूल' का अर्थ है वास्तविक उम्र जबकि 'विकास के अनुकूल' का अर्थ है शिक्षार्थियों की वास्तविक जरूरतों एवं उनके स्पष्ट विकास के अनुकूल।

3- **ikB;p;kZ dk fodkl%** यह प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है। लेकिन आपदा के दिनों में पाठ्यचर्या या तो शरण देने वाले देश या मूल देश से ले ली जाती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शीघ्रता से आरंभ होने वाली औपचारिक एवं अनौपचारिक पाठ्यचर्या में सभी शिक्षार्थियों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाए। ऐसे शिक्षार्थियों में विरोधी बलों से जुड़े बच्चे शामिल हो सकते हैं जैसे (सीएएफएफ), लड़कियां, अपने ग्रेड स्तर से अधिक उम्र के शिक्षार्थी, स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ चुके बच्चे और वयस्क शिक्षार्थी। समान रूप से महत्वपूर्ण यह है कि सभी संबंधित व्यक्ति पाठ्यचर्या के रूपांकन और शिक्षा कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा में सक्रिय सहभागिता करें। इसके लिए शिक्षार्थियों, समुदाय के सदस्यों, शिक्षकों, फैसिलिटेटरों, शिक्षा अधिकारियों, और कार्यक्रम प्रबंधकों समेत कार्यकर्ताओं की पूरी शृंखला से सलाह–संपर्क आवश्यक है।

आपदा के दौरान या बाद में औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने की बात हो तो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या का उपयोग किया जाए और यदि जरूरी हो तो उन्हें अनुकूल और बेहतर बनाकर मान्यता भी दी जाए। शरणार्थियों के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उनके मूल देश के पाठ्यचर्या को अपनाना उचित होगा ताकि स्वैच्छिक रूप से उनकी वापसी हो सके हालांकि ऐसा हमेशा संभव या तर्कसंगत नहीं होता है। शरणार्थी और आश्रय देने वाले दोनों देशों के दृष्टिकोणों पर इन निर्णयों के मद्देनज़र पूर्ण विचार आवश्यक है।

आदर्शतः लंबे समय तक शरणार्थी की स्थिति कायम रहे तो पाठ्यचर्या का 'दोतरफा' होना आवश्यक है। मूल एवं आश्रय देने वाले दोनों देशों के लिए वे स्वीकार्य हों। इसके लिए व्यापक क्षेत्रीय एवं अंतः–संस्थागत समन्वयन की आवश्यकता होगी ताकि विभिन्न देशों में शरणार्थी के ढेर मामलों के साथ शैक्षिक गतिविधियों का तालमेल हो सके। निर्णय योग्य विशेष मुद्दों में शामिल हैं भाषाई कौशल और प्रमाण प्राप्त करने के लिए परीक्षा परिणामों को मान्यता।

4- **lefpr funl'ku i)fr;k** विकसित की जानी चाहिए और ये संदर्भ, जरूरतों, उम्र और शिक्षार्थियों की क्षमताओं के अनुकूल हों। आपदा के आरंभिक चरणों में नई पद्धतियों के क्रियान्वयन का काम अनुभवी शिक्षकों के साथ–साथ शिक्षार्थियों, माता–पिता और समुदाय के सदस्यों के लिए तनाव पूर्ण हो सकता है। उनकी नजर में यह भारी और बहुत तेज बदलाव हो सकता है। आपदा के दौरान या आरंभिक पुनर्निर्माण के समय शिक्षा शिक्षकों को औपचारिक व्यवस्था में परिवर्तन का अवसर प्रदान करे। लेकिन निर्देशन की अधिक सहभागिता या शिक्षार्थी–अनुकूल पद्धतियों में प्रवेश की प्रक्रिया बहुत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ पूरी होनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा की कार्यवाही के साथ शिक्षार्थी–केंद्रित उपागम अधिक तीव्रता से पेश किए जाएं। स्वयंसेवियों, एनीमेटर और फैसिलिटेटर के माध्यम से यह काम किया जा सकता है।

5- **vrHkkr {kerk,** अधिगम की विषय–वस्तु या शिक्षक प्रशिक्षण सामग्रियों के विकास या अनुकूलन के पहले अंतर्भूत क्षमताओं की पहचान कर लेनी चाहिए। कार्यपरक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और 'आधारभूत शिक्षा की अंतर्भूत क्षमताओं' का अर्थ वे अनिवार्य ज्ञान, कौशल प्रवृत्तियां, प्रचलित पद्धतियां हैं जो आपदा–प्रभावित आबादी में किसी शिक्षार्थी के लिए आवश्यक हैं ताकि वह समुदाय या देश के सदस्य की तरह सक्रिय और सार्थक सहभागिता कर सके।

6. संकट और रिकवरी समेत आपदा के सभी चरणों में शिक्षार्थियों के साथ–साथ शिक्षा कार्मिकों के **eukoKkfud&lkekftd vko';drk, vkj fodkl** पर विचार करना चाहिए। सभी शिक्षा कार्मिकों, औपचारिक और अनौपचारिक, को यह प्रशिक्षण हो कि वे शिक्षार्थियों में तनाव के संकेत पहचान सकें और अधिगम माहौल में ऐसे व्यवहार को दूर करने के उपाय और समुचित कार्यवाही कर सकें। शिक्षा कार्मिकों के सामने ऐसे मामलों को संबंधित जगह या संस्था में भेजने की स्पष्ट व्यवस्था हो ताकि अधिक तनावग्रस्त शिक्षार्थी को अतिरिक्त सहयोग के लिए भेजा जा सके। मानसिक आघात वाले बच्चों एवं युवाओं की शिक्षण पद्धतियों में सुनियोजित संरचना, ध्यान केंद्रित रखने के लिए अधिगम की लघु अवधि की कक्षा, सकारात्मक अनुशासनात्मक पद्धतियां, अधिगम की गतिविधियों और सहयोगपूर्ण खेल में सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

चूंकि अक्सर शिक्षा कार्मिक स्वयं प्रभावित आबादी से आते हैं और उनके सामने भी शिक्षार्थियों जैसे मानसिक आघात या तनाव की स्थिति होती है, उनकी मनोवैज्ञानिक–सामाजिक जरूरतों पर विचार आवश्यक हो जाता है। प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं अगली कार्यवाही स्वरूप सहयोग के तहत इन कारकों पर अवश्य विचार किया जाए।

(मनोवैज्ञानिक–सामाजिक जांच–पत्रक के लिए पृष्ठ 49 पर देखें सीखने का माहौल एवं पहुंच परिशिष्ट 1; पृष्ठ 45 पर सीखने का माहौल एवं पहुंच मानक 2; तथा पृष्ठ 71 पर शिक्षक एवं अन्य शिक्षा कर्मचारी मानक 3 भी देखें)

7- Hkk"kk% शरण देने वाले देश का यह दबाव देना आम बात है कि शरणार्थियों के शिक्षा कार्यक्रम उनके मानकों पर तैयार हो और शिक्षा उन देशों की भाषा (भाषाओं) में दी जाए और पाठ्यचर्या भी उन देशों के अनुसार हो। शिक्षार्थियों, विशेषकर आपदा के बाद शिक्षा जारी रखने के इच्छुक शरणार्थियों, के भविष्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मानवतावादी संगठनों को चाहिए कि शरण देने वाले देशों के समक्ष शरणार्थी की मातृभाषा या मूल देश की भाषा में अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी जा सके। अनुमति मिलने पर अधिगम की सभी महत्वपूर्ण विषय–वस्तु, शिक्षक मार्गदर्शी, शिक्षार्थी की पाठ्य सामग्री और शिक्षार्थी एवं शिक्षक की घरेलू भाषा में नहीं उपलब्ध हो तो अन्य लिखित एवं ऑडियो–विजुअल सामग्रियों का निर्देश की भाषा में अनुवाद करना होगा। यदि इसकी अनुमति न हो तो शिक्षार्थी की भाषा में पूरक कक्षाओं एवं गतिविधियों का विकास करना होगा।

8- lh[kus dh fo"k;&oLrq ,oa e[; ifjdYiuk% सीखने की विषय–वस्तु तय करते वक्त ज्ञान, कौशल एवं भाषा पर विचार करना चाहिए जो आपदा के प्रत्येक चरण में शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी हो। उन कौशलों के विकास पर विचार हो जो उन्हें स्वतंत्र, सार्थक जीवन यापन, आपदा एवं उसके बाद, का रास्ता दिखाए और वे अधिगम के अवसर उनकी पहुंच में बने रहें।

अधिगम की उपयुक्त विषय–वस्तु एवं मुख्य परिकल्पना निम्नलिखित बातों पर आधारित हों:

- कौशल–आधारित स्वास्थ्य शिक्षा (उम्र एवं परिस्थिति के अनुकूल); प्राथमिक उपचार, प्रजनन स्वास्थ्य, यौन संबंध से संक्रमण, एचआईवी/एड्स;
- मानवाधिकार एवं मानवतावाद के नियम; सक्रिय नागरिकता; शांति निर्माण/शिक्षा; अहिंसा; सशस्त्र संघर्ष की रोकथाम/प्रबंधन/समाधान; बच्चों की सुरक्षा; सुरक्षा एवं बचाव;
- सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, खेलकूद आदि;
- नए माहौल में जीवनयापन के लिए आवश्यक सूचना; बारूदी सुरंग एवं विस्फोट संभावित गोला–बारूद से सतर्कता; तेजी से आपदाग्रस्त स्थान खाली करने और सेवाएं प्राप्त करने की जानकारी;
- बच्चों का विकास एवं किशोरावस्था; और
- जीवनयापन के कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा।

9- fofo/krk% आपदा के सभी चरणों में शिक्षा संबंधी गतिविधियों के रूपांकन और क्रियान्वयन में विविधता पर विचार आवश्यक है। विशेषकर विविध पृष्ठभूमि से संबद्ध शिक्षार्थियों और शिक्षकों/फैसिलिटेटरों के समावेश तथा सहनशीलता एवं सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह विचार जरूरी है। विविधता में वृद्धि के लिए विचाराधीन विभिन्न पहलुओं में अन्य बातों के अलावा शामिल हैं लिंग, संस्कृति, राष्ट्रीयता, जातीयता, धर्म, अधिगम क्षमता, शिक्षार्थी (जिसे विशेष शिक्षा चाहिए), और बहुस्तरीय एवं विभिन्न उम्र के लिए निर्देश।

10-LFkkuh; rkj ij miyC/k lkefxz;k का अनुमान आपदा की घटना के तुरंत बाद आवश्यक है। शरणार्थियों के मामलों में उनके देश या मूल स्थान की सामग्रिया भी शामिल हैं। पर्याप्त मात्रा में सामग्रियों का अनुकूलन, विकास या खरीद हो। सभी सामग्रियों के भंडारण, वितरण एवं उपयोग का अनुश्रवण आवश्यक है। अधिगम की विषय–वस्तु ऐसे हों कि शिक्षार्थी उनसे खुद को जोड़ सकें और सामग्रियां ऐसी हो कि शिक्षार्थी की संस्कृति का सम्मान दिखे और संस्कृति को सम्मानित करे।

f’k{k.k ,o lh[ku d ekud 2% Áf’k{k.k

शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार नियमित रूप से प्रासंगिक एवं संरचनाबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं की प्राथमिकता, शिक्षा की गतिविधियों के उद्देश्य और अधिगम की विषय–वस्तु के अनुकूल हो (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2)।
- जहां उचित हो, प्रशिक्षण को संबद्ध शिक्षा प्राधिकरणों का अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त हो (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 3–4)।
- योग्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का संचालन करते हैं और कार्यक्षेत्र एवं ओरियंटेशन प्रशिक्षण में निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाता है; समुचित ध्यान रखने, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण का प्रावधान किया जाता है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 4)।
- प्रशिक्षण (निरंतर अनुश्रवण के साथ) शिक्षकों को सीखने के माहौल की सुविधा बनाने में प्रोत्साहित रखता है; शिक्षण की सहभागिता की पद्धति को बढ़ावा देता है; तथा शिक्षण में सहायक सामग्रियों के उपयोग का प्रदर्शन करता है।
- प्रशिक्षण की विषय–वस्तु का नियमित मूल्यांकन होता है ताकि पता चले कि यह शिक्षकों, शिक्षार्थियों एवं समुदाय की जरूरतों को पूरा करता है या नहीं तथा आवश्यक हो तो इसमें संशोधन किया जाता है।
- प्रशिक्षण से शिक्षक नेतृत्व की भूमिका के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करते हैं। समुदाय को उनसे इस कौशल की आवश्यकता पड़ सकती है।

ekxn'kh fVIif.k;k

1- ^f'k{kd* के दोनों अर्थ हो सकते हैं: आपैचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के निर्देशक और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के फैसिलिटेटर्स या एनीमेटर्स (नियुक्ति एव चयन, कार्य परिस्थिति और सहयोग एवं पर्यवेक्षण संबंधी जानकारी के लिए पृष्ठ 68–71 पर देखें शिक्षक एवं अन्य शिक्षा कर्मचारी के मानक 1–3)।

2- Áf'k{k.k ikB~;p;k ,o fo"k;&oLrq dk fodkl इस प्रकार हो कि यह परिस्थिति विशेष में शिक्षा कार्मिकों की विशेष जरूरतों पर आधारित हो; बजट और समय सीमा में हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आपदा के दौरान मूल्य–आधारित शिक्षा की चुनौतियों से निपटना होगा। इसमें जीवनोपयोगी कौशलों एवं शांति शिक्षा को भी स्थान प्राप्त हो।

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में शामिल (सीमित नहीं) हैं: विषय का मौलिक ज्ञान; शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण पद्धतियां; बाल विकास; वयस्क शिक्षा; विविधता के प्रति सम्मान; विशेष प्रकार की शिक्षा के जरूरतमंद लोगों की शिक्षा; मनोवैज्ञानिक–सामाजिक आवश्यकताएं एवं विकास; सशस्त्र संघर्ष की रोकथाम/समाधान एवं शाति शिक्षा; मानवाधिकार एवं बाल अधिकार; आचार संहिता; शिक्षकों के लिए जीवनोपयोगी (एचआईवी/एड्स समेत) कौशल; स्कूल–समुदाय संबंध; सामुदायिक संसाधनों का उपयोग; और चलायमान या वापस लौटती आबादी (जैसे आंतरिक विस्थापित या शरणार्थी) की जरूरतों को समझना एवं पूरा करना।

3- Áf'k{k.k lg;kx ,o leUo;u आपदा रूपी तूफान गुजर जाने के बाद जब भी संभव हो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों और सामुदायिक शिक्षा समितियों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण गतिविधियों के रूपांकन एवं क्रियान्वयन में संलग्न हो जाना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि सेवारत शिक्षकों के साथ पाठ्यचर्या तथा प्राप्त प्रशिक्षण की मान्यता के तंत्र पर आपदा संबंधी कार्यवाही के आरंभ में ही संवाद शुरू कर दिया जाए। हालांकि शरणार्थी मामलों में कई बार शरणार्थी समुदाय और इनके शिक्षा कार्यक्रमों और स्थानीय शिक्षा तंत्र के बीच कोई संपर्क नहीं होता है।

यदि संभव हो तो स्थानीय प्रशिक्षकों की पहचान की जाए जो शिक्षकों के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास एवं क्रियान्वयन कर सकें। साथ ही, फैसिलिटेशन और प्रशिक्षण कौशलों का जरूरत के अनुसार विकास कर सकें। प्रशिक्षकों की संख्या सीमित हो या वे खुद पूरी तरह से प्रशिक्षित न हों तो बाहरी संस्थाओं (जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संस्थान) और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्थानों को चाहिए कि वे समन्वयन के साथ मौजूदा या संक्रमण कालीन संरचनाओं और संस्थानों, जो सेवारत एवं सेवा–पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, को मजबूती प्रदान करें।

4- igpku ,o eU;rk राष्ट्रीय एवं स्थानीय शिक्षा प्राधिकरणों से अनुमोदन एवं मान्यता की मांग की जाती है। इसकी दो वजहें हैं। एक तो यह है कि तात्कालिक परिस्थिति में गुणवत्ता और मान्यता मिले और दूसरा यह कि आपदा के बाद की स्थिति के मद्देनज़र अनुमोदन और मान्यता चाहिए होती है। शरणार्थी शिक्षकों की स्थिति में शरण देने वाले या मूल देश/क्षेत्र के

शिक्षा प्राधिकरणों, या इनमें कम–से–कम किसी एक के द्वारा प्रशिक्षण मान्य हो। इस उद्देश्य से अनिवार्य है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना अच्छी हो और संबद्ध दस्तावेज भी करीने से हों; शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा तय शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता को पूरा करते हों तथा आपदा संबंधित अन्य बातों को भी कार्यक्रम में अहमियत मिले।

f’k{k.k ,o lh[ku d ekud 3% fun’ku

निर्देशन अधिगम–केंद्रित, सहभागितापूर्ण और समावेशी हो।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- शिक्षार्थियों को अवसर दिए जाते हैं कि वे अपने अधिगम में सक्रिय सहभागिता कर सकें (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)
- सहभागिता की पद्धतियां अपनाई जाती हैं ताकि शिक्षार्थियों को अधिगम में संलग्न होने की बेहतर सुविधा मिले और सीखने के माहौल में सुधार हो।
- शिक्षार्थियों के साथ सलाह–संपर्क एवं प्रयोग के माध्यम से शिक्षक पाठ की विषय–वस्तु की समझ का प्रदर्शन करते हैं तथा प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के दौरान प्राप्त शिक्षण कौशल का प्रदर्शन कर सकें।
- विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के साथ सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता समावेश एवं अधिगम की बाधाओं को कम कर पूरी करती है। (मार्गदर्शी टिप्पणी 2 देखें)
- मां–बाप और समुदाय प्रमुख अधिगम की विषय–वस्तु और प्रयुक्त शिक्षण पद्धतियों को समझते और स्वीकार करते हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)।

ekxZn’khZ fVIif.k;k

1- **lfØ; Hkkxhnkjh%** शिक्षण कार्य पारस्परिक और प्रतिभागितापूर्ण हो। इसमें विकास के दृष्टिकोण से उपयुक्त शिक्षण एवं सीखने की पद्धतियों का समावेश हो। अन्य पद्धतियों के साथ–साथ इसमें शामिल हो सकते हैं: सामूहिक कार्य, परियोजना कार्य, हम उम्र सदस्यों के बीच शिक्षा, अभिनय, किसी घटना का वर्णन, खेलकूद, वीडियो एवं कहानियों के माध्यम से सीख। सीखने की सक्रिय पद्धति से शिक्षकों और सीखने वालों, तथा सीखने वालों के बीच परस्पर संबंध का विकास होता है। इससे सकारात्मक मनोवैज्ञानिक–सामाजिक कल्याण भी होता है (देखें सीखने का माहौल एवं पहुंच मानक 2, मार्गदर्शी टिप्पणी 6, पृष्ठ 46)

2- **lh[ku d jkLr e ck/kk,%** शिक्षकों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे आपातकालीन परिस्थितियों में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षाओं के महत्व पर बच्चों के माता–पिता, समुदाय के सदस्यों, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख लोगों और अन्य संबद्ध भागीदारों से सार्थक बातचीत कर सकें। साथ ही, विविधता, समावेश और सीखने वालों तक पंहुचने जैसे मुद्दों पर भी विचार कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख लोगों, माता–पिता और समुदाय के सदस्यों के साथ वार्तालाप जरूरी है ताकि समावेश के संबंध में उन लोगों की समझ का पता चले और उनका समर्थन भी सुनिश्चित हो। साथ ही, उचित संसाधन सामग्रियों का प्रावधान भी सुनिश्चित हो।

3- **fun'ku dh i)fr;k d p;u vkj mi;kx** के लिए शिक्षकों की शिक्षा, कार्य अनुभव, उनके प्रशिक्षण और उनकी जरूरतों पर विचार करना होगा। शिक्षकों को परिवर्तित शिक्षण सामग्रियों से अवगत होना पड़ेगा। साथ ही, शिक्षक की जागरूकता और व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन से भी अवगत होना पड़ेगा। माता–पिता, समुदाय और पारंपरिक एवं धार्मिक प्रमुखों की भागीदारी और स्वीकार्यता से गतिविधियों को सुचारु रखना आसान हो जाएगा। इससे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्देशन की पद्धतियों को भी अधिक कारगर बनाया जा सकेगा।

f'k{kk ,o lh[ku d ekud 4% vkdyu

सीखने की उपलब्धियों के मूल्यांकन और उनकी पुष्टि के लिए उचित पद्धतियां अपनाई जाती हैं

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- आकलन और मूल्यांकन की अलग–अलग और निरंतर जारी पद्धतियां अपनाई गई हैं ताकि सीखने के कार्य का नियमित और समुचित आकलन होता रहे। इस प्रकार प्राप्त सूचना के उपयोग से निर्देशन की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रियाएं भी अपनाई गई हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- सीखने वालों की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए उन्हें तदनुसार क्रेडिट या पाठ्यचर्या समाप्त करने संबंधी प्रमाण दिए जाते हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 2)।
- आकलन और मूल्यांकन की पद्धतियों को उचित और विश्वस्त माना जाता है और वे सीखने वालों के लिए किसी तरह घातक नहीं होती हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)।

ekxn'kh fVIif.k;k

1- **vkdyu ,o eY;kdu dh ÁHkkoh i)fr;k ,o mik; vko';d g** जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार प्रदर्शित करें:

- प्रासंगिकता (जैसे सीखने के माहौल के अनुसार जांच एवं परीक्षाएं प्रासंगिक और समुचित हों);
- निरंतरता (जैसे मूल्यांकन पद्धतियां सभी शिक्षकों को ज्ञात हों और सभी स्थानों पर लागू हों);
- अवसर (अनुपस्थित शिक्षार्थियों को आकलन का दूसरा अवसर दिया जाता है)
- समुचित व्यवस्था (समुचित शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा किए गए औपचारिक आकलनों के दौरान एक समुचित व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध रहती है); और
- संबंधित व्यक्ति एवं पारदर्शिता आकलन का परिणाम शिक्षार्थियों को बताया जाता है और बच्चों से संबंधित परिणाम उनके मां–बाप को बताए जाते हैं।

2- **vkdyu ifj.kke** औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के मामलों में आकलन इस तरह किया जाए कि शिक्षार्थियों की उपलब्धियों एवं परीक्षा के परिणामों को शरण देने वाले देशों और/या मूल देश की मान्यता प्राप्त हो। शरणार्थियों के मामले में प्रयास यह हो कि देश या उत्पत्ति के क्षेत्र के शिक्षा प्राधिकरणों से मान्यता मिल जाए। पाठ्यचर्या पूरा करने संबंधी दस्तावेज़ों में शामिल हैं (सीमित नहीं) डिप्लोमा, स्नातक प्रमाण पत्र आदि।

3- **ufrd lfgrk dk vkdyu** आकलन व मूल्यांकन का विकास एवं क्रियान्वयन नैतिक संहिता के अनुसार होना चाहिए। आकलन और मूल्यांकन का उचित और विश्वस्त होना विचारणीय है और इनसे किसी प्रकार भय में वृद्धि और मानसिक आघात न हो। यह ध्यान रहे कि किसी स्कूल या कार्यक्रम के तहत अच्छे अंकों या प्रोन्नति के लिए शिक्षार्थियों को किसी प्रकार परेशान न किया जाए।

4. शिक्षक एवं अन्य शिक्षा कर्मचारी

ifjp;

ekuorkoknh lgk;rk d lHkh igyw depkfj;k ,o Lo;lfo;k d dk'ky] Kku ,o Áfrc)rk ij fuHkj djr g vkj mUg vD1j dfBu vkj dHkh&dHkh [krjukd ifjfLFkfr;k e dke djuk iMrk gA mu1 cgr vf/kd mEehn dh tkrh g vkj ;fn mUg U;ure ekudk dk ijk djuk gkrk g rk ;g t:jh gkrk g fd mudk mi;Dr Áf'k{k.k] Ác/ku vkj vuJo.k gk vkj mUg vko';d 1kefx;k] 1g;kx vkj i;o{k.k ÁkIr gkA

आपदा की स्थितियों में शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मचारियों का चयन और उनकी नियुक्ति में सहभागिता और पारदर्शिता हो तथा यह काम पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार हो। यदि संभव हो शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रभावित आबादी से की जाए। इससे शिक्षा कार्यक्रमों में सांस्कृतिक परंपराओं, रीति–रिवाजों और उन अनुभवों का समावेश होता है जो सकारात्मक चलन, मत और प्रभावित आबादी (आबादियों) की जरूरतों का सम्मान करने में सक्षम हैं।

नियुक्ति के साथ शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मचारियों को समुदाय के साथ मिल कर काम करना चाहिए ताकि एक आचार संहिता विकसित हो और काम करने की स्थिति परिभाषित हो। शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति एक अस्थायी करार के तहत होनी चाहिए जिसमें उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं (जैसे वेतन या प्रोत्साहन राशि, कार्य दिवस एवं घंटे, काम करने की स्थिति आदि) उल्लिखित हों। उनकी जिम्मेदारियों एवं कर्त्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। आचार संहिता में शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मचारियों के आचरण के स्पष्ट मानक हों तथा उन्हें नहीं मानने के परिणामों की भी सूचना हो। शिक्षा के लिए प्रभावित आबादी के सहयोग को प्राप्त करने से बहाली और शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मचारियों को बरकरार रखने में सहायता मिलेगी। बच्चों के मां–बाप भी उन्हें पढ़ने भेजने के लिए तैयार रहेंगे।

संकटग्रस्त क्षेत्र में शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मचारियों को भी समुदाय के अन्य सदस्य की तरह दुर्दिन का सामना करते हुए नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी होगी। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा

कार्यक्रमों के कर्मचारियों को आपदा की त्रासदी से उबरने के लिए सहयोग चाहिए होगा और आपदा या सशस्त्र संघर्ष से उत्पन्न मानसिक आघात और तनाव से उबरने के लिए सहयोग भी देना होगा। इसलिए सहयोग की व्यवस्था ऐसी हो कि एक को दूसरे का सहयोगी बना दे और उन्हें उन साधनों एवं कौशलों से लैस कर दे कि शिक्षार्थियों के खुशहाली में सहयोग दे सकें।

शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है ताकि आपदा की स्थिति में शिक्षा कार्यक्रम सफल हो सके। शिक्षण एवं अधिगम के अनुभाग में प्रशिक्षण के मानक दिए गए हैं।

शिक्षक एवं शिक्षा कर्मचारियों को पर्यवेक्षण के रूप में भी समर्थन चाहिए। समुदाय स्तर पर मां–बाप, गांव के प्रमुख लोगों, सामुदायिक शिक्षा समितियों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर सकें एवं सहयोग प्रदान कर सकें। प्रभावित आबादी को जब उनके शिक्षा कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाया जाता है तो वे आत्म–निर्भरता के अपने अधिकार का उपयोग करते हैं और अपनी समस्याओं का हल ढूंढ़ सकते हैं। शिक्षा कर्मचारियों के सहयोग एवं निरीक्षण में सामुदायिक सहभागिता से समुदाय और शिक्षकों के बीच एक सार्थक संबंध को बढ़ावा मिलता है जो अधिगम के माहौल के लिए आवश्यक है।

स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और अन्य शिक्षा कर्मचारियों के प्रदर्शन का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आवश्यक है ताकि प्रभावित आबादी को गुणवत्तापरक एवं सतत सहयोग मिलता रहे। यह जरूरी है कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मार्गदर्शन स्वरूप हो न कि किसी प्रकार के नियंत्रण के रुप में। शिक्षकों के बेहतर प्रदर्शन और कार्य पद्धति के लिए अनुश्रवण एवं सहभागितापूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के आकलन का काम यथासंभव शिक्षकों के लिए अधिगम का अवसर हो।

lHkh Jf.k;k d fy, ykx ekud d tMko

किसी शैक्षिक कार्यवाही के प्रभावी होने के लिए उसकी विकास प्रक्रिया और क्रियान्वयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस अनुभाग का उपयोग सभी श्रेणियों के लिए लागू मानकों के साथ किया जाना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय संसाधन, आरंभिक आकलन, कार्यवाही, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि इन श्रेणियों में शामिल हैं। विशेष कर आपदा प्रभावित लोगों–कमजोर वर्ग समेत–की सहभागिता अधिकतम करने की जरूरत है ताकि यह समुचित और गुणवत्तापरक हो।

U;wure ekud ये गुणात्मक होते हैं और शिक्षा संबंधी कार्यवाही के प्रावधान में न्यूनतम स्तरों को स्पष्ट करते हैं।

e[; lpd ये 'संकेतक' हैं जो स्पष्ट करते हैं कि मानकों को प्राप्त किया जा सका है या नहीं। ये कार्यक्रमों के साथ–साथ कार्य प्रक्रिया, या लागू पद्धति के प्रभाव की माप और इसकी सूचना देने के माध्यम प्रदान करते हैं।

ekxZn'kh fVIif.k;k ये वे विशिष्ट बिन्दु हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में मानकों और सूचकों को लागू करने के दौरान विचारणीय बिन्दु हैं जो व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने, और सलाह या प्राथमिकता के मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। इनमें मानकों एवं सूचकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी हो सकते हैं और ये दुविधा की स्थिति, विवादों या वर्तमान ज्ञान की त्रुटियों की जानकारी भी दे सकते हैं। परिशिष्ट 2 में संदर्भों की एक विशेष सूची है जो इस अनुभाग से संबद्ध सामान्य मुद्दों एवं विशिष्ट तकनीकी मुद्दों की सूचना के स्रोतों की ओर इशारा करती हैं।

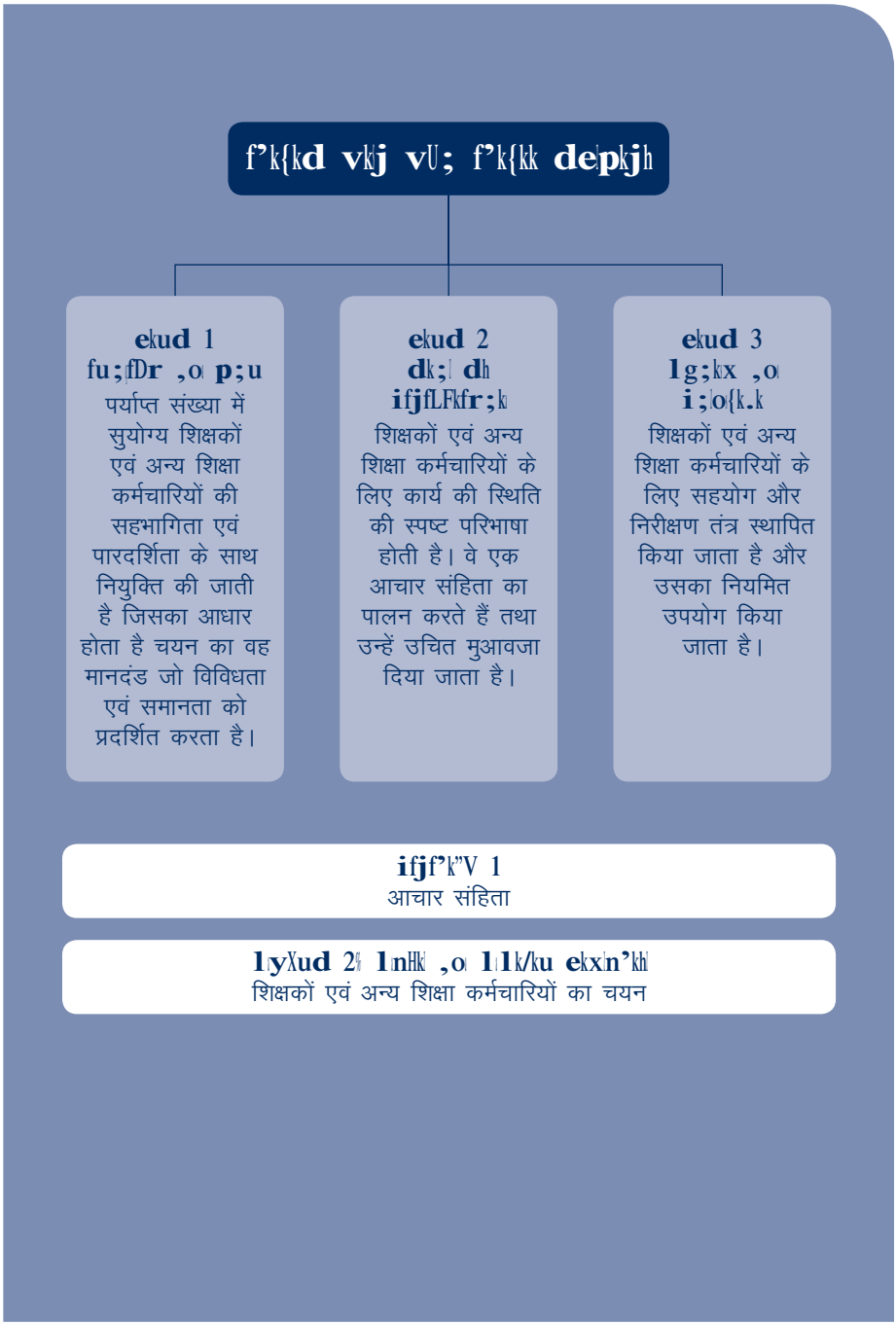

f’k{kd vkSj vU; f’k{kk deZpkjh

ekud 1
fu;qfDr ,oa p;u

पर्याप्त संख्या में सुयोग्य शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों की सहभागिता एवं पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की जाती है जिसका आधार होता है चयन का वह मानदंड जो विविधता एवं समानता को प्रदर्शित करता है।

ekud 2
dk;Z dh ifjfLFkfr;k¡

शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए कार्य की स्थिति की स्पष्ट परिभाषा होती है। वे एक आचार संहिता का पालन करते हैं तथा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है।

ekud 3
lg;ksx ,oa i;Zos{k.k

शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए सहयोग और निरीक्षण तंत्र स्थापित किया जाता है और उसका नियमित उपयोग किया जाता है।

ifjf’k"V 1
आचार संहिता

layXud 2% lanHkZ ,oa lalk/ku ekxZn’khZ
शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों का चयन

शिक्षक और अन्य शिक्षा कर्मचारी मानक 1: नियुक्ति एवं चयन

पर्याप्त संख्या में सुयोग्य शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों की सहभागिता एवं पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की जाती है जिसका आधार होता है चयन का वह मानदंड जो विविधता एवं समानता को प्रदर्शित करता है।

मुख्य सूचक (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- नियुक्ति की प्रक्रिया से पहले कार्य का स्पष्ट और समुचित विवरण तैयार किया जाता है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- नियुक्ति प्रक्रिया के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन मौजूद है।
- चयन समिति द्वारा शिक्षकों का चयन किया जाता है। समिति में समुदाय के प्रतिनिधि भी रहते हैं। चयन पारदर्शी होता है जिसमें उम्मीदवार की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। लिंग, विविधता और सामुदायिक स्वीकृति पर इस संदर्भ में विचार किया जाता है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 2–5)
- नियुक्त और तैनात शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है ताकि कक्षाओं में शिक्षार्थियों की संख्या अत्यधिक न हो जाए। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 6)

मार्गदर्शी टिप्पणियां

1. **कार्य का विवरण** में अन्य बातों के अतिरिक्त भूमिका, दायित्व और आचार संहिता के साथ–साथ यह भी स्पष्ट हो कि किसे रिपोर्ट करना है।

2. **अनुभव एवं योग्यता:** आपदा के दौरान सुयोग्य एवं मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में उन पर विचार संभव है जिन्हें कम या कोई अनुभव नहीं है। इन मामलों में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। यदि सुयोग्य शिक्षकों के पास प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज न हो तो जरूरी है कि सत्यापन का विकल्प चुना जाए जैसे आवेदकों की जांच। यों तो शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है पर कम उम्र के शिक्षकों की भी नियुक्ति करनी पड़ सकती है। कुछ मामलों में आवश्यक है कि विशेष प्रयास कर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और नियुक्ति के मानदंड या उसकी प्रक्रिया को इस प्रकार तय किया जाए कि जहां जरूरत और संभव हो लैंगिक समानता कायम हो।

   अल्पसंख्यकों से संबद्ध उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें राष्ट्रीय भाषा में न कि अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है उनकी घरेलू भाषा बोलने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। जहां उचित और संभव हो राष्ट्रीय और/या शरण देने वाले देश की भाषा (भाषाओं) में सघन पाठ्यचर्या का प्रावधान किया जाए। (शिक्षण एवं अधिगम मानक 1, पृष्ठ 59 पर मार्गदर्शी टिप्पणी 7 भी देखें)।

3. **मानदंड के तहत निम्नलिखित बिन्दु हो सकते हैं:**
   - व्यावसायिक शिक्षा: शैक्षिक, शिक्षण या मनोवैज्ञानिक–सामाजिक अनुभव; अन्य कौशल/अनुभव; संबद्ध भाषा का ज्ञान;
   - वैयक्तिक योग्यता: उम्र; लिंग (यदि संभव हो तो नियोक्ता लैंगिक संतुलन का लक्ष्य रखें); जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि; विविधता का भी (ताकि समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो)
   - अन्य योग्यताएं: समुदाय से सलाह–संपर्क एवं उसकी स्वीकृति; प्रभावित आबादी से संबंध।

4- **p;u%** मोटे तौर पर शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों का चयन प्रभावित आबादी से होना चाहिए लेकिन आवश्यकता हुई तो बाहर से भी चयन हो सकता है। यदि शरणार्थियों या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कोई स्थान बनाया गया है तो स्थानीय उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं बशर्ते इससे बेहतर संबंध की नींव पड़े। समुदाय, शरण देने वाले देश और स्थानीय प्राधिकरणों से सलाह के साथ चयन किया जाए।

5- **lnHk ldr%** संकटग्रस्त स्थितियों में शिक्षकों और अन्य शिक्षा कर्मचारियों से संदर्भ संकेत की मांग की जानी चाहिए ताकि वैसे लोगों को नियुक्त न किया जा सके जो शिक्षार्थियों और/या उनके अधिकारों को पूरा सम्मान नहीं देते, उन पर खराब असर डालें।

6- **LFkkuh; :i l 0;kogkfjd ekud** तैयार करना चाहिए कि कक्षा में अधिकतम कितने बच्चे हों। मानक पर खरा उतरने के हर संभव प्रयास के तौर पर पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अनुश्रवण रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर तय सीमा से अधिक बच्चों का संकेत होना चाहिए।

f'k{kd vkj vU; f'k{kk depkjh ekud 2% dk;| dh ifjfLFkfr;k

शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए कार्य की स्थिति की स्पष्ट परिभाषा होती है। वे एक आचार संहिता का पालन करते हैं तथा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- कार्य समझौते में मुआवजा और कार्य की परिस्थितियों के विवरण हों। मुआवजा नियमित रूप से दिया जाए जो कार्य की विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार हो (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2)
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार शिक्षा प्राधिकरणों, सामुदायिक शिक्षा समितियों और गैर–सरकारी संस्थानों के साथ समन्वयन करते हुए समुचित रणनीतियों का विकास करेंगे; विभिन्न श्रेणियों और विभिन्न स्तरों के शिक्षकों और अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक का ऐसा मानदंड कायम करेंगे जो स्थायी और स्वीकार्य हो। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 2)
- आचार संहिता और कार्य परिस्थितियों की परिभाषा सहभागितापूर्ण हो जिसमें शिक्षा कर्मचारी और समुदाय के सदस्यों को शामिल किया जाए और क्रियान्वयन के स्पष्ट दिशानिर्देश हों। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1 एवं 3)
- आचार संहिता पर शिक्षा कर्मचारियों के हस्ताक्षर हों तथा वे उनका अनुपालन करें। समुचित उपायों का दस्तावेज तैयार किया जाता है और गलत आचरण और/या आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में लागू किया जाता है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 3–4)।

ekxn'kh fVIif.k;k

1- **dk;| dh ifjfLFkfr;k** के तहत कार्य के विवरण, मुआवजा, उपस्थिति, कार्य के दिन/घंटे, करार की अवधि, सहयोग एवं निरीक्षण तंत्र, और विवाद निपटान तंत्रों का उल्लेख हो (मानक 1, उपरोक्त मार्गदर्शी टिप्पणी 1 भी देखें)

2- **e|vkotk** नकदी या गैर–मुद्रा स्वरूप हो सकता है। यह समुचित हो (जिस पर आम सहमति हो) तथा नियमित भुगतान किया जाए। संलग्न भागीदारों के बीच समन्वयन सुनिश्चित करते हुए सहभागिता के माध्यम से मुआवजे का उचित स्तर तय किया जाए। यह स्तर ऐसा हो कि विशेषज्ञता, सेवा की निरंतरता और स्थायित्व बरकरार रहे। विशेष कर यह इतना अवश्य हो कि शिक्षक अपने पेशे पर ध्यान केंद्रित रख सकें न कि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आमदनी के माध्यम तलाशते रहें। मुआवजा कार्य की परिस्थितियों एवं आचार संहिता के अनुपालन पर निर्भर करे।

यह स्थिति न आने दी जाए कि विभिन्न पृष्ठभूमि (जैसे राष्ट्रीय और शरणार्थी) के शिक्षकों को अलग–अलग स्तर के वेतन मिले। मुआवजा व्यवस्था में स्थायित्व के लिए मुख्य भागीदारों को चाहिए कि दीर्घकालिक रणनीतियों के विकास में संलग्न रहें। मुआवजे के सामान्य स्तर पर सहमति के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थानों और शिक्षा प्राधिकरणों के साथ–साथ अन्य संगठनों के बीच समन्वयन हो।

3- **vkpkj lfgrk** में शिक्षा कर्मचारियों के व्यवहार के स्पष्ट मानक और उन्हें न मानने वालों के लिए अनिवार्य परिणामों एवं दंडों को स्पष्ट किया गया हो। सीखने का माहौल, शिक्षा कार्यक्रम संबंधी आयोजन या गतिविधियों पर यह आचार संहिता लागू हो। (आचार संहिता के नमूने के लिए पृष्ठ 72 पर देखें परिशिष्ट 1)।

यह संहिता ऐसी हो जो शिक्षक और अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए सीखने के सकारात्मक माहौल और शिक्षार्थियों की खुशहाली को बढ़ावा दे। संहिता में अन्य बातों के अतिरिक्त शिक्षा कर्मचारी:

- उच्च स्तरीय आचरण से पेशा संबंधी व्यवहार, आत्म–नियंत्रण और नैतिक/नीतिगत व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं;
- ऐसा माहौल बनाने में सहभागिता दिखाते हैं जिसमें सभी शिक्षार्थियों को स्वीकार किया जाता है;
- एक सुरक्षित और स्वास्थ्यकर माहौल बनाए रखते हैं जो किसी प्रताड़ना (यौन प्रताड़ना समेत), डराने–धमकाने, दुर्व्यवहार और हिंसा, और भेदभाव से मुक्त हो;
- नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करते हैं और समय की पाबंदी दिखाते हैं।
- अपने कार्य में विशेषज्ञता और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं; और
- इस तरह के आचरण करते हैं जो समुदाय के किसी सदस्य और शिक्षा संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

4- **lfgrk ykxw djus lc/kh ekxZn'kZu** सीखने के माहौल में कार्यरत सभी शिक्षा कर्मचारियों एवं अन्य शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का प्रशिक्षण होना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा समितियों, शिक्षा पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान किया जाए कि वे आचार संहिता लागू करने के कार्य के अनुश्रवण में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझ सकें। उन्हें यह मदद दी जानी चाहिए कि वे स्कूली/अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की कार्य योजनाओं में आचार संहिता संबंधी मुख्य बातों की पहचान करें और उन्हें शामिल करें। पर्यवेक्षण तंत्र के माध्यम से पारदर्शी रिपोर्टिंग और अनुश्रवण प्रक्रियाओं को लागू किया जाए जिनमें संलग्न सभी पक्षों की गोपनीयता बनी रहे (नीचे दिए गए मानक 3 भी देखें)।

f’k{kd ,o vU; f’k{kk deZpkjh ekud 3% lg;kx ,o i;Zo{k.k

शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए सहयोग और पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित किया जाता है और उसका नियमित उपयोग किया जाता है।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- पर्यवेक्षण तंत्र में शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए नियमित आकलन, अनुश्रवण और सहयोग के प्रावधान हों (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2)।
- कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, उसे लिख लिया जाता है और संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) से उस पर नियमित रूप से विचार–विमर्श किया जाता है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)
- शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार समुचित और सुलभ मनोवैज्ञानिक–सामाजिक सहयोग और सलाह दी जाती है। (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 4)

ekxn’kh fVIif.k;k

1- **i;lo{kd r=%** प्रत्येक देश या प्रभावित क्षेत्र द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मचारियों के लिए मानकों की परिभाषा हो और सहयोग एवं पर्यवेक्षण तंत्र को विकसित और लागू किया जाए। इस तंत्र में विभिन्न क्षेत्र से संबद्ध प्रतिनिधि हों जैसे समुदाय (पारंपरिक और धार्मिक प्रमुखों समेत), सामुदायिक स्कूली संगठनों जैसे माता–पिता–शिक्षक संघ, स्थानीय प्राधिकरण, प्रधानाचार्य और शिक्षकों के संघ। पर्यवेक्षण तंत्र का सामुदायिक शिक्षा समितियों से निकट का संबंध हो। समिति को चाहिए कि आचार संहिता, विशेषज्ञता, कार्य क्षमता और उचित आचरण के संदर्भ में शिक्षा कर्मचारियों का अनुश्रवण करे। (पृष्ठ 15 पर सामुदायिक सहभागिता मानक 1 देखें)।

2- **Áf’k{k.k%** शिक्षा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पृष्ठ 60 पर देखें शिक्षण एवं अधिगम मानक 2)।

3- **depkfj;k d dk;l ,o 0;ogkj d vkdyu** के तहत शिक्षकों या अन्य शिक्षा कर्मचारियों की क्षमता और प्रभावीपन का आकलन हो और इसके तहत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और संबंधित कर्मचारियों को सलाह के अवसर मिले ताकि वे उन मुद्दों को पहचान सकें और तदनुसार कार्यवाही कर सकें जिन पर आम सहमति बनी हो। यदि उचित हो तो आकलन के तहत उपलब्धियों का मान–सम्मान होना चाहिए ताकि शिक्षा कर्मचारी प्रोत्साहित रहें। अनुश्रवण एवं सहभागितापूर्ण मूल्यांकन से शिक्षक प्रोत्साहित रह सकते हैं और उनकी क्षमता बढ़ सकती है।

4- **ldV e lg;kx%** प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक और अन्य शिक्षा कर्मचारी को भी घटनाक्रम में मानसिक आघात पहुंच सकता है और उनके सामने शिक्षार्थियों के मद्देनज़र नई चुनौतियां एवं दायित्व आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें समस्या से उबरने के कौशल और बेहतर प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध सहयोग पर निर्भर करेंगे। इसलिए समुदाय के अंदर एक सहयोग तंत्र की स्थापना आवश्यक है जो शिक्षकों एवं संकट से जूझते अन्य शिक्षा कर्मचारियों की सहायता के लिए आवश्यक है।

शिक्षण एवं अधिगमः परिशिष्ट

ifjf'k"V 1% f'k{kdk d fy, vkpkj lfgrk

f'k{kd lno%

- इस तरह आचरण करे कि पेशे की मान–मर्यादा बनी रहे।
- किसी शिक्षार्थी द्वारा व्यक्त गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखे।
- शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों से सुरक्षित रखें जो सीखने में बाधक हैं या शिक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।
- अपनी स्थिति का किसी प्रकार अन्यथा लाभ न ले।
- किसी शिक्षार्थी का यौन उत्पीड़न न करे या किसी शिक्षार्थी के साथ किसी प्रकार यौन संबंध नहीं बनाए।
- एक अच्छे, आदर्श व्यक्ति के रूप में रहे।

d{kk d vanj f'k{kd%

- सकारात्मक एवं सीखने के सुरक्षित माहौल को बढ़ावा दे।
- सभी शिक्षार्थियों की मान–मर्यादा को देखते हुए शिक्षण कार्य करे।
- शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रतिभा को बढ़ावा दे।
- शिक्षार्थियों की महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहन दे और प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता को साकार करने में मदद दे।
- शिक्षार्थियों को सक्रिय, जिम्मेदार और कामयाब शिक्षार्थी बनने की दिशा में प्रोत्साहित करे।
- विश्वास का भाव कायम करे।

f'k{kk d i'k e lyXu f'k{kd%

- शिक्षण पद्धति और अपने विषय में मौलिक क्षमता का प्रदर्शन करे।
- यह ज्ञान (अपने शिक्षण संबंधी) प्रदर्शित करे कि बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया कैसे सरस व रुचिकर हो।
- सदैव कक्षा में समय का पाबंद हो और पढ़ाने के लिए तत्पर हो।
- शिक्षण क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलग्न न हो।
- पेशाजन्य सभी अवसरों का लाभ ले और आधुनिक, स्वीकार्य शिक्षा पद्धतियों का इस्तेमाल करे।
- अच्छे नागरिक होने, शांति और सामाजिक दायित्वों के सिद्धांतों का ज्ञान दे।
- प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन और परीक्षा परिणामों का ईमानदारी से प्रदर्शन करे।

lenk; d ekey e f'k{kd%

- मां–बाप को प्रोत्साहित करे कि वे बच्चों के अधिगम में समर्थन दें और सहभागिता दिखाएं।
- स्कूल में परिवार और समुदाय के संलग्न होने की अहमियत समझे।
- स्कूल की अच्छी छवि के लिए सहयोग एवं प्रोत्साहन दे।

यहां उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वह पूरे माहौल (शिविर, स्कूल आदि) के अन्य नियमों एवं नीतियों का मान–सम्मान करेगा।

स्रोतः इस आचार संहिता का उपयोग यूएनएचसीआर इरीट्रिया द्वारा बतौर मॉडल किया गया जिसे स्कूलों ने स्वतः अपना लिया।

5. शिक्षा नीति एवं समन्वयन

ifjp;

vrjk"Vªh; lk/kuksa ,oa ?kks"k.kkvksa esa Li"V fd;k x;k gS fd lHkh O;fDr;ksa dks f'k{kk dk vf/kdkj gS tks lHkh ekuokf/kdkjksa ds ÁkR;kgu dh vk/kkjf'kyk gSA lekfo"V ,oa 'kkf{kd uhfr;ksa ds ekeyksa esa fu.kZ; yus dh ÁfØ;k esa Lor= vfHkO;fDr] lekurk vkSj viuh ckr j[kus dk vf/kdkj f'k{kk ds vfHkUu vax gSA

आपदा की परिस्थितियों में अनिवार्य है कि इन अधिकारों की रक्षा हो। आपातकालीन कार्यवाही के एक हिस्से के रूप में शिक्षा प्राधिकरणों एवं सभी संबंधित व्यक्तियों को चाहिए कि वे एक ऐसी शिक्षा योजना का विकास और क्रियान्वयन करें जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का ध्यान रखा जाए; शिक्षा के अधिकार बरकरार रहें; और यह प्रभावित आबादी की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। योजना का रूपांकन ऐसा हो कि स्तरीय शिक्षा और स्कूलों तक पहुंच बढ़े और इसमें आपातकालीन कार्यवाही के तहत विकास की ओर प्रगति स्पष्ट रूप से दिखे। हस्तक्षेप की कार्यवाही, कार्यक्रमों और नीतियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में समुदाय की भागीदारी आपातकालीन किसी कार्यवाही के लिए विशेष अहमियत रखती है।

आपदा की परिस्थितियों में अक्सर समन्वयन का अभाव रहता है। संबंधित व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन हुआ करता है। इसलिए अंतः–संस्थागत समन्वयन तंत्र की आवश्यकता होती है जो बस्ती/समुदाय, जिला, राष्ट्र और क्षेत्र स्तर पर प्रभावी हो और साथ ही समावेशी एवं पारदर्शी हो। ऐसे तंत्र कई अन्य उद्देश्यों से महत्वपूर्ण होते हैं जैसे आवश्यकताओं का आकलन, मानक उपागमों का विकास, और सभी भागीदारों एवं संबंधित व्यक्तियों के बीच संसाधनों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान।

आहार, आश्रय, स्वास्थ्य और पेयजल व साफ–सफाई जैसे आरंभिक मानवतावादी कार्यवाही के साथ–साथ शिक्षा का समन्वयन आवश्यक है।

शिक्षा संबंधी कार्यवाही बेहतर प्रचलित पद्धति पर आधारित हो और विशेष कर आपदा की स्थिति के मद्देनजर समुदाय विशेष की जरूरतों के अनुकूल हो। जीवन रक्षा के लिए विभिन्न जागरूकता अभियानों के माध्यम से हर उम्र के लोगों को बारूदी सुरंगों, स्वास्थ्यकर स्वच्छता और एचआईवी/एड्स जैसी समस्याओं से अवगत करवाना आवश्यक है।

lHkh Jf.k;k d fy, ykx ekudk d tMko

किसी शैक्षिक कार्यवाही के प्रभावी होने के लिए उसकी विकास प्रक्रिया और क्रियान्वयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस अनुभाग का उपयोग सभी श्रेणियों के लिए लागू मानकों के साथ किया जाना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय संसाधन, आरंभिक आकलन, कार्यवाही, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि इन श्रेणियों में शामिल हैं। विशेष कर आपदा प्रभावित लोगों की कमजोर वर्ग समेत सहभागिता अधिकतम करने की जरूरत है ताकि यह समुचित और गुणवत्तापरक हो।

U;wure ekud ये गुणात्मक होते हैं और शिक्षा संबंधी कार्यवाही के प्रावधान में न्यूनतम स्तरों को स्पष्ट करते हैं।

e[; lpd ये 'संकेतक' हैं जो स्पष्ट करते हैं कि मानकों को प्राप्त किया जा सका या नहीं। ये कार्यक्रमों के साथ–साथ कार्य प्रक्रिया, या लागू पद्धति के प्रभाव की माप और इसकी सूचना देने के माध्यम प्रदान करते हैं।

ekxZn'kh fVIif.k;k ये वे विशिष्ट बिन्दु हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में मानकों और सूचकों को लागू करने के दौरान विचारणीय बिन्दु हैं जो व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने, और सलाह या प्राथमिकता के मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। इनमें मानकों एवं सूचकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे भी हो सकते हैं और ये दुविधा की स्थिति, विवादों या वर्तमान ज्ञान की त्रुटियों की जानकारी भी दे सकते हैं। परिशिष्ट 2 में संदर्भों की एक विशेष सूची है जो इस अनुभाग से संबद्ध सामान्य मुद्दों एवं विशिष्ट तकनीकी मुद्दों की सूचना के स्रोतों की ओर इशारा करती हैं।

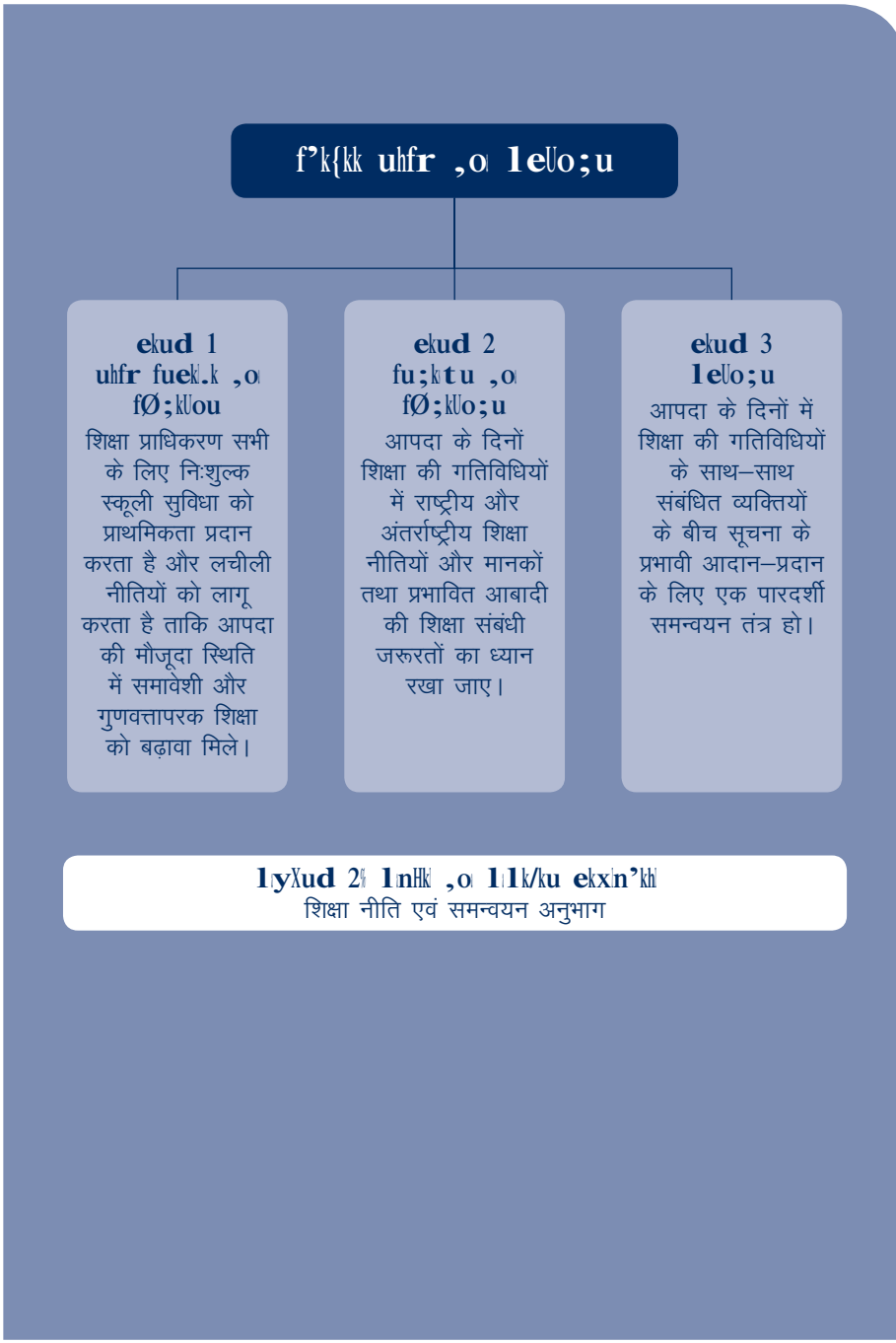

f’k{kk uhfr ,oa leUo;u

ekud 1
uhfr fuekZ.k ,oa fØ;kUou

शिक्षा प्राधिकरण सभी के लिए निःशुल्क स्कूली सुविधा को प्राथमिकता प्रदान करता है और लचीली नीतियों को लागू करता है ताकि आपदा की मौजूदा स्थिति में समावेशी और गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा मिले।

ekud 2
fu;kstu ,oa fØ;kUo;u

आपदा के दिनों शिक्षा की गतिविधियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और मानकों तथा प्रभावित आबादी की शिक्षा संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए।

ekud 3
leUo;u

आपदा के दिनों में शिक्षा की गतिविधियों के साथ–साथ संबंधित व्यक्तियों के बीच सूचना के प्रभावी आदान–प्रदान के लिए एक पारदर्शी समन्वयन तंत्र हो।

layXud 2% lnHkZ ,oa lalk/ku ekxZn’khZ
शिक्षा नीति एवं समन्वयन अनुभाग

f'k{kk uhfr ,oa leUo;u ekud 1% uhfr fuekZ.k ,oa fØ;kUo;u

शिक्षा प्राधिकरण सभी के लिए निःशुल्क स्कूली सुविधा को प्राथमिकता प्रदान करता है और लोचपूर्ण नीतियों को लागू करता है ताकि आपदा की मौजूदा स्थिति में समावेशी और गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा मिले।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- आपदा के दौरान और उसके बाद शिक्षा संबंधी कानून एवं नीतियां ऐसी हों कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों एवं घोषणाओं में व्यक्त शिक्षा के अधिकारों को बरकरार रखें (देखें मार्गदर्शी टिप्पणियां 1–2)
- ऐसे कानून, नियमन और नीतियां हों जो शिक्षा के मामलों में कमजोर एवं दीन–हीन समूहों के साथ भेदभाव नहीं होने दें (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)।
- ऐसे कानून, नियमन और नीतियां मौजूद हों कि शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी के परिवार के सीमित संसाधन की वजह से उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 4)।
- ऐसे कानून, नियमन और नीतियां मौजूद हों कि शरणार्थियों के स्कूल मूल देश या क्षेत्र संबंधी पाठ्यचर्या को लागू करने से नहीं रोका जाए।
- ऐसे कानून, नियमन और नीतियां मौजूद हों जो गैर–सरकारी भागीदारों के द्वारा आपदा के दिनों शिक्षा व्यवस्था लागू करने की अनुमति दे बशर्ते वे शिक्षा प्राधिकरणों के मार्गदर्शन और निरीक्षण के अनुकूल हों।
- कानून, नियमन और नीतियों का इस प्रकार प्रसारण हो कि संभी संबंधित व्यक्तियों की समझ में आ जाएं।
- नीति ऐसी हो जो शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र (ईएमआईएस) संबंधी आंकड़ा कोश के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा दे जिसका इस्तेमाल शैक्षिक पंहुच और शिक्षा पूरा करने के मामले में परिवर्तन के विश्लेषण एवं प्रतिक्रिया देने का साधन बने (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 5)।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां कानूनी एवं बजट के अनुरूप हों जो आपदा की परिस्थितियों में तुरंत कार्यवाही की अनुमति दें (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 6)।

ekxZn'khZ fVIif.k;k

1- **vUrjk"Vªh; ekuokf/kdkj dk lk/ku ,oa ?kks"k.kkvksa dk vgfe;r nuk vko';d gSA** इनमें शामिल हैं (सीमित नहीं) युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (1989), युनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (1948), इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकनोमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स (1979) और डकार फ्रेमवर्क फ़ॉर एक्शनः एडुकेशन फ़ॉर ऑल (2000)।

   साधनों एवं कानूनी रूपरेखा में आबादी की देखभाल के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय नियम भी शामिल होने चाहिए। इसमें अन्य बातों के अलावा मानसिक विकास, पोषण, मनोरंजन, संस्कृति, दुर्व्यवहार की रोकथाम और छह वर्ष से कम के बच्चों के लिए आरंभिक शिक्षा जैसे मामलों में बच्चों एवं युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। (सीखने का माहौल एवं पहुंच मानक 1, पृष्ठ 43 पर मार्गदर्शी टिप्पणी 2 भी देखें)।

2- **'kj.kkFkhZ] foLFkkfir vkSj 'kj.k nus oky ns'k dh vkcknh%** सभी संबंधित व्यक्तियों को सहयोग कर इस बात की वकालत करनी चाहिए कि शिक्षा सभी समूहों को समान

रूप से प्राप्त हो। इसमें शरणार्थी की स्थिति से संबद्ध 1951 कन्वेंशन के अनुच्छेद 22 (सार्वजनिक शिक्षा) को बरकरार रखने की बात भी शामिल है जो यह घोषणा करता है कि प्राथमिक स्तर पर शरणार्थियों को शिक्षा का वही अधिकार हो जो देश के लोगों को है, और उच्च स्तर पर उन्हें अध्ययन की सुविधा हो, प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्री की मान्यता हो, शुल्क में छूट और छात्रवृत्ति की सुविधा उन शर्तों पर हो जो देश के लोगों को उपलब्ध सुविधा की तुलना में कम न हो। विस्थापित आबादी को यदि विशेष सुरक्षा का प्रावधान नहीं है तो भी समरूप सुरक्षा का अधिकार अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार शरण देने वाले देशों या क्षेत्रों तथा युद्धग्रस्त देशों में संस्थाओं को चाहिए कि देश के शिक्षार्थियों के शिक्षा संबंधी अधिकारों की वकालत भी करें।

3- **lfo/kk ofpr leg** समाज या समुदाय के अंदर के वे समूह हैं जिनके हित को समाज की मौलिक राजनीति के तहत व्यक्त नहीं किया जाता है। इन समूहों की पहचान सामाजिक–आर्थिक या सांस्कृतिक गुणों जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी या संपत्ति, जातीयता या नस्ल, लिंग, भौगोलिक स्थान, धर्म, नागरिकता, आंतरिक विस्थापन या शारीरिक या मानसिक स्थिति के आधार पर की जाती है। शरणार्थी बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए क्योंकि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड देश की सीमा के अंदर 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों एवं किशोरों पर लागू है (देखें सीखने का माहौल एवं पहुंच मानक 1, मार्गदर्शी टिप्पणी 1, पृष्ठ 42)।

4- **f'k{kk dh ykxr** किसी शिक्षार्थी को शिक्षा कार्यक्रम की पहुंच से आने वाले खर्च के कारण वंचित नहीं रखा जा सकता है। यह खर्च शिक्षा शुल्क या अन्य संबद्ध खर्च हो सकता है जैसे अधिगम सामग्री या वस्त्रों पर व्यय। स्कूल संबंधित अप्रत्यक्ष खर्च को कम करने के हरेक प्रयास होने चाहिए जैसे परिवहन और आमदनी का खत्म हो जाना ताकि सभी बच्चों, युवाओं और वयस्कों को सहभागिता का अवसर मिले।

5- **b,evkb,l** आंकड़े उन क्षेत्रों एवं आबादी समूहों पर सूचना से संबद्ध हों जिन पर विशेष प्रकार की आपदाजन्य परिस्थितियां हो सकती है। यह तत्पर रहने की रणनीति है जो राष्ट्रीय और स्थानीय शिक्षा नियोजन के लिए उपयोगी हो सकती है। जहां संभव हो, शैक्षिक आंकड़ों का संग्रह समुदाय खुद करे और उन्हें राष्ट्रीय ईएमआईएस तंत्र में दर्ज कर दिया जाए। सहयोगी संगठनों को चाहिए कि उन माध्यमों की पहचान करने में समुदाय को सहायता करें जिनके माध्यम से शिक्षार्थियों का नामांकन, उनकी निरंतर उपस्थिति और शिक्षा पूरा करने की संभावना बढ़े और स्कूल नहीं जा पाने वाले युवाओं की जरूरतें भी पूरी हों। (पृष्ठ 21 पर विश्लेषण मानक 1 और पृष्ठ 25 पर मानक 3 देखें)।

6- **vkikrdkyhu :ijs[kk** शिक्षा को राष्ट्रीय आपदा तैयारी–तत्परता की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए और संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि प्रभावी और समयबद्ध शैक्षिक कार्यवाही हो सके। राष्ट्रीय या स्थानीय शिक्षा विकास कार्यक्रमों को सहयोग देते अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को चाहिए कि इन कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आपदा के दिनों शैक्षिक कार्यवाही की तैयारी को बढ़ावा दें।

f’k{kk uhfr ,o leUo;u ekud 2% fu;ktu ,o fØ;kUo;u
आपदा के दिनों शिक्षा की गतिविधियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और मानकों तथा प्रभावित आबादी की शिक्षा संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- राहत एवं विकास संस्थाओं के शैक्षिक कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी रूपरेखा एवं नीतियां प्रदर्शित होती हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- आपदा के दिनों शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं कि शिक्षा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में उनका एकीकरण हो पाता है।
- शिक्षा प्राधिकरण और अन्य मुख्य भागीदार मौजूदा और भावी आपदा के मद्देनज़र राष्ट्रीय एवं स्थानीय शिक्षा योजनाएं बनाते हैं, और उनकी नियमित समीक्षा की एक दृष्टि विकसित करते हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 2)।
- आपदा के दौरान और उसके बाद सभी संबंधित भागीदार एक ऐसी शैक्षिक कार्यवाही का एकजुट होकर नियोजन करते हैं जो सबसे हाल की आवश्यकताओं के आकलन से संबंधित हो और प्रभावित आबादी (आबादियों) की शिक्षा के पूर्व अनुभवों, नीतियों और प्रचलित पद्धतियों पर आधारित हों।
- शैक्षिक कार्यवाही से स्पष्ट हो कि प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं मानव संसाधनों की क्या आवश्यकता है। संबंधित व्यक्तियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)।
- शैक्षिक गतिविधियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन को आपातकालीन कार्यवाही के अन्य क्षेत्रों से जोड़ दिया जाता है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 4)

ekxn’kh fVIif.k;k

1- **f’k{kk d vf/kdkjk ,o y{;k dk ijk djuk%** शिक्षा कार्यक्रमों के तहत समावेशी शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान हो जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (1989), युनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (1948), एडुकेशन फ़ॉर ऑल फ्रेमवर्क (2000) और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (2000) जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुकूल हो और संबद्ध शिक्षा प्राधिकरणों की रूपरेखा एवं नीतियों के अनुकूल तो हो ही।

2- **jk”Vh; f’k{kk ;kstuk,** ये इंगित करें कि मौजूदा या भावी आपदाओं के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों, भागीदार, निर्णय और समन्वयन के साथ–साथ सुरक्षा एवं बचाव के कारक और अंतः–क्षेत्रीय समन्वयन संबंधी क्या कदम उठाए जा सकते हैं। योजना को समुचित शिक्षा नीति और रूपरेखा का समर्थन हो। संभावित प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान) के मद्देनज़र शिक्षा क्षेत्र की आकस्मिक योजनाओं का विकास किया जाना चाहिए। शरणार्थियों या वापस लौटने वालों के मद्देनज़र भी यह काम किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय या राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र अन्यथा प्रभावित न हो। (सामुदायिक सहभागिता मानक 1, पृष्ठ 17 पर मार्गदर्शी टिप्पणी 5 और नीचे मानक 3 देखें)।

3- **lla/ku%** प्राधिकरणों, आर्थिक योगदान देने वालों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एकजुट होकर सुनिश्चित करना चाहिए कि आपदा के दिनों उन शिक्षा कार्यक्रमों के लिए

पर्याप्त वित्तीयन हो जो अधिगम, मनोरंजन और संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित हों ताकि मनोवैज्ञानिक–सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। आपदा थमने के बाद शिक्षा कार्यक्रमों के अवसरों का विस्तार करते हुए आरंभिक बाल्यावस्था विकास, औपचारिक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षा और वयस्क साक्षरता और व्यावसायिक कार्यक्रम आदि को शामिल किया जाना चाहिए। संसाधन आवंटन संतुलित होना चाहिए ताकि भौतिक साधनों (जैसे अतिरिक्त कक्षाएं, पाठ्यपुस्तक और शिक्षण एवं अधिगम सामग्रियां और गुणवत्ता बढ़ाने के साधनों (जैसे शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यचर्या)।

4- {k=h; U;wure ekud% निम्नलिखित बिन्दुओं के मद्देनज़र शिक्षा कार्य योजना और इसके क्रियान्वयन को क्षेत्रीय न्यूनतम मानकों के साथ जोड़ने का विशेष प्रयास करना चाहिएः

- जल आपूर्ति, साफ–सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा;
- खाद्य सुरक्षा, पोषण और खाद्य सहायता;
- आश्रय, बसने और सामग्रियों के मुद्दे; और
- स्वास्थ्य सेवाएं (क्षेत्रीय मानकों के लिए एमएसईई सीडी–रोम पर देखिए क्षेत्रीय मानकों से संबद्ध लिंक)

f'k{kk uhfr ,oa fØ;kUo;u ekud 3% leUo;u

आपदा के दिनों शिक्षा की गतिविधियों के साथ–साथ संबंधित व्यक्तियों के बीच सूचना के प्रभावी आदान–प्रदान के लिए एक पारदर्शी समन्वयन तंत्र हो।

e[; lpd (मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए)

- शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा मौजूदा एवं भावी आपदा कार्यवाही के लिए एक अंतः–संस्थागत समन्वयन समिति का गठन किया जाना चाहिए। आपदा के दिनों शैक्षिक गतिविधियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- जब शिक्षा प्राधिकरण समन्वयन को दिशा देने के लिए मौजूद नहीं रहता या उसमें अक्षम रहता है तो अंतः–संस्थागत समन्वयन समिति शैक्षिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करती है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 1)।
- प्राधिकरणों, आर्थिक योगदान देने वालों और अन्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय संरचनाएं तैयार की जाती हैं जिनका समन्वयन और समर्थन शिक्षा संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है (मार्गदर्शी टिप्पणी 2 देखें)।
- समन्वयन के लक्ष्यों, सूचकों और अनुश्रवण की प्रक्रियाओं पर सहमति के वक्तव्य होते हैं। शिक्षा के कार्य में लगे सभी भागीदार उसी रूपरेखा में काम करते हैं और मुख्य सूचना और आंकड़ों को सार्वजनिक करते हैं (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 3)।
- उन्हें प्रभावित समुदायों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए अधिकृत किया होता है और वे उसके लिए सक्षम होते हैं। विशेष कर नीति या कार्यक्रम निर्माण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण में यह अधिक अहम होता है।
- विभिन्न क्षेत्रों, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य संबंधित व्यक्तियों के बीच सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक सक्रिय तंत्र और पारदर्शी तंत्र मौजूद होता है (देखें मार्गदर्शी टिप्पणी 4)।

ekxn’kh fVIif.k;k

1- **vr lLFkkxr leUo;u lfefr** प्रतिनिधियों में विभिन्न क्षेत्रों से संबधित व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए, जहां संभव हो यह कार्य किसी शिक्षा प्राधिकरण के नेतृत्व में होना चाहिए। समन्वयन समिति की आवश्यकता क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, जिला या स्थानीय स्तरों पर पड़ सकती है जो आपदा के स्वरूप पर निर्भर करेगा। जहां शिक्षा प्राधिकरणों में क्षमता या कानूनी मान्यता का अभाव रहता है, वहां आम सहमति से विभिन्न संस्थाओं को नेतृत्व सौंप देना चाहिए। लेकिन स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि समिति का सदस्य अवश्य हो। जैसे ही स्थिति बेहतर हो समन्वयन की जिम्मेदारी समुचित प्राधिकरणों को सौंप देना जरूरी है।

2- **foÙkh;u** आपदा के दिनों शिक्षा कार्यक्रमों के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता होती है। वित्तीयन के पारदर्शी और समन्वयित उपागमों को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय होने चाहिए। विशेष कर उन परिस्थितियों में यह आवश्यक है जबकि शिक्षकों के मुआवजा के लिए वेतन देने का तंत्र अपर्याप्त या कार्यरत नहीं है। आपदा के दिनों वित्तीयन की व्यवस्था के तहत स्थानीय श्रमिक बाजार की स्थितियों एवं परंपराओं पर विचार आवश्यक है। इस स्थिति में ऐसा मानदंड नहीं कायम करना चाहिए जिसमें स्थायित्व का अभाव हो।

3- **leUo;u dh e[; pukfr;k** की पहचान और समाधान आपदा के आरंभिक चरण में हो जाना चाहिए ताकि कम लागत का उपागम विकसित हो जिसके माध्यम से स्थायित्वपूर्ण और तालमेल के साथ सौहार्द्रपूर्ण शिक्षा सेवाएं सुनिश्चित हों। इस दृष्टिकोण से शिक्षक प्रशिक्षण, प्रमाणन और भुगतान; पाठ्यचर्या एवं संबद्ध घटक (पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षा एवं अधिगम की सहायक सामग्रियां); और स्कूली शिक्षा एवं परीक्षा की संरचना एवं मान्यता जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

4- **l;Dr uhfr fodkl ,o Áf’k{k.k dk;’kkyk** शिक्षा प्राधिकरणों और बाहरी भागीदारों के सहयोग से आयोजित किए जाने चाहिए ताकि बेहतर संवाद, बेहतर सहयोग और प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो जो एक समान दृष्टिकोण के विकास के लिए आवश्यक है और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को उन्नति के पथ पर ला सकता है।

आई एन ई ई

fd1h ekuorkoknh dk;lokgh e fd1h çdkj d vkdMk d 1xg e ufrd fopkj vfuok;l gA

आकलन की अवधि तय करने में आकलन दल और प्रभावित आबादी के बचाव और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पहुंच सीमित हो तो वैकल्पिक रणनीतियों की तलाश होनी चाहिए जैसे द्वितीय स्रोत, स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक नेटवर्क। अधिक पहुंच संभव हो तो पहले आकलन को अद्यतन करना चाहिए और यह कार्य अधिक व्यापक आंकड़ों और संग्रह की गई सूचनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। आकलन को नियमित (कम–से–कम तिमाही) अपडेट करना चाहिए। इसके लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आंकड़ों, कार्यक्रम की उपलब्धियों और सीमाओं की समीक्षा, और उन आवश्यकताओं को आधार बनाया जाए जो पूरा नहीं हो पाए।

आकलन के आंकड़ों और सूचनाओं का संग्रह कार्य इस प्रकार नियोजित और संपादित हो कि शिक्षा संबंधी जरूरतों, क्षमताओं, संसाधनों एवं खामियों का पता चले। यथाशीघ्र एक समग्र आकलन किया जाए जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं एवं सभी स्थान शामिल हो जाएं। लेकिन इसके चलते आरंभिक आकलन की शीघ्र तैयारी विलंबित न हो और तत्काल कार्यवाही की सूचना बाधित न हो। विभिन्न शिक्षा प्रबंधकों के क्षेत्रों के दौरों के बीच यथासंभव समन्वयन हो ताकि आगंतुकों का तांता नहीं लगा रहे और आपातकालीन कार्यवाही में कार्मिकों को बाधा नहीं हो।

गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन के साधन अंतर्राष्ट्रीय मानकों, ईएफए के लक्ष्यों और अधिकार–आधारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार होने चाहिए। इससे वैश्विक पहल स्थानीय समुदाय से जुड़ जाते हैं और वैश्विक रूपरेखा और सूचकों के साथ स्थानीय स्तर पर संपर्क को बढ़ावा मिलता है। आंकड़ा संग्रह प्रपत्र का देश के अंदर मानकीकरण आवश्यक है ताकि अंतर–संस्थागत स्तर पर परियोजनाओं के समन्वयन में सुविधा हो तथा सूचना देने वालों से न्यूनतम मांग की आवश्यकता रह जाए। प्रपत्र में वैसी अतिरिक्त सूचना हेतु स्थान हो जो स्थानीय/समुदाय से जुड़े उत्तर देने वालों की नजर में महत्वपूर्ण हो।